राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का नवम् दिवस [संख्या 5

मंगलवार

दिनांक 10 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकालराहत, शिक्षा, सिंचाई, वन, समाज कल्याण, पंचायत एवं विकास, यातायात, पंचायत, विद्युत, आबकारी, खाद्य विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री डागा।

केन्द्रीय सरकार की अध्ययन दल की रिपोर्ट

71. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में अब तक कितनी बार केन्द्रीय सरकार की अकाल सहायता स्टडी टीम आई है और किन-किन सालों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है?

(2) क्या यह सत्य है कि स्टडी टीम ने अपनी राय कुछ मामलों में गलत भी दी है, यदि हां, तो किन-किन मामलों में और उनकी रायों के खिलाफ राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वापिस कुछ लिखा है या नहीं? यदि हां, तो क्या लिखा और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि इसका उत्तर देने में आज असमर्थ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि अकाल के सम्बन्ध में अब तक जो धनराशि खर्च हुई है और उनके जो आंकड़े सरकार के पास में उपलब्ध हैं वे इस सदन में आज प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न का उत्तर टालने की कोशिश कर रही है और माननीय सदस्य अकाल के सम्बन्ध में जो प्रश्न करना चाहते हैं और उस पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार उससे माननीय सदस्यों को वंचित करना चाहती है। यह कार्यवाही सरकार की तरफ से उचित नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि आज ही इसके सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया है

(श्री गंगाराम चौधरी)
और उसका उत्तर दिया जा रहा है। यह क्वश्चन केवल स्टेडी टीम की रिपोर्ट के सिलसिले में है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, स्टडी टीम की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यहां अकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। यह बात हमें मालूम होनी चाहिये और यह एक ऐसा प्रश्न है कि यह सदन के सामने आना चाहिये क्योंकि भ्रष्टाचार की बात स्टडी टीम ने कही है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, स्टडी टीम की रिपोर्ट और राजस्थान सरकार के दृष्टिकोण में क्या अन्तर है, भिन्नता है, यह हम जानना चाहते हैं और इसलिये यह प्रश्न होना चाहिये।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने कल यहां पर बताया कि एक स्थायी योजना बनाई जा रही है और उन्होंने यह भी कहा था कि स्टडी टीम की रिपोर्ट हमारे पास में आ गई है और उसके आधार पर हम योजना बना रहे हैं। इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को अगले टर्न तक स्थगित किया जाता है और उसके बाद इसको लिया जा सकता है या नहीं विचार कर लिया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के रिक्त स्थान

72. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर-बीकानेर मण्डल में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के द्वितीय वेतन श्रृंखला के कितने पद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक (मिडिल) शालाओं में कब से रिक्त हैं?

(2) उनके पद रिक्त रखने के क्या कारण हैं?

(3) शिक्षा विभाग उन रिक्त पदों को कब तक भर देगा?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह):

(1) सत्र के आरम्भ में इस मण्डल में द्वितीय वेतन श्रृंखला के 209 पद रिक्त थे। माह अगस्त, 70 में 32 नवीन पद स्वीकृत हुए। इस प्रकार कुल रिक्त पदों की संख्या 241 हो गई। उन पदों पर नियुक्त एवं पदोन्नत किये गये अध्यापकों की संख्या निम्नलिखित है:—

1. विज्ञान	40
2. वाणिज्य	19
3. आंग्ल भाषा	36
4. विज्ञान जीव	33
5. सामान्य अध्यापक	105

इस प्रकार 1-11-70 से 8 पद रिक्त हैं।

(2) परिक्षेत्र के 10 जिलों में रिक्त पद सूची प्राप्त करने के उपरोक्त दिनांक 2-9-70 को जिला नियोजन कार्यालयों को मांग भेजी गयी। आशार्थियों की विषयवार नामावलियां आने पर मेरिट सूची निर्मित कर नियुक्तियां देना सम्भव हुआ। आशार्थियों की अन्तिम सूची नियोजन कार्यालयों से 15-10-70 को प्राप्त हुई।

(3) अवशेष 8 पदों को दिनांक 20-11-70 तक भर दिया जायेगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं ?

श्री धीरसिंह: रिक्त रहने का कारण : एक तो यह था कि स्वीकृत नवीन पदों का है, इसमें विलम्ब हुआ और नियोजन कार्यालय को लिखा गया और दोनों को कन्सोलिडेट करने के बाद तय किया गया कि किन किन विषयों पर प्रोमोशन पर लिये जायें और फिर उनकी ऐवेलिबिलिटी को देखा गया यह तय किया गया इसमें टाइम लग गया ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि कुछ पदों पर बिना एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज की स्वीकृति के सीधी भर्ती कर ली गई है ?

श्री धीरसिंह: इसमें दो तरह से भर्ती की जाती है । एक तो पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति होती है दूसरी एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से । अभी ज्यादातर व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है । मैथेमेटिक्स, विज्ञान और इंग्लिश लिटरेचर के पदों पर नियुक्तियां मेरिट के आधार पर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा की गई हैं ।

श्री दौलतराम सारण : मेरा तो सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या कोई नियुक्ति सीधी की गई है डाईरेक्टोरेट से ?

श्री धीरसिंह : सीधी नियुक्ति की गई है एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से जो दरख्वास्तें आई उनमें से मेरिट के आधार पर....

श्री उपाध्यक्ष : इनका पूछना तो यह है कि बिना एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के भी कोई नियुक्ति की गई है या नहीं ?

श्री धीरसिंह : जो पदोन्नति की गई है वे बिना एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज के की गई है। वे विभागीय कर्मचारी थे । वैसे बिना एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज के कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, विज्ञापन विभाग द्वारा अखबारों में किया गया है ? हुआ तो यह है कि उपाध्यक्ष महोदय कि डाईरेक्टोरेट से बाला बाला ही भर्ती कर ली गई है और योग्य व्यक्ति सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं । बिना विज्ञापन के यहां पर भर्ती की गई है ।

श्री धीरसिंह : विज्ञापन एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज को भेजा जाता है और उनके पास जो दरख्वास्तें आती हैं उनको इकट्ठा कर के फिर मेरिट तय की जाती है.....

श्री दौलतराम सारण :विज्ञापन एक्सचेंज के पास आपने भेजा होगा । मेरा तो कहना यह है कि अखबारों में किसी प्रकार का भी विज्ञापन नहीं दिया गया है और बिना इस प्रकार के विज्ञापन के क्या कोई सीधी भर्ती सरकार ने की है और क्या यह सही है ?

श्री धीरसिंह : रिक्वीजीशन एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज को भेजा जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है ?

श्री धीरसिंह : अखबारों में विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रिक्वीजिशन एम्पलायमेंट एक्सचेंज को देने की आवश्यक्ता है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या प्रत्येक भर्ती

Page No. 4

(श्री दौलतराम सारण)

के लिये विज्ञापन अखबारों में देने की आवश्यकता नहीं है?

श्री धीरसिंह : सिर्फ एम्पलायमेंट एक्सचेंज को रिक्वीजिशन भेजने की आवश्यकता है।

श्री दौलतराम सारण : नई भर्ती के लिये विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है?

श्री धीरसिंह : अखबारों में देने की आवश्यकता नहीं है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में देते हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : जितने अध्यापकों की नियुक्तियां की गई क्या उनके पास में एम्लायमेंट एक्सचेंज का इन्टरव्यू कार्ड था?

श्री धीरसिंह : एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज इन्टरव्यू कार्ड जारी नहीं करता है। वे दरख्वास्तें इकट्ठी करते हैं और उनको हमारे पास में भेज देते हैं। उनको कन्सोलिडेट कर...

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से इन्टरव्यू कार्ड डेफिनेटली जारी होता है। जहां तक पंचायत समितियों और जिला परिषदों का सवाल है, उनके द्वारा रिक्वीजिशन देने के बाद एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा इन्टरव्यू कार्ड जारी किया जाता है और उसके बाद ही इन्टरव्यू होता है।

श्री धीरसिंह : यहां पर इन्टरव्यू नहीं होता है। केवल मेरिट के आधार पर किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : सीधा ही धपला होता है।

श्री धीरसिंह : जो लोग एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज को एप्लीकेशन देते हैं वे एप्लीकेशन शिक्षा विभाग के पास में आती है और वे मेरिट फार्मूला के आधार पर सब्जेक्ट वाईज अरेंज की जाती है और जैसे जैसे जो जगह खाली होती है उस फार्मूले के आधार पर नियुक्ति सब्जेक्ट वाईज की जाती है।

श्री दौलतराम सारण : विज्ञापन करते नहीं हैं इसलिये प्रार्थियों को यह पता ही नहीं चलता कि कितन स्थान रिक्त हैं और बिना प्रार्थना-पत्र के ही व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री धीरसिंह : प्रार्थना-पत्र एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज के थ्रू लेते हैं। इसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फार्म होता है। उनको फिर हम सब्जेक्ट वाईज और मेरिट वाईज इकट्ठा करते हैं। डिप्टी डाइरेक्टर ने ऐसी मेरिट सूचियां बनाई हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इनमें किसी के साथ अगर जस्टिस नहीं हुआ होता है तो वह ऐतराज भी करता है। उस पर सुनवाई होती है और निर्णय होता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि आपके पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि डाईरेक्ट अपोइन्टमेन्ट्स भी हुए हैं?

श्री धीरसिंह : इस सत्र में तो नहीं आई है। अगर डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के पास आई हों तो पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सरकार उचित समझती है कि शिक्षण संस्थाओं में काफी अरसे तक शिक्षकों के स्थान रिक्त

(श्री दौलतराम सारण)

रहते हैं और विद्यार्थियों को शिक्षकों के बगैर बैठे रहना पड़ता है क्लासों में और इस तरह से उनकी पढाई का नुक्सान होता है ?

श्री धीरसिंह : प्रोसीजर तो एडोप्ट करना ही पड़ेगा। इसके लिये कार्यवाही सत्र प्रारम्भ होते ही की जाती है। कुछ पोस्ट सेंक्शन होने में समय लगता है, कुछ फाईनेन्स विभाग में स्वीकृति के लिये जाता है मसला तब तक अगस्त का महीना आ जाता है फिर उनको कन्सोलिडेटेड करने में समय लगता है। हमने दसवें महीने में तो कर दिया। अगस्त में कौन-कौन स्थान रिक्त हुए इसकी जानकारी प्राप्त करने में भी लग जाता हैं।

श्री दौलतराम सारण : तो आप इस प्रोसीजर को ठीक करो न।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या यह सही है कि विभाग की अकर्मण्यता के कारण अगस्त से अक्टूबर तक स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है शिक्षकों के अभाव में ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामकिशन (वैर) : क्या यह सही है कि राजस्थान में अन्य जिलों में विशेष तौर से पूर्वी जिलों में ज्यादा प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनको अगर प्रोमोशन देकर राजस्थान के किसी भी भाग में, जहां आवश्यकता हो, वहां भेज दिया जावे तो यह समस्या नहीं रहेगी।

श्री धीरसिंह : इसम पूर्वी भाग के अलवर, भरतपुर जिले जोधपुर खण्ड में नहीं आते इसलिये वे उधर नहीं जा सकते। इसके अलावा जहां तक होता है एक जिले के अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे उसी क्षेत्र के जिले में हम भेजते हैं। एक जिले से उसी क्षेत्र या डिविजन के दूसरे जिले में तो आ जा सकते हैं, पर एक डिविजन से दूसरे डिविजन में इनको नहीं भेजते।

श्री रामकिशन : मेरा प्रश्न यह था कि जैसे जोधपुर, बीकानेर में जगहें खाली हैं तो भरतपुर, अलवर में सभी सबजेक्ट के ट्रेण्ड अध्यापक आपको मिल जावेंगे और सरप्लस में मिल जावेंगे उनको आप प्रोमोशन देकर वहां नहीं भेज सकते ?

श्री धीरसिंह : जी नहीं। जोधपुर डिविजन और बीकानेर डिविजन के रेन्ज दूसरे हैं। विदिन रेंन्ज होते हैं। आपके ये डिस्ट्रिक्ट इन रेन्जों में नहीं आते।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 73

श्री हंसराज आर्य
(अनुपस्थित) कृपया आगे देखियें।

श्री बृजवल्लभ बोहरा।

बबूल की अवैध कटाई

73. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि धनवां तथा बुढ़ादीत की पुरानी बबूल की राडी को वन कर्मचारियों की साजिश से चोरी छिपे काटकर सरकार को करीब एक लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है ?

(2) क्या सरकार इस मामले की जांच

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) इन राडियों में 1,235 बबूल वृक्षों का नुकसान पाया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब दस हजार रुपये है।

(2) प्रारम्भिक जांच, सहायक वन संरक्षक, कोटा ने गत सितम्बर, 1970 में पूर्ण करली है। कर्त्तव्य विमुख वन कर्मचारियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध नियमित विभागीय जांच मंडल वन अधिकारी, कोटा द्वारा की जा रही है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : 1,235 वृक्षों की कीमत आपने दस हजार रुपये तय की यानि एक वृक्ष 9 रुपये के करीब पड़ा तो किस हिसाब से आपने यह मूल्यांकन किया ? आज नो रुपये में तो किसान को एक गोले की लकड़ी नहीं दी जाती।

श्री नारायणसिंह : कुछ छोटे थे तो उनकी कीमत एक रुपया आंकी गई और जो बड़े थे उनकी नौ दस की हुई।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : क्या आप छोटे से छोटा दरखत भी नौ रुपये में दे सकते हैं क्या आज भी।

श्री नारायणसिंह : वह तो पेड़ के मुताबिक होनी है कीमत।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : आप बताइये कि इस शिकायत के पहले कोई जांच की गई थी ?

श्री नारायणसिंह: शिकायतें आई। इसके पीछे बड़ा भारी सन्दर्भ है ? उपाध्यक्ष महोदय, अनक्लासीफाइड फोरेस्ट एरिया था। इसको प्रोटक्टेड फोरेस्ट बनाने के लिये राजस्व विभाग और वन विभाग में पत्र व्यवहार हुआ। पर आज भी यह तय नहीं हुआ है। देख-रेख फोरेस्ट विभाग की जरूर थी।

इसके बाद इसे कोलोनाईजेशन विभाग ने अपने अधिकार में लिया। और इसे राजस्व विभाग में समझ कर, कमाण्ड एरिया समझ कर अलॉट करना शुरू कर दिया। इस विभाग ने ध्यान आकर्षित भी किया कि यह घना वन है इसे प्रोटेक्टेड वन बनाया जाय। पर फिर भी इसका अलॉटमेन्ट हुआ और यह कटना शुरू हो गया। वन विभाग के छोटे स्थानीय अधिकारियों ने रोकने का प्रयत्न भी किया। पर जिन लोगों को अलॉट हो गया था वे नहीं रुके। छोटे वन कर्मचारी इसमें सस्पेण्ड भी हुए हैं। यह सब स्वाभाविक था। कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट ने भी चिट्ठी लिखि कि यह वन एरिया है। डी० एफ० ओ० ने भी लिखा कि यह वन कट रहा है और यह अनक्लासीफाइड है और इसे राजस्व का मान कर अलॉट कर दिया है। वह गलत है। यह कार्यवाही रोकी जानी चाहिये।

इसके बाद में जिलाधीश और जिला प्रमुख भी आये। इन्क्वायरी भी शुरू हुई। वे भी इसमें आये और देखकर गये। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की।

आप समझते हैं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में छोटे वन अधिकारी के लिये मुश्किल हो जाती है कि किस प्रकार से इसे रोकें। स्पष्ट सारी बातें न होने से यह सारा किस्सा हुआ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : जब वन विभाग का हक ही नहीं था तो नाकेदार आदि कर्मचारियों को क्यों सस्पेण्ड किया गया?

श्री नारायणसिंह : अनक्लासीफाइड यह एरिया था। इससे इसमें यह गलतफहमी रही कि यह फोरेस्ट का है या राजस्व विभाग का है। इस गलतफहमी में यह अलॉट हो गया एरिया और इसी का यह परिणाम हुआ कि दरखत वहां कट गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौन-कौन से कर्मचारी कब-कब सस्पेण्ड किये गये ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक वनपाल और दो फोरेस्ट गार्ड।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कब किया ?

श्री मनोहरसिंह मेहता: प्रश्न मिलने के बाद ?

श्री नारायणसिंह: जब शिकायत आई उसके बाद 16-4-70 को जब विलेजर ने शिकायत की। इस पर एन्क्वायरी हुई और 18 अगस्त, 70 को वह खतम हुई। इसके अनुसार इनकी नीग्लीजेन्स पाई गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि गत सत्र में भी इस विषय को लेकर काल अटेन्शन नोटिस के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका था।

श्री नारायणसिंह: फिर इन्क्वायरी हुई। और वे सस्पेण्ड हुए। इसके पहले से ही खतोकितावत तो कर रहे थे।

श्री बृजबल्लभ बोहरा: क्या यह सही है कि जब गलत ढंग से कटाई शुरू हुई तभी तत्काल पंच पंचायत ने पंचायत समिति ने और ग्रामीण लोगों ने उस वक्त के डी० एफ० ओ० पुरी को इसकी शिकायत कर दी थी। पर उसने कोई कार्यवाही नहीं की। जंगल कटने दिया और केवल पत्र व्यवहार करता रहा। तत्कालीन कदम और पत्र व्यवहार इसलिये करना पड़ा कि एक अलाटमेंट राजस्व अधिकारी ने कर दिया था। कालोनाइजेशन का कमान्ड ऐरिया मानते हुए और वह आलाटमेंट करने के बाद में जंगल काटना शुरू दिया था। इसको ध्यान में लाया गया था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि कोलोनाइजेशन विभाग ने इस बैंड का वन टेन्थ भी हिस्सा अलाट नहीं किया। केवल उस आड़ में डी० एफ० ओ० ने और वन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर लाखों रुपये खाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यह सही है कि दो साल से बराबर जंगल कटता आ रहा है। इसके अन्दर डी० एफ० ओ० और रेन्जर ने मिलकर जबरदस्त कटवाई की है और हजारों रुपये की रिश्वत जंगल को कटाने में खा गये हैं। इससे गरीब लोग महरूम रहे हैं।

श्री बृज वल्लभ बोहरा : उन लोगों को असंतोष हो रहा है। इसकी जांच करवायें। गवर्नमेन्ट को डेढ़ लाख का नुकसान हुआ है। डी० एफ० ओ० ने अपनी जेबें भर ली हैं।

श्री नारायण सिंह : इसकी रेस्पान्सीबिलिटी फिक्स करने के लिये पूरी पूरी जांच करवाई जायगी।

Page No. 8

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) : डी०एफ० ओ० और रेन्जर को तुरन्त निलम्बित करके जांच कराई जाय। आपने उनके द्वारा जांच करवाई है जो खुद इस मामले में इन्वोल्व्ड हैं। डी० एफ० ओ० और रैन्जर को तुरन्त निलम्बित करके एन्टी-करप्शन के द्वारा जांज करवाई जाय।

श्री नारायणसिंह : अगर कसूर पाया गया तो उन पर......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पूरी-पूरी जांच करवाई जायगी या पूरी की पूरी जांच कराई जायगी ?

श्री नारायणसिंह : पूरी जांच कराई जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस जांच के अधीन जो छोटे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका क्या किया गया है। जांच करने वाले कौन हैं आपके जांच करने वाले ही तो असली चोर हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुरी था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सारा जंगल खा गये। चोरों ने जांच की है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के अन्दर बड़ी भारी कोठी बनाई है-रिश्वत के पैसों से।

श्री नारायणसिंह : मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा, इसका आश्वासन देता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या मंत्री महोदय यह बताने की......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मनोहर सिंह मेहता : जंगल काटने का मतलब इन्सान काटना है इसलिए उनको सस्पैण्ड नहीं करेंगे तो भविष्य में जंगल कटना कभी भी रुक नहीं सकता है। आप इसको कभी रोक नहीं सकेंगे और फिर सारा का सारा रेगिस्तान बन जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आश्वासन तो चुनावों के बारे में सौ बार दिया होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत कमजोर हैं। ये अभयदान देते हैं। जागीरदारों को बख्शीस देते है। आज इन मंत्री महोदय से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठायें। इनके लिए उपाध्यक्ष महोदय यह नामुमकिन है। ये बड़े कमजोर हैं......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को टाला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : टाला नहीं गया है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे और इन्क्वायरी के बाद ही सब कुछ हो सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस अधिकारी को सस्पेन्ड कर सकते हैं अगर इनमें हिम्मत हो लेकिन इनमें इतनी हिम्मत है कहां ? इस सदन में घोषणा करें कि पुरी को निलम्बित किया जायगा । और रेन्जर को भी निलम्बित किया जायगा ।

श्री नारायणसिंह : इन्क्वायरी के बाद जैसा होगा वैसा किया जायगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण सहित कहता हूं पुरी ने लाखों रुपये खाये हैं । क्या यही आपका समाजवाद है ? क्या आप इसी आधार पर शासन चलाते हैं । यही है क्या आपकी जागीरदारी ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ।

श्री प्रेमसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का और जवाब दे दिया जाय । यह जांच कब तक करवा देंगे । इन्क्वायरी कब तक बिठा देंगे और किसके द्वारा इन्क्वायरी कराई जायगी ?

श्री नारायणसिंह : इन्क्वायरी की आवश्यकता होगी तो......

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : डेढ़ लाख का जंगल काट दिया है और अभी तो आप कह रहे हैं कि आवश्यकता होगी तो । आपने अभी तक आवश्यकता को तो समझा ही नहीं–आवश्यकता को तो आप समझ ही नहीं रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक नया प्रश्न पैदा हो गया है । अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जांच करेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो । आपने पहले सदन में जांच का आश्वासन भी दे दिया है और अब कहते हैं कि आवश्यकता होगी तो, यह कैसी आवश्यकता होगी अब ? क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो आपने पहले जांच के लिये कहा उसके आधार पर जांच कराने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री नारायणसिंह : मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किसके द्वारा जांच करवाई जायगी ?

श्री नारायणसिंह : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के द्वारा ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : जिस अधिकारी के विरुद्ध जांच होगी क्या वह अधिकारी अपने पद पर रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह होना सम्भव नहीं है।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार का जमाना है और राजस्थान सरकार के सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं । इसकी जांच किसी ऐसे व्यक्ति से करवानी चाहिये जो इनसे वास्ता नहीं रखता हो और मेरा यह निवेदन है कि इसकी जांच सी० बी० आई० से करवा लेनी चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में...–

Page No. 10

श्री मदनसिंह : जंगल के काटने का मतलब है, आदमियों की हत्या हुई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब अकाल पर चर्चा कर रहे थे तब यह कहा गया था कि राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रदेश है, जहां पर रेगिस्तान बढ़ रहा है । यह सर्वत्र व्यापक पैमाने पर फैल रहा है और ऐसी स्थिति में जो कुछ बचा-खुचा जंगल हैं वह भी जब कट जायगा तो फिर इस रेगिस्तान में क्या बचेगा ? सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान् हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में वनों का शीघ्रता से नाश हो रहा है । राजस्थान के जंगलों की अनधिकृत कटाई हो रही है । वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी मिलकर वनों की बुरी तरह कटाई करते जा रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके लिये बड़े प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है । यह पुरी का मामला नहीं है, सारे राजस्थान के रेगिस्तान का मामला है । पूरे राजस्थान के जंगलों का मामला है । कोई प्रभावी कदम उठाये जाने चाहियें ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री महेन्द्रसिंह ।

सुल्तानपुर व इटावा में नहरों से सिंचाई

75. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के सब–डिविजन सुल्तानपुर व इटावा में विभाग द्वारा नहरों से जब मन चाहे पाइप निकाल दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वही पाइप फिर दुबारा उसी नहर में उसी जगह लगा दिये जाते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह पाइप महज किसानों को परेशान करने तथा नाजायज धनराशि प्राप्त करने हेतु निकाले जाते हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

श्री महेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वहां पर हर टाइम ऐसा किया जाता है हमेशा पाइपों को उखाड़ते रहे हैं और लगाते रहे हैं मैं समझता हू मंत्री महोदय को या तो कोई जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुये भी इसको छिपाना चाहते हैं । आप स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्षजी, आपके पूछने का मतलब यह था कि मन चाहे जब कोई अधिकारी पाइप निकाल ले और मन चाहे जब पाइप लगा दे । उसके लिये मैंने कहा, जी नहीं । लेकिन वस्तुत: स्थिति यह है कि शुरू में जब पानी की अधिकता थी और पानी का पूरा उपयोग नहीं होता था तो ज्यादा पौधे लगाये उसके बाद चक-बन्दी हो गई । शुरू में 55 की इन्टेन्सिटी रखी गई थी और अब यह इन्टेन्सिटी 61-62 तक बढ़ा दी गई है । और चक-बन्दी बन्द करने के बाद जितना रकबा उस चक-बन्दी में आता था और जितना पानी उसके लिये होना चाहिये उन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
सबका हिसाब लगाकर एक स्कीम बनाई और उस स्कीम के अनुसार जितना प्रभाव उसका बढा सकते थे उससे अधिक मोघे निकाले हैं। बाकी की जगह के मोघे निकालने बाकी हैं लेकिन जो मन चाहे का सवाल है वह नहीं है। एक सिस्टम चक-बन्दी का किया था वह इसलिये किया था कि टेल पर पानी नहीं पहुंचता था और ऊपर ही पानी रुक जाता था। सीपेज की प्रॉब्लम पानी से हो जाती थी। टेल पर पानी नहीं पहुंचे इस बात को मद्देनजर रखते हुये रिवाइज चक-बन्दी के आधार पर मोघे रखे गये हैं।

इसमें जो कमी हुई है जिसको अनावश्यक समझा उस चक-बन्दी के हिसाब से उनको निकालने की योजना है।

श्री महेन्द्रसिंह : आपने दोनों सब-डिविजन के अन्दर चक-बन्दी की स्कीम कौनसी तारीख से लागू कर दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों सब-डिविजन में चक-बन्दी की स्कीम 1969-70 में।

श्री महेन्द्रसिंह : 1969-70 के बाद क्या पाइप नहीं निकाले गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : निकाले गये स्कीम के अनुसार।

श्री महेन्द्रसिंह : 1969-70 में ही जिस स्कीम के तहत पाइप निकाले थे वही पाइप क्यों नहीं लगा दिया गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से ऐसे उदाहरण एक दो की तो कह नहीं सकता लेकिन जो जानकारी दी है आमतौर पर सब के सब पाइप वापिस लगा दिये हैं। हां, आपके पास अधिक की सूचना हो तो आप दें।

श्री महेन्द्रसिंह : एक दो ही पाइप ऐसे होंगे जो कि नहीं निकाले होंगे वरना सेन्ट परसेन्ट निकाले गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह गलत है।

श्री महेन्द्रसिंह : बिलकुल सही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास जो सूचना है उसमें 6 आउटलेट ऐसे हैं। चूंकि मोघे कम किये हैं रिवाइज्ड चक-बन्दी के हिसाब से तो पहले के मोघों के अनुसार अन्दर के घोरे लिंक्ड थे एडीशनल मोघों से तो उनको टाइम दिया कि नये मोघे नयी चक-बन्दी के हिसाब से करें तो उसको लिंक कर दो। तो उनके लिए कुछ मोघे बढ़ाये हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह : आपको जानकारी गलत दी है। यह इटावा सब-डिविजन का प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से जानकारी तो है लेकिन हर आदमी को लोभ होता है कि उसके मोघे ज्यादा रहें और जल्दी पानी मिल जाये। इसलिए कहते हैं लेकिन टेल की शिकायतें हमारे पास आती हैं उसको मीट करने के लिए–इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो टेल पर भी तो काश्तकार रहते हैं और उनको भी पानी पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है और आवश्यकता से अधिक लेने को भी रोकने की हमारी जिम्मेदारी है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : पाइप निकालने का और वापिस डालने का काम हुआ है और इसके पीछे बड़ा भारी भ्रष्टाचार है

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

और किसान एक एक मन गेहूं दे देते हैं तो पाइप वापिस लगा देते हैं। इसकी जांच की जाये। जो नहरों के कर्मचारी हैं इनका काम सिर्फ किसानों को सताने का हो गया है। अगर वह पाइप को नहीं निकालें तो उनको मन दो मन गेहूं की प्राप्ति नहीं होती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यदि माननीय सदस्य स्पेसिफिक इन्सटान्स इसके सम्बन्ध में देंगे तो उसकी अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : वह मैं साबित कर सकता हूं। हर किसान से लेते हैं एक एक मन गेहूं और तब पाइप डालते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक परम्परा की बात है कि सदन में एक बात उठाई जाये और सदन के सम्मुख फैक्ट्स रखे जायें और उन फैक्ट्स को हम चेलैन्ज करें और फिर आप उम्मीद करें कि हम कम्पलेमेन्ट बन कर एन्टीकरप्शन के सामने या किसी और के सामने खड़े होंगे। यहां पर सदन के माननीय सदस्य जो कि संविधान की शपथ लेते हैं और सारे तथ्य आपके सामने रखते हैं और वसे तो आपको ओब्लाइज्ड फील करना चाहिए कि वे जानकारी देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय तो स्पेसिफिक इन्सटान्स मांग रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सिर्फ एक सब-डिविजन का मामला है, पूरे कोटा डिविजन का मामला नहीं है, पर्टीकुलर कॉन्सटीटुएन्सी का मामला है और उसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है और वहां पर आमतौर पर यह होता है कि कह दिया जाता है कि गलत जानकारी है और फिर कहते हैं तो कहा जाता है कि जांच कर लेंगे......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी यह ईरिगेशन के दो सब-डिविजन के अन्तर्गत यहां प्रश्न आता है अब दो सब-डिविजन में 8 असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स हैं और 32 ओवरसीयर्स हैं। तो मैं जानना चाहता था कि कुछ तो तथ्य हों कि जिससे जांच करने में सहूलियत हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम जांच नहीं कराना चाहते हैं लेकिन जांच में सहूलियत हो उसमें मैं तो कोऑपरेशन सीक कर रहा हूं यह जरूरी नहीं है कि यहां पर ही आप कुछ लिखकर दें। आउट साइड दी हाउस यह हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महेन्द्रसिंह : 70 में पाइप निकाले गये, 69 में भी पाइप निकाले गये, 68 में भी निकाले गये और 66 में भी निकाले गये और वापिस लगाये गये। अब तीन-चार साल से लगातार हरकत की जा रही है और इसका विरोध हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है, माननीय सदस्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि गत वर्ष मंत्रिमण्डल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया था कि जो राइट और लेफ्ट मेन केनाल हैं और उनमें जो पाइप फिक्स्ड हैं उनको किसी प्रकार भी डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा ? अगर ऐसा निर्णय लिया गया है तो क्या उसको कन्वे किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंत्रीमण्डल ने तो निर्णय नहीं लिया लेकिन बात-चीत आप और हमारे सब लोगों के बीच में हुई थी। तो 3 महीनों में कोई पम्पियां नहीं निकाली गई हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो बात-चीत होकर निर्णय हुआ था और उस निर्णय के आधार पर पम्पियां नहीं निकाली जायें और डिस्टर्ब नहीं की जायें क्या इस प्रकार के आदेश सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को दे दिये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पम्पियां नहीं निकाली जायें यह परमानेन्ट चीज नहीं है लेकिन उनको निकालने के लिए साइन्टिफिक बेसिस होना चाहिए जिससे हम काश्तकारों को समझा सकें कि इतना चक-बन्दी का एरिया है, इतने मोघों की कैपेसिटी है, इतना पानी है, एक एकड़ के लिए इतना पानी चाहिए, कितना पानी हिस्से में आयेगा। अगर चकबन्दी के हिसाब से पूरा पानी पड़ता है और उसके बाद कोई कहे कि इससे नीचे पानी नहीं पहुंचेगा और जमीन में सीपेज होगा तो इससे काश्तकारों को लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं कि तीन महीने के अन्दर कोई पम्पियां नहीं निकालीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महेन्द्रसिंह : यह पम्पियां निकाली गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पहले कह चुके हैं।

अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह : सिंचाई के उपमंत्री श्री जसराजजी हैं इनको जो चन्दा देता है उसको तो पानी दिलवा देते हैं और जो चन्दा नहीं देते उनको पानी नहीं दिया जाता है। आप इसकी इन्क्वायरी करायें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 76

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह।

नदी के पानी का उपयोग

77. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान से कौन कौन सी नदी का बहाव गुजरात की तरफ है और इनमें से किस किस नदी के पानी का उपयोग गुजरात सरकार करती है ?

(2) क्या राजस्थान सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे इन समस्त नदियों के पानी का अधिक से अधिक उपयोग राजस्थान में ही किया जा सके ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) निम्नांकित नदियों का बहाव राजस्थान से गुजरात की तरफ है:—

(1) माही नदी
(2) साबरमती नदी
(3) वेस्ट बनास
(4) सुकली
(5) लूनी नदी
(6) भादर एवं बात्रक

निम्नांकित नदियों के पानी का प्रयोग राजस्थान करता है:—

(1) वेस्ट बनास
(2) लूनी नदी
(3) भादर एवं बात्रक

इस राज्य से जाकर गुजरात राज्य में बहने वाली नदियों के पानी का गुजरात राज्य में उपयोग के संबंध में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(2) जी हां।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : बड़गांव और जैतपुर का गुजरात में पानी जाता है, क्या यह सत्य है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बड़गांव और जैतपुर की स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा हाथ में ले ली गई है।

श्री पृथ्वीसिंह : जो नदियां आपने बताई हैं इनके अलावा भी कोई नदी ऐसी है जिसका गुजरात में पानी जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे तो साबरमती, माही, मादर और बात्रक और साही ये चार नदियां तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू गुजरात में जाती हैं। वेस्ट बनास सिरोही के थ्रू और सूकली और लूनी सांचोर के थ्रू। इनके अलावा मेरी जानकारी में नहीं है। साबरमती सिस्टम का पानी गुजरात में जाता है और उसके पानी का इस्तेमाल राजस्थान में हो सकता है। उसके लिए देवास बांध 1, देवास 2 और देवास 3 की स्कीम का सर्वेक्षण किया जा रहा है। साही नदी को साही बांध के जरिये रोके जाने की योजना के जरिये उसके पानी को रोका जा रहा है, और लूनी नदी पर बड़गांव और जैतपुर की स्कीम्स को ले रहे हैं। इसी तरह से माही नदी की स्कीम का आप लोगों को पता है ही कि बजाज सागर बान्ध से इस नदी का जो पानी है उसको रोका जा सकता है। उसको रोकने की कोशिश में योजना पर विचार कर रहे हैं और योजना का सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री पृथ्वीसिंह : इनके अलावा जो योजनाएं आपने बताई हैं और भी योजना बनाने का विचार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप कोई स्पेसिफिक नदी बता दें कि कौन सी नदी के बारे में पूछना चाहते हैं, किस रिवर बेसिन के बारे में।

एक माननीय सदस्य : जितनी भी नदियां जाती हैं उनका सर्वेक्षण कर लिया है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान में राजस्थान की नदियों में कुल कितना पानी उपलब्ध है, उसमें से कितने पानी का उपयोग हो पाया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
है और वाकी का कहां जा रहा है इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण आपने कराया है या कराने का इरादा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सर्वेक्षण कराया गया है और इस सदन में कई बार मैंने निवेदन किया था कि इस प्रकार का एक मास्टर प्लान सैक्शन कायम किया गया है और कायम करके जितने भी रिवर वेसिन हैं राजस्थान मे उनमें कितने पानी की उपलब्धि है, उनमें कितना पानी आता है, सरफेस वाटर, इसका सर्वे करा लिया है। जितना पानी युटिलाइज किया जा रहा है उसका सर्वे कर लिया है और जितने पानी का युटिलाईजेशन नहीं किया जा रहा है कन्वेन्शनल स्कीम्स के जरिये उसका सर्वे करा लिया है और उसकी सबकी रिपोर्ट भी तैयार कराई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिस खां, अगला प्रश्न।

कामां पंचायत समिति की जीपें

78. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कामां पंचायत समिति, जिला भरतपुर के पास जीप गाडियां हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति की ओर से पुरानी जीप की नीलामी के लिए बार बार लिखकर स्वीकृति मांगी गई है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि नीलामी की स्वीकृति देने में विलम्ब बरता जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति कामां ने ट्रेक्टर खरीद कर रखा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जितना वेतन ड्राईवर को दिया जाता है, ट्रेक्टर से उतनी भी आमदनी न होकर घाटे में जा रहा है ?

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति की आमदनी की काफी धनराशि ट्रेक्टर पर खर्च होती चली जा रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति ने ट्रेक्टर की नीलामी के लिए भी मंजूरी मांगी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि मंजूरी नहीं दी जा रही है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां।

(2) पूर्ण सूचना के अभाव में नीलामी की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) पूर्ण सूचना के अभाव में नीलामी की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

श्री मजलिस खां : यह सूचना कब तक मंगा ली जायगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 10-8-70 को उनसे पूछा गया था। एक परिपत्र के द्वारा विकास अधिकारी से सूचना चाही गई थी और जो जवाब उन्होंने दिया था वह अपूर्ण है। 14-10-70 को उनको फिर

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
लिखा गया है कि पूरी सूचना भजो। सूचना आते ही नीलामी के बारे में निर्णय दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री फूलचन्द बाफना।

राजकीय सैकण्डरी स्कूल, रानी का भवन

79. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि रानी स्टेशन (जिला पाली) पर स्थित राजकीय सैकण्डरी स्कूल का भवन किसी दानदाता ने बनवाया था और उसकी कुल लागत की रकम दानदाता न ही खर्च की थी ? यदि हां, तो निम्न बातों का उत्तर देने की कृपा करें:-

(क) दानदाता का नाम क्या है ?
(ख) दानदाता ने कुल कितनी रकम लगाई ?
(ग) पाठशाला भवन बनकर किस तारीख को तैयार हुआ ?
(घ) किस तारीख से इस भवन में पाठशाला चलनी प्रारम्भ हुई ?

(2) उपर्युक्त भवन को अब तक पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा टेक-ओवर क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार टेक-ओवर नहीं करना चाहती ? यदि हां, तो क्या यह भवन सरकार द्वारा दानदाता को वापिस लौटाया जायगा ?

(3) यदि सरकार उपरोक्त भवन को टेक-ओवर करना चाहती है तो कब तक यह कार्यवाही कर दी जायगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) पृथ्वीराज नवलाजी, रानी स्टेशन ने करीब 50,000) रु० की लागत का भवन उच्च प्राथमिक शाला के लिए 9-7-1954 को बनवाकर सम्भलाया था तथा 9-7-1954 से ही पाठशाला इस भवन में चल रही है।

(2) नियमानुसार जिले व उप-जिले के मुख्यालयों में स्थित भवन ही पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में लिये जाते हैं अन्य स्थानों के भवन विभागीय सूची में लिये जाते हैं। दानपत्र का पंजीयन हो जाने के बाद से यह विभागीय सूची पर है। अतः भवन लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) दानदाता ने जब यह भवन बनवाया उस समय शाला उच्च प्राथमिक शाला थी। बाद में 1960 ई० में यह शाला उच्च माध्यमिक शाला में परिवर्तित हो गई। दानदाता इस स्कूल का नामकरण माध्यमिक स्तर पर कराना चाहते थे अतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए दानदाता को लिखा गया। दो अतिरिक्त कमरों के पूर्णरूपेण निर्माण होने पर इसका पुनः नामकरण कर दिया जावेगा तथा टेक-ओवर भी हो जावेगा।

श्री फूलचन्द बाफना : अभी आपने फरमाया कि सन् 1954 में बना है और आज 1970 है तो 16 साल तक का टेक-ओवर होने में समय लग जाता है।

श्री धीरसिंह : टेक-ओवर दो तरह के होते हैं - एक पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा और एक विभाग के द्वारा। 15-12-54 से जब से रजिस्ट्रेशन विभाग के नाम करवा

(श्री धीरसिंह)

दिया है तो विभाग के अन्दर तो आगए हैं, लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में जाने के लिए हमारे जो नियम हैं वे केवल डिस्ट्रिक्ट और सब-डिविजन के हैडक्वार्टर्स पर जो बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में लिया जाता है। इसलिए यह बिल्डिंग पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में नहीं गई है। हमारी लिस्ट में तो जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से आगई है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह सही है कि दानदाता से यह कहा जा रहा है कि वे इस बिल्डिंग की जब भी जरूरत पड़े तो मरम्मत करायें क्योंकि इसका टेकओवर नहीं किया गया है।

श्री धीरसिंह : बिल्डिंग तो विभाग की हो चुकी है और जो भी आवश्यकता होगी मरम्मत वगैरह की तो वह गवर्नमेन्ट ही करावेगी। पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में जो बिल्डिंग आ जाता है तो उसकी मरम्मत पी० डब्ल्यू० डी० के फण्ड से होती है और जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास होती है उनकी मरम्मत सालाना पी० डब्ल्यू० डी० नहीं कराती है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह निश्चित माना जाय कि मरम्मत का कार्य सरकार करायेगी, चाहे शिक्षा विभाग करे या पी० डब्ल्यू० डी० ?

श्री धीरसिंह : मरम्मत के लिए दो बातें हैं – एक तो पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा और एक विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग के पास मरम्मत कराने के लिए धनराशि उपलब्ध होगी तब करा दी जायगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर धनराशि नहीं होगी तो क्या कभी मरम्मत नहीं कराई जायगी विभाग के द्वारा ?

श्री धीरसिंह : होने के बाद करा दी जायगी।

एक माननीय सदस्य : गिरने के बाद करायेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अगर आप नहीं करायेंगे तो गवर्नमेन्ट की मरम्मत हम कर देंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि धनराशि उपलब्ध होगी तो मरम्मत कराई जायगी और यदि धनराशि उपलब्ध नहीं होगी तो क्या बिल्डिंग के गिरने के लिए प्रतीक्षा करेगी ?

श्री धीरसिंह : दानदाता ने अच्छी बिल्डिंग बनाई होगी तो गिरेगी नहीं और गिरने वाली होगी तो सरकार करा देगी।

श्री प्रेमसिंह (छबड़ा) : जब गिर जायेगी तब मरम्मत करायेगी क्या ?

श्री फूलचन्द बाफना : दानदाता ने बिल्डिंग बहुत पहले बनाई थी और काफी वर्षों के बाद मकान की मरम्मत की आवश्यकता होती है और आप फर्मा रहे हैं कि अगर बिल्डिंग मजबूत होगी तो नहीं गिरेगी तो आपका यह एक व्यंगात्मक जवाब है बाकी मरम्मत कराने का आश्वासन दें।

श्री धीरसिंह : पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में सब-डिविजन और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स की बिल्डिंग्स को ही लिया जाता है। इसको पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में लेने के लिए करस्पोन्डेन्स चल रही है हम चाहते हैं कि दूसरी जगहों की बिल्डिंग को भी पी० डब्ल्यू० डी० अपनी लिस्ट में ले ले तब तो पी० डब्ल्यू० डी० उसको रेग्यूलर मरम्मत करायेगी वरना ज्यादा खराब होती है तो विभाग भी मरम्मत करवा देता है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या इस प्रकार से दानदाता निरुत्साहित नहीं होंगे और सरकार को इस प्रकार का जो दान मिलता है वह नहीं मिलेगा क्योंकि वह बिल्डिंग बनाकर देंगे और इस तरह से वह बिना मरम्मत के ही गिर जायगी।

श्री धीरसिंह : जिन बिल्डिंग्स में मरम्मत की आवश्यकता है उसकी सरकार को धन की उपलब्धि के अनुसार उनकी मरम्मत करवाई जायगी, लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट में आजाने के बाद में उसकी मरम्मत रेग्यूलर वे में हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

श्री फूलचन्द बाफना : दानदाता का पी० डब्ल्यू० डी० और आपके विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बालसिंह सोढ़ा, अगला प्रश्न।

सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति

80. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं के नाम वरिष्ठतानुसार क्या हैं और सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत करने के लिए क्या नियम व आधार रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता उनकी लोक सेवा आयोग से प्राप्त सिफारिश पर नियुक्ति की तिथि से मानी जाती है? अगर हां, तो 1970 में अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर किन किन सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) सिचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० (12) (14) सि० 56, दिनांक 16-6-60 द्वारा जारी हुई थी, उसके बाद में सहायक अभियन्ताओं की किसी भी तरह की वरिष्ठता सूची अभी तक जारी नहीं हुई हैं। सूची संलग्न है। सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नत करने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं।

जो सहायक अभियन्ता डिग्री होल्डर हैं वे पांच वर्ष की सेवाकाल के उपरान्त और जो सहायक अभियन्ता डिप्लोमा होल्डर है 15 साल की सेवाकाल के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत हो सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर के लिए यह सेवाकाल का नियम राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 30-6-70 द्वारा 12 वर्ष

Page No. 19

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
का कर दिया गया है । इस रूल के अनुसार यह पदोन्नति उन्हीं सहायक अभियन्ताओं की होगी जो सितम्बर, 1962 से पूर्व सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(2) जी नहीं । सूची संलग्न है।
(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालसिंह सोढ़ा : पहले प्रश्न में मैंने यह प्रश्न साफ पूछा था, जब यह लिस्ट बनाई गई है, यह किस नियम से राज्य सरकार के कौन-कौन से निर्णय हैं, जिनके अन्तर्गत यह लिस्ट बनाई गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वरिष्ठता सूची, पी० एस० सी० के इन्टरव्यू होते हैं, वह इन्टरव्यू के बाद में सूची बनाकर भेजते हैं राज्य सरकार के पास। उसके अनुसार सूची बनाते हैं ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : वरिष्ठता सूची निकालते वक्त डेट ऑफ अपॉइन्टमेन्ट को कन्सीडर किया गया है यह पी० एस० सी० के इन्टरव्यू के आधार पर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पी०एस०सी० जो डेट राज्य सरकार को भेजती है, वही मानते हैं । उसके बाद हम पोस्ट करते हैं सीनीयरिटी का निर्णय पी० एस० सी० ने कर दिया है, वही मानते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पी० एस० सी० द्वारा केवल सिलेक्शन करके भेजा जाता है। वह वरिष्ठता को एप्रूव नहीं करते हैं ? मेरी जानकारी में सरकार ने अबतक यह आधार नहीं बनाया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक मेरी जानकारी है, मेरिट के हिसाब से, फर्स्ट, सैकंड और थर्ड जो हैं, वही सीनीयरिटी बनाते हैं । वही हम मानते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि आपने मेरिट के अनुसार ही यह सब किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पी०एस०सी० की जो लिस्ट आई है, उसके अनुसार ही हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट कब बनी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शायद 60 में बनी थी ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया है, जो सूची राज्य सरकार ने बनाई है, वह पी०एस०सी० ने जो मेरिट लिस्ट भेजी है, उसके अनुसार बनाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पी० एस० सी० ने जो बनाकर भेजी है, उसके अनुसार।

श्री भैरोंसिंह : क्या पी० एस० सी० ने इस बारे में राज्य सरकार को कभी लिखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1960 में जो लैटर आया है, उसमें सीनीयरिटी शब्द है।

श्री भैरोंसिंह : बड़ी अजीब बात है राज्य सरकार स्वयं 60 में लिस्ट आउट करती है । बाद में सिलेक्शन से लोग गये हैं । अगर किसी को रिजेक्ट कर दिया तो उसके बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है । अगर वह आगया है तो दोनों के तालमेल से यह होता है । क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या राज्य सरकार ने पी० एस० सी०

(श्री भैरोंसिंह)

को लिखा था ? मेरी जानकारी में राज्य सरकार ने पी० एस० सी० को इस बारे में लिखा था ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will find out and then will reply.

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेण्ट है । इससे बड़ा असन्तोष है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : असन्तोष का कोई कारण नहीं है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके साथ एक जानकारी.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री फतेहसिंह ।

नून्द्री मेन्द्रोतान रपट के निर्माण पर व्यय

81. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पिछले दुर्भिक्ष (सन् 1969-70) में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत जवाजा पंचायत समिति में नून्द्री मेन्द्रोतान रपट के निर्माण की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कितने रुपये की और इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(2) इस रपट के निर्माण में कितना घनफुट मिट्टी की खुदाई का काम हुआ ? और कितना घनफुट पत्थर चुनाई का पक्का कार्य हुआ ? कृपया सम्बन्धित नाप पुस्तिकाएं (मेजरमेन्ट बुक्स) तथा मस्टर-रोल सदन की मेज पर रखिये ।

(3) क्या यह बात सही है कि इस कार्य पर स्वीकृत धनराशि का उपयोग वास्तव में रपट के निर्माण पर न करके ब्यावर शहर में पक्की नालियों को बनाने तथा ब्यावर शहर कोतवाली के सामने और पीछे करीब 200 गज लम्बी और करीब 6 फीट ऊंची पक्की चूने की दीवार बनाने में खर्च किया गया है ?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी नहीं। दुर्भिक्ष वर्ष 1969-70 में नून्द्री मेन्द्रोतान रपट के निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं हुई । सन् 70-71 में 4 माह के लिए इस रपट की स्वीकृति हुई थी और इस पर कुल 25 हजार रुपया व्यय हुये हैं ।

(2) इस रपट के निर्माण में कुल 10 हजार घनफुट मिट्टी का कार्य हुआ तथा 2,297 घनफुट सीमेन्ट कंक्रीट 2,835 घनफुट खत, 376 घनफुट कोपिंग, 1,413 वर्गफुट पोइंटिंग व 1,462 घनफुट रेड्रिंग कार्य हुआ । माप पुस्तिकाएं तथा मस्टर-रोल सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) जी नहीं। ऐसा कोई कार्य इस कार्य पर स्वीकृत धनराशि में से नहीं कराया गया तथा समस्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इसी कार्य पर किया गया है।

श्री फतेसिंह : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्यावर शहर में अकाल के दौरान पक्की नालियां गईं, या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री फतेहसिंह : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, यह बनाई गई हैं। अकाल की स्थिति में यह पैसा मंजूर किया गया है और वह पैसा वहां खर्च न करके शहर में खर्च किया गया है। इस बारे में क्या कहना है ?

श्री गंगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मकरेड़ा गांव की फीडर के लिए यह पैसा मंजूर किया था।

श्री फतेहसिंह : यह काम करवाया गया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप हां या ना में जवाब दे दें।

श्री गंगाराम : उस पैसे से नहीं किया गया है। यह मकरेड़ा फीडर के लिये 1 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था उसमें से किया गया है।

श्री फतेहसिंह : क्या यह यही है कि 17-4-70 की अजमेर में मीटिंग में यह तय हुआ था ? और मकरेड़ा के लिए 1 लाख स्वीकृत हुआ है ?

श्री गंगाराम : तिथि तो याद नहीं है ?

श्री फतेहसिंह : नून्द्री मेन्द्रातान राव साहब मसूदा के क्षेत्र में है। राव साहब तो जागरुक नहीं रहते हैं। मैं जागरुक रहता हूं। मकरेड़ा के लिए 1 लाख रुपया मंजूर किया गया है। पैसा वहां खर्च न करके नगर परिषद् ब्यावर द्वारा कोतवाली के पास नाला पक्का करने, छावनी के सामने बाग बनाने और प्रोटेक्शन वाल बनाने में खर्च किया गया है।

श्री गंगाराम : मैं निवेदन करता हूं, वहां नहीं हुआ है।

श्री फतेहसिंह : मैं कहता हूं, हुआ है।

श्री गंगाराम : जो धन व्यय हुआ है वह मकरेड़ा फीडर का हुआ है।

श्री फतेहसिंह : ब्यावर कोतवाली के पास गन्दा नाला आता है। उसमें वहां के प्रशासक ने काम करवाया है। क्या यह नियम के विरुद्ध नहीं है ? अकाल शहर में है ? अकाल सहायता वहां शुरू की जाती है जो अकालग्रस्त है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री फतेहसिंह : क्या आपकी यह सिद्धान्त की बात थी ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थिति स्पष्ट करें (माननीय उप-मन्त्री की ओर संकेत)

श्री गंगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक लाख

(श्री गंगाराम चौधरी)

की स्वीकृति की गई थी । ब्यावर के निकट एक नाला है जो मकरेड़ा गांव में जा कर गिरता है। उसकी मरम्मत के लिए किया गया है ।

श्री फतेसिंह : वहां कोई फीडर नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री फतेहसिंह : मैं इस बात की चुनौती देता हूं, कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय। मैं इसके लिए प्रस्ताव रखता हूं कि राव नारायण सिंह स्वयं इसकी जांच करें । जांच से साबित हो जायगा कि इस शासन के अन्दर किस तरह मनमाने ढंग से काम किये जाते हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं छोटासा निवेदन करना चाहता हूं—

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न समाप्त हुए।

(शोरगुल - व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : गांव का पैसा शहर में खर्च किया जाता है । अकाल राहत कार्य का पैसा ब्यावर, मेरे क्षेत्र में खर्च किया जाता है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह ब्यावर की बात नहीं है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर यह स्टेन्डर्ड चेंज ब्यावर में किसने करवाया, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वह जिलाधीश है, जो अकाल राहत कार्य का पैसा है वह एक पब्लिक रोड पर, चौहारे पर खर्च किया जाय । जो अजमेर में फेमिन रिलीफ का कार्य होना था—

(शोरगुल – व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न ?

श्री फतेहसिंह : अलग से प्रश्न नहीं है । श्रीमान् यह सिद्धान्त की बात है। फेमिन गांवों में है और फेमिन रिलीफ का पैसा गांवों में खर्च न होकर शहर में खर्च हो—

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भगवानदास शास्त्री : फेमिन रिलीफ का खर्च नगर परिषद् के क्षेत्र में खर्च किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री भगवानदास शास्त्री : उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या वहां के जिलाधीश रेस्पान्सिबल हैं, क्या एस० डी० एम० रेस्पान्सिबल है? आखिर उसकी पूर्ति कहां से करेंगे जो कुछ भी खर्च किया गया ।

श्री फतेहसिंह : यही बात नहीं है (शोरगुल) अकाल राहत कार्य का पैसा ब्यावर के अन्दर सड़कों पर खर्च किया गया । आपको क्या कहना है ? क्या वहां फीडर है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है।

श्री फतेहसिंह : यह सही नहीं है, मैं कह रहा हूं यह सही है। आप कहते हैं यह सही नहीं है, आपकी सैकिण्ड हैंड इन्फोर्मेशन है, जब कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। यह बांध मेरे क्षेत्र में नहीं होकर राव नारायणसिंह जी के क्षेत्र में है, लेकिन मेरे क्षेत्र, ब्यावर में यह अकाल राहत कार्य का पैसा खर्च किया गया है। मैं सिद्धान्त की बात करता हूं क्या ऐसा करना उचित है? हम जब कहते है कि फलां गांव में अकाल है, वहां अकाल राहत कार्य शुरू कराये जायं तब सरकार यह कहती है कि अकालग्रस्त इलाके में फलां गांव नहीं आता इसलिए वहां अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किया जा सकता, वहां पर खर्च नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य का पैसा ब्यावर में कैसे खर्च हो गया। ब्यावर से पांच मील दूर है यह बांध, मकरेड़ा ब्यावर से पांच मील दूर है, ब्यावर में अकाल जैसी कोई बात नहीं हो लेकिन इसका पैसा ब्यावर में खर्च हो, वहां जो गन्दा नाला बहता है, जो कि सौ, डेढ़ सौ वर्षों से बहता है......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आयन्दा के लिए तो कह दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्नों का क्या हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है.........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : मंत्री महोदय, ××× बोलने के आदी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ××× शब्द हटाया जाय :

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : मंत्री महोदय आइन्दा के लिए तो कह दें। मंत्री महोदय आयन्द के लिए तो ऐसा आदेश दे दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : स्थगित प्रश्नों के बारे में क्या कहना है ?

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं.........

श्री वृद्धिचन्द जैन : स्थगित प्रश्नों के बारे में अभी तक जवाब नहीं आया।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय को जांच कराने में क्या आपत्ति है.........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया, इसलिए अब सवाल नहीं है।

श्री मदनसिंह : जब अकाल राहत कार्य का पैसा भारत सरकार सैंक्सन करती है, और गांव जो अकाल ग्रस्त होते हैं वहां पर वह पैसा खर्च होता है। वैसा न होकर जो स्थान अकालग्रस्त नहीं है

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री मदन सिंह)

वहां पर पैसा खर्च होता है तो मंत्री महोदय को क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को इन तथ्यों से इन्कार है ।

श्री मदनसिंह : हम यह कहना चाहते है, हम जांच करवाना चाहते हैं तो उसको क्यों रोकते हैं ?

श्री फतेहसिंह : मैं चुनौती देता हूं मंत्री महोदय के उत्तर को । पुलिस स्टेशन के पास में 210 फीट लम्बी दीवार बनाई गई है ? क्या वहां फीडर है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप यह प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री मदनसिंह : पूछना तो हम और प्रश्न चाहते हैं । हम प्रश्न और पूछेंगे अगर मंत्री महोदय जवाब देने को तैयार हों ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है । माननीय सदस्य तथ्यों को चैलेंज कर रहे हैं, वह यहां पर व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बता रहे हैं कि ब्यावर शहर के अन्दर अकाल राहत कार्य के पैसे से नाला बना है, दीवार बनी है। मंत्री महोदय असत्य कहते हैं कि वहां फीडर का काम हुआ है । अगर फीडर का काम हुआ है और उसको माननीय सदस्य चैलेंज कर रहे हैं तो उसकी जांच करा लें । मंत्री महोदय के जो तथ्य हैं उनको माननीय सदस्य चैलेंज कर रहे हैं ।

श्री मदनसिंह : जांच कराने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी विभाग और अकाल राहत कार्य सलाहकार समिति के निर्णय के पश्चात् ही काम होता है । इस नाले का पानी मकरेड़ा बांध में जाता है, यह मेरी जानकारी में आया है ।

श्री मदनसिंह : आप इसकी जांच क्यों नहीं करावे हैं ।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदय की सूचना के अनुसार यह सही है लेकिन प्रत्यक्ष द्रष्टा, जिनके क्षेत्र में यह काम हुआ है, वह चैलेंज कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं । तो आपको जो सूचना दी गई है वह सही है या जिनके क्षेत्र में काम हुआ है उनकी सूचना सही है ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इसकी जांच नहीं करायेगी........

श्री दौलतराम सारण : आखिर एक सरकारी आफिसर मनमाने ढंग से अकाल राहत कार्य का रुपया खर्च कर दे और आप यहां पर खड़े होकर कह दें एक भोंपू की तरह........

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द हटाया जाय ।

श्री नत्थीसिंह : भोंपू तो अब खड़े हुए हैं भाई।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा सकती, जांच इसलिए नहीं करा सकती, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार........

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिह : मेरी जानकारी के अनुसार लगभग सौ केसेज में इस तरह के बता सकता जिनमें अकाल राहत कार्य के पैसों का डाक बंगलों को सजाने में किस तरह से दुरुपयोग किया गया है । रामप्रसाद लड्ढा मेरी बात की ताईद करेंगे कि मेजा बांध में जितना पैसा खर्च किया गया है, वहां मेजा बांध के पास डाक बंगले में पाली डिस्ट्रिक्ट का अकाल राहत कार्य का पैसा खर्च किया गया है । आप केवल मकरेड़ा बांध की बात कर रहे हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया, जो अकाल राहत कार्य के नाम पर मिला है, इस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है निर्दयता के साथ। इसकी जांच कराई जाय तो यह केवल मकरेड़ा का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सम्पूर्ण राजस्थान का है. आपको मालूम होगा कि किस तरह अकाल राहत कार्य का पैसे का दुरुपयोग होता है डाक बंगले बनाने और डाक बंगलों को सजाने में ।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य के पैसे में तो मंत्रियों के बंगले बने हैं । आज एक एक लाख की कोठी है जबकि इनके पास दस साल पहले एक कोड़ी नहीं थी । वह इस पैसे के कारण ही बने हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इर्रेलेवेन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य के पैसे से ब्यावर के अन्दर पुलिस स्टेशन के सामने दीवार खड़ी की गई है ?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं....

श्री फतेहसिंह : क्या वह दीवार इस पैसे से बनाई गई है ? आप कह दें कि नहीं बनाई गई । आप इसकी जांच कीजिये अगर नहीं बनाई गई है तो मैं विधान सभा को छोड़ दूंगा । आपको क्या कहना है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : विधान सभा क्यों छोड़े ?

श्री फतेहसिंह : सब मंत्री झूठ बोलते हैं । मैं यहां आकर सरकार को कन्डेम करता हूं तो अधिकारीगण मुझे खींचते हैं कि आपने प्रश्न पूछ लिया, तो क्या कर लिया ? कभी सही बात भी तो कहनी चाहिए ।

श्री मदनसिंह : हम विधान सभा नहीं छोड़ेंगे । हम मंत्री महोदय को नहीं छोड़ेंगे । मंत्री महोदय को बताना पड़ेगा। आखिर जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 'सत्यमेव जयते' के नीचे बैठते हैं, लेकिन फिर भी असत्य बोलते चले जायें तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती ।

श्री भैरोंसिह : वह तो उपाध्यक्ष महोदय के पीछे है । इनके सामने नहीं है ।

श्री फतेहसिंह : अगर सही बात नहीं कहते हैं तो उसके लिए दूसरा हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा ।

श्री फूलचन्द बाफना : उपाध्यक्ष महोदय, मूलचन्द डागा के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि मेरे प्रश्न के उत्तर में

Page No. 26

[redacted]

(श्री फूलचन्द बाफना)

आंकड़े बतायेंगे । मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं, फिर आंकड़े कब बतायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे, यह बड़ा सीरियस मामला है, एक माननीय सदस्य मंत्री महोदय के द्वारा दिये गये फैक्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं और मंत्री महोदय बार बार खड़े होकर कह देते हैं, यह सही नहीं है । माननीय सदस्य उनको चैलेंज कर रहे हैं····

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय भी चैलेंज कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि सही नहीं है ।

श्री मदनसिंह : फिर जांच कराने में क्यों आपत्ति कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री फतेहसिंह : जो मंत्री महोदय ने सूचना दी है वह सही नहीं है ।

श्री मदनसिंह : तो फिर जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री दौलतराम सारण : जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है वह गलत है और तथ्य सारे जो माननीय सदस्य दे रहे हैं, जो सूचना दे रहे हैं, वह सही नहीं है तो इसकी जांच कराई जाय ।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

कराने के लिए खर्च किया गया है—यह हमारा आरोप है·········

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : तो इस आरोप का उत्तर मंत्री महोदय को देना चाहिए ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोदय यह फर्मा दें (शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आसन बाध्य नहीं कर सकता कि मंत्री महोदय अमुक उत्तर दें। आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। आपने चुनौती दी है और यह कहें कि जो तथ्य बता रहे हैं वह गलत हैं तो इसमें आसन कुछ नहीं कर सकता । तथ्य गलत हैं, यदि आप यह समझते हैं तो उसके लिए·········

श्री मदनसिंह : तोड़ दें क्या उसको ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ? ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : क्या उस दीवार को तोड़ दिया जाय ? अगर गलत है तो क्या उस दीवार को तोड़ दें ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । अगर गलत है तो सदन के अन्दर और तरीकों से इस सवाल को उठाया जा सकता है ।

श्री फतेहसिंह : यह कहते हैं कि यह

श्री मदनसिंह : कल के बाद दो रोज की छुट्टी है।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अकाल राहत कार्य के नाम पर, अकाल का पैसा.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री, उप-मंत्री और सचिवों के खेतों में ट्यूब वेल बनाने पर खर्च किया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आपको इसकी जानकारी है। इतना ही नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मंत्री, उप-मंत्री और सचिवों के खेतों की अकाल राहत कार्य पैसे से बाउन्डरी वाल बन गई हैं। मंत्री महोदय X× बोलते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : × × × शब्द कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय XXX नहीं बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दें और जांच की मांग करें तो जांच की मांग को दवायें । एक एक मंत्री, उप-मंत्री के खेत पर अकाल भ्रष्टाचार में चले जाना, और मंत्री, उप-मंत्री और सचिवों के खेतों पर ट्यूब वेल लग जाना, बाउन्डरी वाल बन जाना क्या सरकार की नीति है ? कांग्रेसी विधायकों के खेतों पर ट्यूब वेल लग जाना और बाउन्डरी वाल बन जाना-इस तरह यह राजस्थान की सरकार राजस्थान की गरीब जनता का शोषण कर रही है और यह राजस्थान सरकार के लिए लज्जा की बात है।

श्री फतेहसिंह : क्या यह बात सही है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं..

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : अकाल राहत कार्य के नाम पर......

श्री देवीदत्त गाड़िया : अकाल राहत कार्य के करोड़ों रुपये का जहां घोटाला होता है वहां क्या जांच नहीं हो सकती है ?

श्री मदनसिंह : सारे राजस्थान की तो दूसरी बात है लेकिन यह बेसिक सवाल है। मंत्री महोदय को विभाग वाले गलत उत्तर दे सकते हैं, मंत्री महोदय चलाकर नहीं कर सकते हैं। जांच करायेंगे तो कौनसा अन्याय हो जायगा ? यह मिटने की चीज नहीं है। मैं समझता हूं आपत्ति क्या है मंत्री महोदय को ?

(**श्री गंगाराम चौधरी**)

लेकिन नाले की रक्षा के लिए बनी है, पानी शहर के अन्दर...

(शोरगुल)

श्री फतेहसिंह : नॉनसेन्स। इतनी लंबी दीवार नाली की प्रोटेक्शन के लिए बनी? नाला जाता है दक्षिण की ओर दीवार बनी है पूरब से पश्चिम को

(शोरगुल)

झूठ बोलते हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : इस दीवार का मकसद और क्या हो सकता है? नाले के निकट बनी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री फतेहसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं लेकिन आप मुझें प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। दीवार इसलिए नहीं बनी जैसे आप कह रहे हैं। 200 गज लंबी और करीब 6 फुट ऊंची। इसका फीडर से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपको क्या कहना है? चार हजार रुपया लगाना और ठेकेदारों और अधिकारियों...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री फतेहसिंह : हम क्या करें?

श्री उपाध्यक्ष : ये कहते हैं नाले के

श्री गंगाराम चौधरी : और मकसद क्या हो सकता है?

श्री फतेहसिंह : कलेक्टर व एस० पी० ने मिलकर गलत काम किया है। आप जांच करवाइए। रेगूलर फंड से क्यों नहीं करवाया है? देहात पर खर्च न करके यहां पर खर्च किया जाता है, शर्म की बात है। श्री नारायणसिंहजी आप मूक होकर बैठे हैं। जसराजजी जाते हैं, उद्घाटन भाषण करते हैं लेकिन जनता की रक्षा नहीं करते हैं, शर्म की बात है। मुझको कम से कम शर्म आती है। मैं अपनी बात को आपके समक्ष ठीक ढंग से रखने की कोशिश करता हूं।

श्री मदनसिंह : शर्म उनको आए जो पूछ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस संसद सदस्य, श्री ओंकारलाल बोहरा का वक्तव्य है, राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के धन का भारी दुरुपयोग हुआ है और लोगों ने घर भरे हैं। इतना ही नहीं सत्ताधारी दल ने तो राहत कार्य के माध्यम से आगामी चुनावों के लिए फण्ड एकत्रित कर लिया है।

(शोरगुल)

यह आरोप कांग्रेस पार्टी के एम० पी० श्री ओंकारलाल बोहरा ने अपने वक्तव्य में लगाया है कि अकाल राहत कार्यों के नाम पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अगले

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव लड़ने के लिए। कितना अत्यन्त गंभीर आरोप है। सारे आरोपों की जांच होनी चाहिए कि राजस्थान में कितने अकाल राहत कार्य··

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 70 करोड़ का आधा भी अकाल राहत पर खर्च नहीं हुआ। सारा कांग्रेस के लोगों ने अपनी आगामी इलेक्शन फण्ड के लिए किया है।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री देवीदत्त गाड़िया : खा गए। सही है।

(दोनों तरफ शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अकाल का सारा पैसा राजस्थान कांग्रेस····

श्री प्रद्युम्नसिंह (उपमन्त्री) : आप खा गए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। गाड़ियाजी स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह (श्री प्रद्युम्नसिंह) कह रहे हैं कि मैंने जो यह पढ़ा····

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात इससे तॉल्लुक नहीं रखती। यह अलग से प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इज इट ऑथेंटिक ?

श्री मदनसिंह : पाइंट ऑफ ऑर्डर। जब एक सवाल चल रहा है तो उसके अंदर दूसरा सवाल चले यह गलत बात है और किसी कांग्रेस सदस्य ने पार्लियामेन्ट में कह दिया तो वह कौनसा भगवान राम है, सब के सब झूठे हैं। सदन में एक बात कही गई है। एक डण्डा जो नहीं बनाना चाहिए था वह बनाया गया है। केवल मन्त्री महोदय कह दें कि जांच करा लूंगा। इसमें इतनी मुश्किल क्या है ? एक दीवार बनी है, नहीं तो हमें हुक्म दें कि वह तोड़ दें ? बड़ी-बड़ी मांगों के लिए आप कहते हैं कि जांच करवा लेंगे। आज जिद्द क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री विजयसिंह : ये राजस्थान के मन्त्री हैं।

श्री मदनसिंह : कम से कम गंगारामजी से तो ऐसी आशा नहीं कर सकते जो बड़े-बड़े·····

श्री गंगाराम चौधरी : मैं इस संबंध में जानकारी करा लूंगा।

श्री फतेहसिंह :

पुण्य करिए कहिये नहीं, पाप करिये प्रकाश।
कहिबे सूं वो घटत है, वर्णत है तुलसीदास।।

श्री विजयसिंह : मकराना में वे रेल्वे लाइन पर पुल बनाने....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी उसमें शामिल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आई राइज ऑन ए पाइंट ऑफ प्रिविलेज। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो हम स्थगन प्रस्तावों की सूचना देते हैं उसके बारे में मुझे निवेदन करना है। मैंने कल स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि बिरला सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ, के संबंध में और आरोप लगाये थे लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि यहां राज्य सरकार वक्तव्य नहीं देती और समाचारों का खंडन समाचार पत्रों के माध्यम से करती है। मैं आपका ध्यान आज के नवज्योति..

श्री उपाध्यक्ष : अगर प्रिविलेज का प्रश्न है तो उसको अन्य किसी तरीके से......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सुनिए तो मेरी बात। सवाल इस बात का है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं खड़ा हूं, आप मेरी सुन लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले मैं आपकी सुनता हूं, मेरी जिद्द नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर परियोजना के

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना में इस समय 5 मेकेनिकल डिविजन मौजूद हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन पांचों डिविजनों में से अधिकांश बेकार हैं और उनके पास कोई काम नहीं है ?

(3) यदि काम है तो क्या ? अब तक इन डिविजनों ने क्या काम किया है ? उन पांचों डिविजनों के पास कुल कितनी मशीनें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि वहां की सारी मशीनें बेकार पड़ी हैं और कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसके बावजूद भी राजस्थान कैनाल में एक और नया मैकेनिकल डिविजन खोला जा रहा है ?

(6) मैकेनिकल डिविजन नं० 1 हनुमानगढ के पास क्या काम है ? पिछले दो सालों में इस डिविजन ने क्या काम किया है ?

(7) प्रगति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

(8) मैकेनिकल डिविजन वर्कशाप, सूरतगढ तथा सेण्ट्रल स्टोर डिविजन, सूरतगढ और फ्लो लाईन डिविजन, विजयनगर में क्या क्या कार्य किया गया है ? प्रगति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

(सिंचाई मंत्री)

(3) काम तथा मशीनों की सूची संलग्न है। कृपया सारणी नम्बर 1 से 5 का अवलोकन करें।

(4) जी हां। राजस्थान नहर परियोजना को अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार एक और डिविजन की स्वीकृति दी गई है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(6) कृपया सारणी नम्बर 3 का अवलोकन करें।

(7) चाही गई सूचना प्रश्न के भाग 3 के संबंध में दी गई सारणियों में अंकित है।

(8) सूची संलग्न है। सारणी संख्या 1 से 4 का अवलोकन करें।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के लिये दी गई धनराशि

76. श्री दुर्गालाल बाहुबार (हवा-महल, जयपुर) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को छात्रवृत्ति के लिये सन् 69-70 ई० के लिये रुपया दिया था ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह सारा रुपया छात्रवृत्ति रूप में बांट दिया गया, और यदि नहीं, तो कितना रुपया और क्यों ?

—

की छात्रवृत्ति हेतु 1.00 लाख रुपया व अनुसूचित जन-जाति हेतु 75,000 का प्रावधान था।

(2) खर्च इस प्रकार रहा :

अनुसूचित जाति	10,526/-
अनुसूचित जन जाति	3,257/-

केन्द्र अर्थ प्रवन्धित योजना का प्रावधान उसी समय काम लिया जा सकता है, जब राज्य सरकार इस कार्य पर वर्ष 68-69 के स्तर का व्यय स्वयं करले। 68-69 के व्यय के स्तर के अनुसार केवल उपरोक्त वर्णित धनराशि की ही 69-70 में आवश्यकता हुई। इस कारण इतना ही खर्च किया जा सका।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगापुर-दौसा मार्ग की बसें

72. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि गंगापुर-दौसा रूट पर चलने वाली सभी यात्री बसों में भारी भीड़ व भारी अनियमितता बरती जाती है ?

(2) क्या यह सच है कि इस बारे में सरकार को जनता व संसद सदस्यों की ओर से भी शिकायतें मिली हैं ?

(3) क्या यह सच है कि शिकायतों के उपरांत भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में इसके सुधार के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(यातायात मंत्री)

जाने की बात सही नहीं है। जिन गाड़ियों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई उनके विरुद्ध आर० टी० ए० द्वारा कार्यवाही की गई है।

(2) जी हां, संसद सदस्य, श्री मीठा लाल मीणा व विधान सभा सदस्य, श्री पृथ्वीराज पटेल की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी।

(3) जी नहीं, शिकायत के फलस्वरूप दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को आर० टी० ए० द्वारा दण्डित किया गया है तथा भविष्य में नियमानुसार चलने के लिये पावन्द किया गया है।

आबयाने की वसूली

73. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में किस किस स्कीम के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि में सिचाई प्रति वर्ष होती है और इसमें बारानी क्षेत्र कितना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ नहरें 6 मासी भी हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी और उन नहरों से आबियाना प्रति एकड़ कितना वसूल किया जाता है ? आबयाने की रेट सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(4) सन् 1950 से आज तक के आबयाना की रेट की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। गंगनहर की दो नहरें लालगढ़ तथा समेजा, 16 मासी हैं इन नहरों से जो आबयाना प्रति एकड़ वसूल किया जाता है उसकी सूची "ब" संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) सूची 'स' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधायकों को स्कूटरों का आवंटन

74. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1967 से अब तक विधायकों के लिए कितने कितने स्कूटरों का कोटा किस किस वर्ष में निर्धारित किया गया व उस अनुसार वितरित किया गया ?

(2) इस उपर्युक्त समय में किस किस विधायक ने कब कब (तारीखवार) आवेदन-पत्र दिया व किस किस ऐसे आवेदनकर्ता को किस किस तारीख को कौन कौन सा स्कूटर आवंटित किया गया ?

(3) क्या उपर्युक्त आवेदनकर्ताओं

(यातायात मन्त्री)

उत्तर

(1) सन् 1967 के सितम्बर-नवम्बर क्वार्टर तक विधायकों के लिये केवल एक ही वेस्पा व एक ही लेम्ब्रेटा निर्धारित था सितम्बर-नवम्बर, 1967, से विधायकों के लिये दो वेस्पा एवं दो लेम्ब्रेटा स्कूटर का कोटा हर तिमाही के लिये निर्धारित हुआ एवं इसी प्रकार हर तिमाही में आवंटित किये जाते हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) हां, स्कूटरों का आवंटन जहां तक सम्भव हो सका है नियमित रूप से ही किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई कार्य

75. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;-

(1) साल 1969-70 तथा 1970-71 में राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितने सिंचाई के कार्य जिलेवार लिये गये और उनम से कितने पूरे किये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त दोनों वर्षों में अगस्त, 1970 तक जिलेवार कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिय)

भीम सागर बांध

76. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीमसागर बान्ध जिला झालावाड़ के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, और यदि नहीं, तो कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

(2) पहले जितनी ऊंचाई की योजना थी वह ही रखी गई है अथवा कम कर दी गई है ?

(3) इस बान्ध का कार्य कब समाप्त होगा ?

(4) बान्ध के कारण कितने ग्राम, कौन कौन से डूब में आयेंगे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इनको बसाने की योजना राज्य सरकार की क्या है ? क्या पहले असनावर गांव के बसने के लिए जो साइट सिलेक्ट किया था वहीं बसाया जायेगा ? पुनर्वास का कार्य राज्य सरकार द्वारा कब शुरू किया जाना है ?

(5) क्या यह सही है कि ग्रामों के मकानों, जमीनों आदि सर्वे का कार्य अभी चालू नहीं हुआ है ? मुआवजा इन गांवों को कब तक दिया जा सकेगा ताकि बान्ध का कार्य पूर्ण होने तक ग्रामों को बसाया जा सके ?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर में गत वर्ष 69 में व इस वर्ष 70

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

म उजाड़ नदी के फ्लड के कारण गांव के आधे मकान पानी में डूब गये थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऊंचाई पहले वाली ही रखी गई है।

(3) बांध का कार्य आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर 1973-74 के मध्य तक समाप्त होने की आशा है।

(4) (अ) इस बांध के डूब में आठ ग्रामों की आबादी एवं भूमि तथा 6 ग्रामों की भूमि आयेगी। जिसकी सूची संलग्न है।

(ब) जिन लोगों की जमीन या मकान डूब में आयेंगे या बांध के निर्माण में काम आयेंगे उनको उचित मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा और उनको बसाने के लिए जमीन आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(5) सर्वे कार्य जल्दी ही प्रारम्भ किया जायेगा और मुआवजा देने की आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी ताकि उनके मकान व जमीन डूब में आने से पहले उन्हें जमीन दे दी जाय।

(6) जी नहीं, गांव के लगभग 50 मकान जिनका कि धरातल नीचा है, बाढ़ के पानी से 1969 में प्रभावित हुए थे। सन् 1970 में कोई भी मकान प्रभावित नहीं हुए।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

जिला टोंक में सिंचाई कार्यों के लिये धनराशि

77. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1970-71 तक जिला टोंक में सिंचाई योजनाओं हेतु धनराशि रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या निम्न बांधों हेतु कुछ धनराशि रखी गई है:—

(क) राजकोट
(ख) शिवदान
(ग) सूथड़ा

यदि हां, तो कितनी धनराशि ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांधों की विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है, जबकि वर्ष 1970-71 के बजट में प्रावधान रखा है ?

(4) विभाग द्वारा अब इन योजनाओं को स्वीकृति देने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1970-71 में टोंक जिले के लिए कुल 6.50 लाख का प्रावधान है।

(2) जी हां, इन बांधों पर रखा गया प्रावधान इस प्रकार है।

कार्य का नाम	70-71 में प्रावधान
राजकोट	1.00 लाख
शिवदान	2.00 ,,
सूथड़ा	निल

(सिंचाई मन्त्री)

(3) बजट में प्रावधान होने के बाद वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(4) जिन कार्यों पर प्रावधान है, उनकी स्वीकृति जल्दी ही प्रदान की जा रही है।

परिवार नियोजन सप्ताह

78. **श्री वृद्धिचन्द्र जन** (बाड़मेर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1965 से 31 अक्टूबर, 1970 तक परिवार नियोजन सप्ताह कहां कहां मनाये गये ? उनमें कितने कितने लूप लगाये गये एवं ऑपरेशन किये गये हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त सप्ताह मनाने पर सरकार का कितना कितना किस किस जिले में कौन कौनसी मद में खर्चा हुआ है ? जानकारी तालिका में सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायतों की बैठकों में अनुपस्थित रहने पर रिक्त स्थान

79. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (1) (2) के अन्तर्गत कोई भी ग्राम पंचायत का सदस्य यदि ग्राम पंचायत की पांच लगातार बैठकों में बावजूद सूचना देने के अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है ? यदि हां, तो रिक्त स्थान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि उसका स्थान रिक्त होने तक वह कार्यवाही में भाग ले सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत अधिनियम में शब्द "स्वत:" ही रिक्त हो जाता है लिखा है ? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार द्वारा घोषणा का क्या अर्थ है ?

(4) राज्य सरकार के पास जिला टोंक के अन्तर्गत ऐसे कितने मामले वास्ते कार्यवाही आये हुए हैं और उनमें क्या निर्णय हुए ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खतोली, पंचायत समिति, उनियारा, जिला टोंक द्वारा दो पंचों का स्थान रिक्त करने की सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपने पद की अवधि के दौरान पंचायत को लिखित में सूचना दिये बिना पंचायत की लगातार 5 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य नियम), 1961 के नियम 12 के अनुसार कार्यवाही के पश्चात् उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा स्थान रिक्त करने की घोषणा की जाती है।

(2) जी हां, सदस्य स्थान रिक्त होने तक कार्यवाही में भाग ले सकता है।

Page No. 36

(पंचायत मन्त्री)

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (2) के स्थान "स्वतः" रिक्त हो जाने का उल्लेख नहीं है। स्थान रिक्त करने की, घोषणा नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा की जाती है।

(4) ऐसा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) हां, यह सही है कि कार्यवाहक सरपंच, पंचायत खतोली द्वारा दो पंचों के स्थान रिक्त करने के संबंध में पंचायत का प्रस्ताव भेजते हुए उप-जिला विकास अधिकारी को स्थान रिक्त करने की घोषणा बाबत लिखा था परन्तु उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा पंचायत के उपरोक्त प्रस्ताव को निरस्त किया गया अतएव स्थान रिक्त नहीं किये गये।

सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ से क्षति

80. **श्री श्रवणलाल (हिंडौन)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1969 में वर्षा के दिनों में सवाई माधोपुर जिले में आई बाढ़ से कितनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्षति हुई ?

(2) सरकार ने अब तक कितनी सहायता किस किस रूप में लोगों को की है ?

(3) भविष्य में बाढ़ को रोकने के लए क्या क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 1969 में वर्षा के दिनों में सवाई माधोपुर जिले में आई बाढ़ के फलस्वरूप विभिन्न स्थानों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निम्न प्रकार क्षति हुई:—

सिंचाई विभाग के बान्ध व नहरों को	23,24,000) रु०
सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों को	79,30,270) रु०
पंचायत समिति के तालाबों को	1,23,545) रु०
निजी तालाबों को	2,78,200) रु०
राजकीय भूमि व वन क्षेत्र	2,17,700) रु०
कुओं को	5,05,100) रु०
राजस्व भूमि, कुओं तथा निजी मकानों	9,65,835) रु०

तहसील, टोडाभीम में बाढ़ के कारण 400 एकड़ भूमि का कटाव तथा रेता आ जाने के कारण क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त 22 पशुधन व 1 लड़की की मृत्यु हुई।

(2) सरकार ने अब तक निम्न प्रकार सहायता दी है :—

(1) जो मकान गिर गये या ढह गये उनके निवासियों को 1,94,000) रु०

(2) भूमि सुधार के लिये कृषकों को तकावी 15,000) रु०

(3) सड़कों की मरम्मत के लिये सा० नि० विभाग को 8,00,000) रु०

(4) तालाबों एवं नहरों की मरम्मत हेतु 3,33,000) रु०

(अकाल राहत मन्त्री)

(5) पंचायत समिति के तालावों की मरम्मत हेतु 2 लाख रु०

(6) भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है। इस विभाग का सम्बन्ध केवल आकस्मिक क्षति से होने वाली सहायता देने तक ही सीमित है।

अकाल के कारण पशुधन की क्षति

81. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में गाय, भैंसें, भेड़, ऊंट, बकरी, खागढ़ व छोटा पशुधन कितना है? तहसीलवाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अकाल पीड़ित क्षेत्रों में कुल कितना पशुधन मौत के मुंह में चला गया व कितना बाकी बचा है? गाय, भैंस, ऊंट, ऊंटनी, भेड़, बकरी, खागड़, भैंसा कुल कितन मर चुके हैं और कितना पशुधन अकाल क्षेत्र से बाहर भेजा गया है?

(3) क्या यह सत्य है कि अकाल वाले क्षेत्र में सरकार द्वारा घास-चारे का प्रबन्ध नहीं करने से पशुधन की मृत्यु हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पशुपालकों को पशुधन खरीदने के लिये अनुदान दिया जावेगा? यदि नहीं, तो पशुपालक अपनी आजीविका का साधन कैसे उपार्जन करेंगे?

(4) क्या यह सही है कि जो पशुधन अकाल वाले क्षेत्र से बाहर भेजा गया था वह भी आधे से ज्यादा मौत के मुंह में चला गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) जिला गंगानगर में कुल कितनी गायें कौनसे स्थान पर सरकार द्वारा भेजी गई और उन गायों में से कुल कितनी मर चुकी हैं और कितनी बाकी हैं? कैम्पवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राजस्थान के विभिन्न जिलों से सम्वत् 2026 में 9,62,927 पशु निष्क्रमण पर गये। कितना पशुधन मौत के मुंह में चला गया इसकी कोई गणना सम्भव नहीं हो सकी है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जिला गंगानगर में 16 पशु शिविर थे जिनमें लगभग 15 हजार गायें विभिन्न शिविरों में रखी गयीं। जो वापस अपने अपने घरों को लौट गईं इसके अलावा सूरतगढ़ फार्म में करीब 30 हजार पशु व हनुमानगढ़ के वन में लगभग 2 हजार पशु रखे गये। इनमें से भी पशुओं के मरने की सूचना नहीं है। कैम्पवार तालिका इस प्रकार है:-

नाम कैम्प	पशु संख्या
गंगानगर	1301
करनपुर	328
सहजीपुरा	345
फतेगढ़	345

(अकाल राहत मन्त्री)

नाम कैम्प	पशु संख्या
रामसरा नारायण	351
मकासर कैम्प	3154
नोहर	956
सूरतगढ़	101
हनुमानगढ़	745
चकजेड	197
पदमपुर	155

शेष शिविरों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

चारे की खरीद

82. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अकाल प्रभावित जिलों के लिये अकाल सहायता विभाग द्वारा नागौर, जोधपुर जिलों में चारा खरीदा गया ? अगर हां, तो कौन कौन ठेकेदार नियुक्त किये गये और किस किस के द्वारा ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस प्रकार से कितना चारा उपरोक्त जिलों में खरीदा गया और उसमें से कितना चारा दूसरे जिलों में भेजा गया और कितना उसी जिले में वितरित हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चारा खुली बोली से खरीदा गया या भाव निर्धारित दर से ? खरीद की दर क्या थी ?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर, जोधपुर जिलों में अकाल सहायता विभाग द्वारा सम्वत् 2026 में चारे की खरीद हुई थी। इस खरीद के लिये किसी ठेकेदार को नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि सरकारी आदेशानुसार निर्धारित दर पर ही चारा खरीदा गया था।

(2) नागौर जिले में कुल 38086-52-250 क्वि० चारे की खरीद हुई तथा जोधपुर जिले में 575 क्वि० चारा खरीदा गया था। यह चारा अन्य जिलों में नहीं भेजा गया, बल्कि इन्हीं जिलों में वितरित किया गया।

(3) चारा भाव निर्धारित करके खरीदा गया था। नागौर जिले में खरीद की दर इस प्रकार थी:—

बाजरा कड़बी 24 रु० क्वि० रेलवे स्टेशन के डिपो व 25 रु० आय डिपो, 27 रु० क्वि० बाजरे की नई फसल की कड़बी व 28 रु० अन्य डिपो पर नई फसल की कड़बी, खाखला 20 रु० क्वि० तथा ज्वार कुतर 31 रु० प्रति क्वि० से खरीद की गई। जोधपुर जिले में चारा 7.50 पै० प्रति क्वि० की दर से खरीद किया गया।

पिवाई के लिये अनुदान

83. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1967-68, 1968-69 व 1969-70 में बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिले में कितने गांवों में पिवाई के लिये अनुदान दिया जाता था ? वर्षवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिवाई किस तारीख से किस गांव

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
म प्रारम्भ की गई और किस तारीख तक चलती रही ? अनुदान की दर प्रति गांव प्रति माह क्या थी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें और यह भी बताने का कष्ट करें कि किस किस तारीख को भुगतान हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिवाई चलानेवाले व्यक्ति से एक एग्रीमेंट भी लिखाया जाता है ? अगर हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है जिन लोगों को पिवाई का अनुदान मिलता था उनसे अकाल सहायता भत्ता जो उनको दिया गया उसकी वसूली वापिस की गई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत लूंछ के सरपंच का चार्ज

84. **श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लूंछ, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू के सरपंच का देहान्त दिनांक 28-1-70 को हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत के सचिव ने इस घटना की सूचना विकास अधिकारी, रतनगढ़ को आज तक नहीं की है ? अगर सूचना की तो, कब की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत लूंछ के उप-सरपंच को सरपंच का चार्ज अब तक नहीं दिया गया ? चार्ज दिया गया तो कब दिया गया ?

(4) सरपंच की मृत्यु के बाद चार्ज कब से कब तक किस किस के पास रहा ?

(5) क्या यह सही है कि मृत्यु होने से चार्ज संभालने तक के अर्से में पंचायत के रेकार्ड में हेरा-फेरी व धन का दुरुपयोग किया गया।

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी नहीं। पंचायत के सचिव ने इसकी सूचना 12-2-70 के पत्र द्वारा दी जो 16-2-70 को समिति में प्राप्त हुई।

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 16(2) के अन्तर्गत सरपंच की अनुपस्थिति में उप-सरपंच सरपंच के अधिकार ग्रहण कर लेता है। केवल रेकार्ड वा चार्ज सरपंच को सचिव द्वारा 13-6-70 को संभलाया गया है।

(4) सरपंच की मृत्यु के बाद सरपंच ने अधिनियम की धारा 16 (2) के अन्तर्गत सरपंच के अधिकार ग्रहण कर लिये रेकार्ड का चार्ज 12-6-70 तक सचिव के पास ही रहा।

(5) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ग्रामीण पेयजल योजनाएं

85. **श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर)**: क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत पिछले दो वर्षों में राजस्थान में अकाल

Page No. 40

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

के खर्च से कुछ ग्रामीण पेय जल योजनायें स्वीकृत की गई हैं ? अगर हां, तो जिलेवार योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर से सम गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से पानी वाहनों द्वारा पहुंचाया जा रहा है ? अगर हां, तो इस योजना को प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले की अकाल सलाहकार समिति ने, जिलाधीश ने, व विभाग ने इन योजनाओं को अति आवश्यक बताकर प्रारम्भ करने के लिये राज्य सरकार के पास भेजा है— (1) रामगढ़-रनाऊ, (2) खूड़ी-छतांगर, (3) राजमथाई-फलसूंड, (4) सम-जैसलमेर, (5) लाठी-खेतालाई, ओढा-णिया-भिनाणियाई, (6) बैराना-लावरकी ? अगर हां, तो इनको प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। गत दो वर्षों में राजस्थान में अकाल के मद से कुछ ग्रामीण पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जैसलमेर से समी वाहनों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। इस योजना को सर्वे नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया।

(3) जी हां। जैसलमेर जिले की अकाल सलाहकार समिति व जिलाधीश ने इनमें से कुछ योजनाओं को लिये जाने की सिफारिश की थी, किन्तु इनमें से किसी भी योजना का सर्वे नहीं होने एवं तकनीकी अनुमान प्राप्त नहीं होने के कारण कोई योजना नहीं ली जा सकी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पम्पिंग सेटस की खरीद व कुए बांधने के लिये ऋण

86. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचोर में पंपिंग सेट्स ऋण व सिंचाई कुए बांधने के लिये ऋण की क्या व्यवस्था की गई है ताकि अकाल वर्ष में काश्तकार को उत्पादन करने में सहायता दी जा सके ?

(2) यह ऋण कब तक मंजूर करके काश्तकारों को वितरण कर दिया जावेगा ?

(3) यह ऋण किस एजेंसी द्वारा वितरण किया जावेगा एवं किन नियमों के तहत वितरण होगा ? शीघ्र ऐसा ऋण काश्तकारों को वितरण हो, इसकी क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कुए गहरे कराने एवं पम्पिंग सेट्स ऋण के लिये 4 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ? अगर हां, तो कब ? उसका वितरण नहीं करने के क्या कारण थे ? अब उसका वितरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

(1) तहसील, सांचोर में कुए गहरे करवाने के लिये कोई रकम जिलाधीश द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। पम्पिंग सेट्स के लिए 20 हजार रु० स्वीकृत किया गया।

(2) यह ऋण मन्जूर करके वितरित किया जा चुका है।

(3) यह रकम पंचायत समिति के अभिकरण से वितरित की जानी थी, व पंचायत समिति ऋण नियमों के अन्तर्गत वितरित की गई।

(4) जिला जालोर के लिये 3 लाख रु० कुए गहरे कराने हेतु, 2 लाख रु० सिंचाई के कुओं पर पम्पिंग सेट्स लगाने हेतु, इस प्रकार कुल 5 लाख रु० जनवरी, 70 में स्वीकृत किया गया था। तहसील सांचोर के लिये अलग से 4 लाख ० का ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सका। जिन पंचायत समितियों के पी० डी० अकाउन्ट में धनराशि पहले हस्तान्तरित कर दी गई थी, उनमें से अब धनराशि निकलवाकर इस वर्ष सांचोर पंचायत समिति को प्रावधान दिया जाकर वितरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार व्यक्ति

87. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार व्यक्ति हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि समाज-कल्याण विभाग में एक डिप्टी डायरेक्टर (एम्पलॉयमेंट ट्रेनिंग) के पद का सृजन किया गया है ? यदि हां, तो कब से व उन्होंने कार्य कब से प्रारम्भ किया है ?

(3) राज्य में कुल कितने पद किस किस वर्ग के अनुसूचित जन-जाति के लिए सुरक्षित पद रिक्त हैं तथा उनकी पूर्ति के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनूसूचित जन-जाति के प्रार्थियों को रोजगार दिलाने में शिथिलता बर्ती जा रही है ? यदि नहीं, तो अब तक समाज-कल्याण विभाग द्वारा कितने प्रार्थी सुरक्षित पदों पर नियोजित कराए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां, उपनिदेशक (रोजगार व शिक्षा) के पद का सृजन 1 मई, 1970 से किया गया है और पद का कार्य भार 18 जुलाई, 1970 को लिया गया।

(3) इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य में दिनांक 7-4-70 से हर वर्गों की सेवायें 11% स्थान अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने भी सभी विभागों को हिदायत दी है कि इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(समाज कल्याण मंत्री)

(4) जी नहीं। समाज-कल्याण विभाग के रोजगार प्रकोष्ठ से अनुसूचित जन-जाति के 54 प्रत्यशियों की विभिन्न विभागों में नियोजनार्थ सिफारिश की गयी है। जिनमें से एक को कनिष्ठ लिपिक के पद पर तथा 2 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियोजित किये जाने की सूचना प्राप्त हो गयी है। शेष के बारे में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

अस्थाई वैलफेयर इन्सपेक्टर्स की इन्टरलेस्ड सीनियोरिटी लिस्ट

88. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1-11-1956 को कार्य-कर रहे अस्थाई वैलफेयर इन्सपेक्टर्स ग्रेड 1 की क्या कोई इन्टरलेस्ड सीनियोरिटी लिस्ट राज-पत्र में प्रकाशित की गई थी ? यदि हां, तो इसको एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त तालिका में अंकित कर्म-चारियों की शैक्षिणिक योग्यता क्या क्या है तथा वर्तमान में वे किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि कोई रिटायर हो गये हों-अंतिम दिन में कौन से पद धारण करते थे, सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि 1960 में विभाग में न्यू सेट-अप के कारण कुछ वलफेयर इन्सपेक्टर्स के पद कम हुए थे जिसके परिणाम-स्वरूप कुछ निरीक्षकों को अन्य पदों पर एडजस्ट किया गया था तथा आदेश क्रमांक एस्ट। 157005, दिनांक 22-12-1960 द्वारा उनकी सीनियोरिटी और क्लेम वैलफेयर इन्सपेक्टर्स के पद पर यथावत् सुरक्षित रखे गए थे ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त आश्वासन के बावजूद प्रभावित कर्मचारियों की उनके क्लेम देने की बजाय बिना लोक सेवा आयोग से चयनित जूनियर कर्मचारियों को इन्सपेक्टर्स लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो 1960 के प्रभावित कर्मचारियों (इन्सपेक्टर्स) को अब तक किस किस पद पर कितनी कितनी अवधि तक रखा गया और वर्तमान में वे किस पद पर कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। तथा 1960 से अब तक नियुक्त कल्याण निरीक्षकों की तालिका उनकी वर्तमान पद स्थापन की सूचना के साथ सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। साथ ही बताने की कृपा करें कि इनमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कौन कौन हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि समाज-कल्याण विभाग द्वारा गत वर्ष स्क्रीनिंग किया गया था ? यदि हां, तो क्या 1960 के प्रभावित कर्मचारियों (इन्स-पेक्टर्स) के प्रकरण भी उसमें लिये गये थे ? यदि हां, तो किस किस के ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

योजनाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

89. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने सन् 56-57 से सन् 68-69 तक कुल योजनाओं में विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया ?

आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार उन जिलों को जिन पर प्रति व्यक्ति बहुत कम व्यय होने के कारण बहुत पिछड़े हुए हैं उनके विकास में दूसरे जिलों के मुकाबले में चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देकर अधिक व्यय करेगी ?

उत्तर

(1) जिलेवार आंकड़ों की तालिका संलग्न है ।

(2) योजना में विभिन्न जिलों में व्यय का आधार विभिन्न विकास मदों के अन्तर्गत जिले विशेष की आवश्यकताएं हैं न कि प्रति व्यक्ति योजनान्तर्गत व्यय । प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर किन्हीं जिलों को पिछड़ा हुआ मानना उपयुक्त नहीं होगा ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

इन्जीनियरों की लिस्ट

90. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस समय योजना विभाग की जनशक्ति (मैन पॉवर) शाखा में कितने इंजीनियरों की फहरिस्त मौजूद है ?

(2) इस फहरिस्त में कुल कितने इंजीनियरों ने नाम दर्ज करवाये और उनमें से कितनों को इंजीनियरिंग के विभिन्न विभागों में काम पर लगाया गया ? कृपया विभागानुसार सूची सदन को देने का कष्ट करें ।

(3) क्या इस वर्ष 47 इंजीनियर व ओवरसियर सरप्लस किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें वापिस किसी स्थान पर नियुक्त किया गया ? क्या उनकी सर्विस कन्टीन्यू रही ?

(4) इस वर्ष इंजीनियरिंग के विभिन्न महकमों में कितने नये काम विभागीय आधार पर कहां कहां पर करवाये गये और इन कामों पर विभिन्न विभागों में ए व बी श्रेणी के विभागीय आधार पर कामों में कितने इंजीनियर व ओवरसियरों को काम पर लगाया गया ?

उत्तर

(1) आयोजना (जनशक्ति) विभाग में 2,282 बेरोजगार इंजिनियरों (स्नातक एवं डिप्लोमाधारी) की फहरिस्त मौजूद है ।

(2) 4669 इंजीनियरों (स्नातक एवं डिप्लोमाधारी) ने नाम दर्ज करवाये । जिन अभियांत्रिकों को नियुक्ति संबंधी सुविधा प्रदान की गई उनकी विभागानुसार संख्या निम्न प्रकार से है:—

विभाग का नाम	संख्या
1. भवन एवं पथ	1717
2. सिंचाई	427

(योजना मंत्री)

विभाग नाम	संख्या
3. राजस्थान भू-जल मण्डल	36
4. जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	61
5. नगर नियोजन	11
6. मालविया इंजीनियरिंग कॉलेज	2
7. खनिज एवं भू-विज्ञान	18
8. राणा प्रताप सागर बांध	29
9. विद्युत् निरीक्षणालय	3
10. यू० एन० डी० पी०, कोटा	4
11. राजकीय ऊन मिल, बीकानेर	1
12. कृषि विभाग	15
13. कृषि अभियांत्रिक मण्डल	37
14. राजस्थान नहर परियोजना	24
15. अन्य	2
	2387

(3) इस वर्ष (1970) 47 इंजीनियर व ओवरसियर सरप्लस घोषित नहीं किये गए परन्तु वर्ष 1968-69 में सामान्य प्रशासन विभाग म 47 कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से सरप्लस होकर आये थे जिनका सिंचाई विभाग में समावेश कर दिया गया था परन्तु अकाल सहायता कार्य के संबंध में पदों के उपलब्ध होने के कारण ये वापिस अपने विभाग में पुनः समायोजित कर दिये गये तथा इनकी सर्विस कन्टीन्यू रही।

सार्वजनिक निर्माण विभाग म भवन निर्माण के सारे कार्य जो कि जिला मुख्यालय एवं उप-जिला मुख्यालय पर स्थित है, विभागीय स्तर पर किये जा रहे हैं। अलग से इन कार्यों के संचालन के लिए (अकाल राहत कार्यों को छोड़ कर) कोई अतिरिक्त नियुक्ति नहीं की गई। जन-स्वास्थ्य विभाग में कार्य साधारणतया ठेकेदारों द्वारा ही करवाया जाता है। यदि कोई कार्य विभाग द्वारा किया गया हो तो उसके लिए कोई इंजीनियर या ओवरसियर को नौकर नहीं रखा गया है। राजस्थान नहर परियोजना विभाग में इस वर्ष बड़े और मट्टे विभागीय आधार पर चलाये जाने का प्रावधान है जिसके लिए 2 सब-डिविजनों का सृजन किया गया है। इस कार्य के लिए 2 सहायक अभियन्ता व 12 अधीनस्थ अभियन्ताओं की नियुक्तियां की गई हैं। इसी प्रकार राणा प्रताप व जवाहर सागर बांध विभाग में इस वर्ष निम्न कार्य विभागीय आधार पर शुरू करवाये गए हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं:—

1. पेनस्टोक्स कांक्रीटिंग जवाहर सागर बांध।
2. कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंकर ब्लॉक नम्बर 16 से 20—जवाहर सागर बांध।
3. रोड फोरमेशन वर्क ब्राह्मणी नदी एवं भैंसरोड़गढ़ पुल के बीच—रावतभाटा।

(4) इन कार्यों पर विभागीय आधार पर 5 डिप्लोमाधारियों को ओवरसियर के पदों पर वर्कचार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य विभागों में कोई भी कार्य विभागीय आधार पर नहीं किया गया।

सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापिका को पेन्शन का मामला

91. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापिका श्रीमती रामप्यारी बहन की नियुक्ति इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जोधपुर के कार्यालय द्वारा 29-8-53 को हुई थी और सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) पंचायत समिति, सिरोही के कालन्द्री गांव की कन्या शाला के प्रधानाध्यापिका पद से तारीख 15-5-1968 को हुई थी ?

(2) सेवा निवृत्ति के पश्चात् क्या यह सही है कि श्रीमती रामप्यारी बहन को अभी तक पेन्शन का एक पैसा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्रीमती रामप्यारी बहन ने बार बार आवेदन-पत्र पंचायत समिति, सिरोही एवं इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जोधपुर को भेजे हैं । परन्तु उन्हें कोई उत्तर कहीं से भी आज तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) श्रीमती रामप्यारी बहन को उनकी पेन्शन की रकम अब कब दी जायगी ?

उत्तर

(1) चूंकि स्थानान्तरण होते ही कर्मचारी का सेवा अभिलेख, जहां उसका स्थानान्तरण होता है भेज दिया जाता है इस कारण सेवा अभिलेख यहां नहीं होने से यह विभाग उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ।

(2) इसका उत्तर विकास अधिकारी, कालन्द्री दे सकते हैं क्योंकि रामप्यारी बहन की सेवा-निवृत्ति वहीं से हुई थी ।

(3) शिक्षा विभाग में रामप्यारी बहन का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(4) जिस स्थान से कार्यकर्त्ता की सेवा निवृत्ति होती है वहीं पेन्शन का मामला भी तैयार होता है अत: शिक्षा विभाग से सम्बन्ध नहीं है ।

विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा

92. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने ऐसे प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल हैं जहां पर विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है ?

(2) छात्राओं के कितने हैं एवं छात्रों के कितने ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि वर्तमान शिक्षा पद्धत्ति देश में पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या हर वर्ष बढ़ा रही है ? यदि हां, तो शिक्षा पद्धत्ति में क्या परिवर्तन किया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार ने यह सोचा है कि प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पढाई के साथ साथ सिलाई, कताई, बुनाई, रंगाई, लोहारी और कृषि कार्य भी सिखाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री हंसराज आर्य)

(5) इस समय राजस्थान में पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या क्या है और शिक्षा में परिवर्तन करके उनकी बेकारी दूर करने का क्या क्या उपाय सोचे गये हैं ?

(6) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी शिक्षा सत्र से प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पढ़ाने वाले अध्यापक न लेकर कोई अन्य लिया करेगा ?

(7) राजस्थान में क्या कहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध है ?

(8) यदि हां, तो आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखे जावें ।

(9) गांवों म प्रौढ़शालाएं किस किस महीने में कितने समय तक रोजाना चलती हैं ?

(10) राजस्थान में अन्धे, बहरों की शालाएं कहां कहां पर हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के समस्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालायें बेसिक ओरियन्टेड हैं प्राथमिक शालाओं की संख्या 18936 व उच्च प्राथमिक शालाओं की संख्या 2002 वर्ष 1969-70 के अन्त में थीं ।

(2) इनमें से लड़कियों की प्राथमिक शालायें 990 व उच्च प्राथमिक शालायें 252 थीं ?

(3) यह सही नहीं है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति देश में पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या हर वर्ष बढ़ा रही है । पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या बढ़ाने में शिक्षा पद्धति का कोई कारण नहीं है, बल्कि शिक्षा की वृद्धि की मात्रा के अनुपात में बढ़ती हुई जनसंख्या की दुगुनी चौगुनी मात्रा व आर्थिक विकास की धीमी गति ही कारण है फिर भी शिक्षित बेकारी की बढ़ती हुई समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार शिक्षा पद्धति में काफी परिवर्तन किया जा रहा है:—

(अ) कार्य अनुभव योजना को अभी माध्यमिक स्कूलों में तो लागू कर दिया है धीरे 2 इसे उच्च, प्राथमिक व प्राथमिक शालाओं में भी प्रारम्भ किया जा रहा है।

(ब) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे छात्र आगे चलकर व्यवसाय व कृषि में लग सकें ।

(स) तकनिकी शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाया जा रहा है । तकनिकी स्तर पर डिप्लोमा कोर्स व डिग्री कोर्स ऑन दी जॉब (प्रेक्टिकल ट्रेनिंग) के प्रबन्ध की भी व्यवस्था की जा रही है ।

(4) जी हां । सरकार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में कार्यानुभव पर भारत सरकार को दी गई रिपोर्ट पर विचार कर सिलाई, बुनाई, लुहारी, कृषि इत्यादि की शिक्षा का प्रबन्ध करने जा रही है। माध्यमिक स्तर पर तो इसे काफी रूप में लागू किया जा चुका है ।

(5) शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है, फिर ऐसी बेकारी को दूर करने के प्रयत्नों प्रश्न 3 के उत्तर में उल्लिखित हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(6) कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(7) राजस्थान में 232 पंचायत समितियों द्वारा अपने क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

(8) सूची संलग्न है।

(9) प्रति वर्ष सत्रानुसार पांच माह तक पंचायत समितियों द्वारा अपने क्षेत्र में अपनी सुविधा के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किया जाता है।

(10) राजस्थान में अन्धे व बहरों के स्कूल निम्न स्थानों पर हैं:—

1. राजकीय नेत्रहीन माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

2. राजकीय नेत्रहीन व छात्रावासित पाठशाला, बीकानेर।

3. सेठ आनन्दीलाल पोद्दार इन्स्टीट्यूट फार डीफ, डम्ब एण्ड ब्लाईन्ड, जयपुर।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नये हायर सेकेन्डरी स्कूल

93. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1969-70 वित्तीय वर्ष में कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल नए स्कूल खोले जाने की स्वीकृति दी गई? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए 1969-70 के वित्तीय वर्ष में कुल कितना बजट प्रावधान रखा जाकर उसके मुकाबले में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

(3) जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसमें कितने मिडिल स्कूल और सेकेन्डरी स्कूल खोले जा सकते थे? एक हायर सेकेन्डरी पर कितना खर्च किया गया है?

उत्तर

(1) सत्र 1969-70 में निम्नलिखित सेकेन्डरी स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया:—

1. राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, खेतड़ी (झुन्झुनू)।

2. राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, आबूरोड (सिरोही)।

उक्त रोगों शाखाओं को राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मंवर, तथा रोहिड़ा, जिला सिरोही को सेकेन्डरी स्तर पर अवन्नत कर, को क्रमोन्नत किया गया था।

(2) वर्ष 1969-70 में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं था।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम जव्बाड़े का मिडिल स्कूल

94. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील बस्सी के ग्राम जव्बांडे के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित करने हेतु संचालक, शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत से जानकारी

(श्री कन्हैयालाल)

चाही गयी थी ? यदि हां, तो किस तारीख को और पंचायत ने इसके बारे में क्या जवाब दिया ?

उत्तर

यह सही नहीं है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोटखावदा के मिडिल स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में परिवर्तन

95. **श्री शम्भूराम** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार काटखावदा, तहसील चाकसू की मिडिल-स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल नही होने के कारण गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये बाहर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में कब तक कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आगामी वर्ष 1971-72 में बजट में प्रावधान होने पर गुणवागण के आधार पर विचार किया जायगा ।

(2) यह सही है । उत्तर प्रश्न के भाग (1) में निहित है ।

निजी खर्चे से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक

96. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राजस्थान में 1967 से 1969 तक कितने शिक्षकों ने निजी खर्चे से बी० एड० का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

(2) क्या निजी खर्चे से बी० एड० करने वाले शिक्षकों को द्वितीय वेतन श्रृंखला दे दी गई है ? यदि हां, तो कितनों की और यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) करीब 6,000 व्यक्तियों ने यह संख्या सेवारत अध्यापक व नये विद्यार्थियों को मिला कर है ।

(2) विभाग वरिष्ठतानुसार बी० एड० के लिए डेप्युटेशन करता है और वरिष्ठतानुसार पदोन्नति दी जाती है । अपने खर्चे पर बी० एड० करने वालों को ही द्वितीय वेतन श्रृंखला प्रदान की जाती है परन्तु यह पदोन्नति मेरिट के अनुसार प्रदान की जाती है । द्वितीय वेतन श्रृंखला देने की सूचना मंगाई जा रही है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:–

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें दिनांक 29-5-70 की रात्रि को अजमेर की घूघरा घाटी में किशोर मूलानी नामक व्यक्ति की हत्या कर देने तथा उस संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरतने का उल्लेख किया गया है ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम सेवाड़ी के नागरिकों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के संबंध, में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत आसोटा पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के सरपंच ने 20 बीघा भूमि हरिजन बस्ती बसाने के लिए आबादी में परिवर्तन करा कर उस भूमि को हरिजनों को न देकर अपने नाम तथा अपनी पत्नी, बच्चे और अपने अन्य रिश्तेदारों के नाम पट्टे बनवा लिए।

(4) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले के कृषकों को डाईअमोनियम फास्फेट खाद निर्धारित भाव से ऊंची दर पर भी न मिलने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा ने श्रमिक वर्ग की चिकित्सा सुविधा विशेषकर कोटा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की चिकित्सा हेतु स्थापित ई० एस० आई० डिस्पेन्सरीज की अव्यवस्था के संबंध म एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा ने एक और भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 301 जूनियर इन्जीनियर्स व ओवरसियर्स को उनके आदेश दिनांक 16-9-70 के जरिये सरप्लस घोषित करने व उनम से केवल 70 व्यक्तियों को दिसम्बर, 1970 तक के लिए ही लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:–

(1) श्री जुझारसिंह, सदस्य, विधान सभा ने झालावाड़ जिले के सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने व नियमों के विरुद्ध दो सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने जिला परिवार नियोजन अधिकारी, पाली द्वारा "निरोध प्रयोग में लाने का तरीके" नाम से भद्दे परचे वितरित करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की की सूचना दी है।

(3) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर के निर्वाचन के संबंध में सदस्यों के सहवरण की तिथि निर्वाचन अधिकारी द्वारा बदल देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा न कस्बा नोहर की हायर सकेन्डरी स्कूल व बस स्टेन्ड के पास शराब का ठेका खोल देने से वहां ी

(श्री उपाध्यक्ष)

जनता द्वारा आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(5) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान के राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करने के लिये उनके साथ हुए समझौते को राज्य सरकार द्वारा पूरा न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इसी आशय के स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी जो 4 नवम्बर, 1970 को अस्वीकार की गई है । राज्य सरकार द्वारा किया गया आश्वासन स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ।

ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे । अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इन स्थगन प्रस्तावों के अलावा निम्नांकित दो प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :--

(1) श्री सतीशचन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा सीलिंग कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू न करने के कारण भूमिहीन किसानों में असंतोष के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी । राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है कि सीलिंग कानून की क्रियान्विति हेतु उनके द्वारा सक्रिय कार्यवाही की गई है । फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिया जाये ।

(2) श्री सतीशचन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा के चम्बल घाटी क्षेत्र में डाकुओं के आतंक के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार द्वारा जो उत्तर भेजा गया है उसमें कहा गया है कि डकैतों के उन्मूलन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किये गये हैं जिसके फलस्वरूप डकैतों की संख्या कम हुई है । अपहृत व्यक्तियों को छोड़ने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा गत 3 वर्षों में मारे गये डाकुओं की संख्या से इस वर्ष की संख्या अत्यधिक है ।

ऊपर बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई है ।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री विजयसिंह (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में इस प्रकार के पेम्फलेट वितरित किये हैं जिनको मैं पढ़कर यहां पर नहीं सुनाना चाहता । आप ही स्वयम् इसको पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि पाली जिले में परिवार नियोजन के द्वारा किस प्रकार के गन्दे पेम्फलेट वितरित किये गये हैं जिससे बड़ी शर्म और ग्लानि महसूस होती है । मेरे पास पाली जिले के

(श्री विजयसिंह)

नवयुवक और नवयुवतियों के हस्ताक्षर-युक्त प्रार्थना-पत्र आये हैं । उन्होंने लिख कर भेजा है कि इस प्रकार के पेम्फलेट पाली जिले के परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा निकाले जाकर वितरित किये गये हैं इससे नवयुवक और नवयुवतियों के ऊपर बुरा असर होगा । अतः मैं इसको पढ़ना तो नहीं चाहता लेकिन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आप स्वयं ही इसको पढ़ें अथवा जो और माननीय सदस्य पढ़ना चाहें वह पढ़ें ।

(पेम्फलेट प्रस्तुत किया गया)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके विषय में आसन के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार से जानकारी ली जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप इस पर क्यों बोल रहे हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : आप जरूर जानकारी कर लें लेकिन मेरा निवेदन है कि मई से लेकर आज तक कोई भी केस कोर्ट में इस सम्बन्ध में चालान नहीं किया गया है । 29 मई, 1970 को रात्रि के 12 1। बजे उस किशोर नवयुवक का मर्डर हुआ है । चार रुपये का शराब खरीदा गया । सब ने शराब पिया । कांग्रेस के नेता का इसमें हाथ है । महिला का एबोर्शन कराया और वह महिला भी मर चुकी है । इस कांग्रेसी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री भगवानदास शास्त्री : उस कांग्रेस नेता को बचाने के लिये इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर की घूघरा घाटी में दो तीन मर्डर हुए हैं । 302 के केस हैं । मुलजिम......

श्री उपाध्यक्ष: इस पर जानकारी चाही गयी है, माननीय सदस्य । आपको इस प्रकार के फेक्ट्स देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर की यह घूघरा घाटी एक मर्डरर्स का घर बन गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । यह सब जानकारी सदन के सामने आवेगी ।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं आपसे सहमत हूं । अजमेर में ला एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन खराब है और इस प्रकार अजमेर आपके कब्जे में नहीं आ सकता इन हरकतों से । 30 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य । आॅर्डर प्लीज । भाषण अंकित न हो ।

श्री भगवानदास शास्त्री : × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । भाषण अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No. 52

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । अभी आप चर्चा उठा रहे हैं । ऑर्डर प्लीज ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे एडजार्नमेंट मोशन, जो कि फील्ड फायरिंग क्षेत्र के विवादास्पद मामले के सम्बन्ध में था, आसन से यह व्यवस्था दी गयी थी कि इसकी जानकारी प्राप्त करके जवाब दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब के लिये नहीं कहा था ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जानकारी प्राप्त करके व्यवस्था दी जावेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय फील्ड फायरिंग के क्षेत्र के सम्बन्ध में जो विवाद चल रहा है........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । भाषण नहीं होगा । अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । फिर इस पर भाषण कसे होगा ? आपने फरमा दिया है इस पर जल्दी ही ताकीद करेंगे ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : 66 म यह फील्ड फायरिंग क्षेत्र निर्धारित हुआ और आज तक सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है । राजस्व सचिव के पास पूर्ण जानकारी पड़ी हुई है । न तो उसके लिये गंगानगर और न ही जैसलमेर जाना है । निर्णय लिये हुए पड़े हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं किये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : भाष नहीं होगा, माननीय सदस्य । दुबारा ताकीद की जा रही है कि जल्दी ही जानकारी दी जाय । यह दुर्भाग्य की बात है, अब तक जानकारी नहीं दी गयी है । अब और कोशिश करेंगे कि आज ही सूचना उपलब्ध हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी व्यवस्था समझ नहीं पाये हैं । राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था........

श्री उपाध्यक्ष : उप-मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये क्या वह स्थगन प्रस्ताव के आधार नहीं बन सकते ? उप-मंत्री भी सरकार के उप-मंत्री हैं । हड़ताल वापिस हुई और नेगोशियेशन्स हुए । तीन महत्वपूर्ण आश्वासन दिये गये और घोषणा भी हो गयी । अन्तरिम राहत सम्बन्धी जो आश्वासन था वह आज तक मामला पेन्डिंग है और घोषणा नहीं की गयी है और मुख्य मंत्रीजी ने उस समय कहा था कि जैसे ही केन्द्रीय सरकार की घोषणा होगी और जबसे वह लागू करेगी तो हम भी लागू करेंगे । ऐसी अभूतपूर्व हड़ताल हुई थी जिससे सारा काम काज ही ठप्प हो गया था आश्वासन लागू नहीं होने से कर्मचारियों म असन्तोष है । एसी वापिस स्थिति आवे यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । आया मुख्य मंत्री महोदय स बात को स्वीकार करते हैं कि यह आश्वासन दिया है ? कैसी क्या स्थिति है इस बारे में वे हमें विधान सभा के सदस्यों को कोन्फीडेन्स में लेते । आज जिस प्रकार की कर्मचारियों की स्थिति है उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं उनके दिलों में बड़ा असन्तोष है दुबारा उनके द्वारा एजीटेशन करने का मामला उठाया जा रहा है क्योंकि आपने जो उनको आश्वासन दि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हैं वे पूरे नहीं हुए हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा यह महत्वपूर्ण मसला है। पहले भी जो कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी उसमें सारे राज्य का सरकारी काम काज ठप्प हो गया था हमारे विधान सभा के कर्मचारी भी उसमें शामिल हुए थे। इसलिए इस स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इस दृष्टि से मुख्यमंत्रीजी से इस बारे में वक्तव्य दिलवाइये ताकि स्थिति स्पष्ट हो।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि आपने फरमाया किसी मंत्री महोदय के आश्वासन को एडजोर्नमेण्ट का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये। यह ठीक है कि आश्वासन एडजोर्नमेण्ट मोशन का आधार नहीं है लेकिन जो आश्वासन दिया गया उसका पालन नहीं किया गया इसलिये यह ही इसका आधार है।

आप जानते हैं राज्य सरकार के और कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बीच समझौता हुआ था। उसके आधार पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की थी। इस बारे में होना तो यह चाहिये था कि मुख्यमंत्री की ओर से सदन के शुरू होने के बाद उस सारे पत्र व्यवहार को और जिस जिस बात को लेकर समझौता हुआ है उसको सदन की मेज पर रखा जाता ताकि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से परिचित हो जाते कि किस प्रकार का समझौता हुआ वे सब पेपर सदन की मेज पर रखे जाते। हमारी विधान सभा में यह परम्परा कि सरकार अपनी ओर से जानकारी दे दे यह तो कमी रही नहीं और मैं तो यह आशा करता हूं भविष्य में भी ऐसा होना मुश्किल है सरकार की नीति को देखते हुए कि वे इस प्रकार की सब जानकारी सदन को दें।

एडजोर्नमेण्ट मोशन के रूप में जो मुद्दा उठाया गया है उसका मकसद यह है कि इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे पहले कि इस पर वाद-विवाद सारी पत्रावली सदन की मेज पर रख दी जाय जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्रीजी आज सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल अत्यावश्यक सेवा अधिनियम पर विचार होने से पहले अपना वक्तव्य दे दें। ताकि उसी वक्तव्य को आधार बनाकर इस पर चर्चा की जा सके नहीं तो केवल राउण्ड अबाउट ही बहस होगी। इससे जो मन्तव्य हम निकालना चाहेंगे वह नहीं निकाल पायेंगे। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से एक वक्तव्य आज या कल विधेयक पर विचार करने से पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से दिलवा दें या संघ के साथ जो भी पत्रावली और समझौता हुआ है वह सदन की मेज पर रख दें।

(विराम)

सरकार आपके आदेश का इन्तजार कर रही है बाकी वे तो तैयार हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव जो इस सम्बन्ध में था उसको डिस अलाउ कर दिया गया है। फिर भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये तीन बजे अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के

Page No. 54

(श्री उपाध्यक्ष)

बीच और अध्यक्ष महोदय के बीच बातचीत होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने कुछ स्थगन प्रस्तावों के बारे में पुर्नविचार करके स्टेटमेन्ट दिलवाने के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : तीन बजे जिन पर पुनर्विचार के लिये कहा था वह भी देख लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री ज्वाला-प्रसाद ने एक जमीन और उसके अन्दर जो कुआं है उस पर कब्जा कर लिया है उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव था...

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई, प्रयत्न किया जा रहा है सूचना जल्दी प्राप्त हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था खाद के बारे में......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य, यह प्रश्न अभी नहीं है। राज्य सरकार से जवाब नहीं आया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, वेअर हाउसिग कोरपोरेशन ने वह खाद गुजरात को बेच दिया....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वेअर हाउसिंग कोरपोरेशन ने वह खाद गुजरात स्टेट फरटी-लाइजर को बेच दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जब जानकारी प्राप्त हो जाय उस वक्त आप यह मुद्दा उठा सकते हैं। कल इस बारे में निर्णय हो जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है गेहूं के लिये खाद नहीं मिल रहा है गुजरात स्टेट फरटीलाइ-जर को और मद्रास को यह भेजा जा रहा है 62॥ से बढ़ा कर 67 रुपया क्विन्टल के हिसाब से बेचा जा रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने निवेदन कर दिया यह प्रश्न अभी सदन के सामने नहीं है जब प्रश्न आये उस समय चर्चा उठा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह चाहता हूं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी फैसला किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गंगानगर के बारे में वहां जिस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है उसके बारे में आपने स्टेटमेन्ट नहीं दिलाने के बारे में जो व्यवस्था दी है। मैं सदन को बता देना चाहता हूं वहां की स्थिति उत्तेजनात्मक है वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के बैंक कर्मचारी और रेलवे के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आप इसके बारे में शीघ्र से शीघ्र वक्तव्य दिलाने का आदेश प्रदान करें ताकि वहां स्थिति ज्यादा बिगड़ने न पावे।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी कोशिश की जा रही है सरकार से जल्दी से जल्दी जवाब आ जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने समय में उत्तर मिल जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बारे में तीन बजे मिल लीजिये उस वक्त उत्तर मिल जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : शराव के ठेके के बारे में जो हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास दिया है वह बहुत ही आपत्तिजनक है आपने भी इसको भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न नहीं माना और अस्वीकार कर दिया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस ठेके का भारी विरोध हो रहा है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि सार्वजनिक स्थान से शराब का ठेका हटायें। मुझे बड़ा अफसोस है कि आसन ने इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर भी उदारता नहीं बताई। यह गम्भीर मामला था इसको भी रिजेक्ट कर दिया। हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास, मोटर स्टैण्ड के पास ठेका नाजायज तरीके से खोला गया है वहां की जनता उसका विरोध कर रही है कम से कम इस बारे में आप राज्य सरकार से रिपोर्ट तो लें उसको देख कर आपके द्वारा व्यवस्था दी जानी चाहिये। हम इस तरह से जो स्थगन प्रस्ताव देते हैं वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही रखते हैं। यह हम जानते हैं कि राज्य सरकार कुछ करने वाली नहीं लेकिन कम से कम इस बारे में जानकारी तो देनी चाहिये। वैसे ही शराब की नीलामी से आप खूब पैसा कमा रहे हैं इतने पर भी आपका पेट नहीं भरा कम से कम सार्वजनिक स्थानों से तो ठेकों को हटवाइये।

मैं आपके द्वारा आवकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में विशेषतौर से वे ध्यान दें और सार्वजनिक स्थान से इस प्रकार के ठेके को हटाने के सरकार आदेश देगी।

श्री पृथ्वीसिंह : कमाण्डेड एरिया के डिस्प्यूट के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी आपने उस पर कहा कि जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कितने बजे दिया....

श्री पृथ्वीसिंह : कल दिया था। इसमें जानकारी आपने मांगी है तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि रबी की बुआई वहां पर शुरू हो गई है और गांव के लोग जत्थे के जत्थे के रूप में भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और इससे गंभीर स्थिति बन जाने का खतरा है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी मिटाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाय तो लाभ होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल इस सदन में बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ में पिछले एक सप्ताह से मजदूरों की चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि हड़ताल को दवाने के लिये पुलिस किस प्रकार से अत्याचार कर रही है, मजदूरों की औरतों को नंगा करके पीटा जा रहा है, मजदूरों को ट्रकों में भर कर जंगलों में ले जाया जा रहा है, उनका सामान छीना जा रहा है......

श्री उपाध्यक्ष : किस विषय में चर्चा उठा रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी, चित्तौड़गढ़ के सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और उस पर कल इस सदन में आपने यह व्यवस्था दी थी कि सरकार से जानकारी चाही जा रही है और उसके बाद सरकार के वक्तव्य की व्यवस्था करेंगे। इसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रस्तावना के रूप में प्रथम वाक्य ही शुरू किया है और वह पूरा नहीं हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि जो प्रश्न सदन में उठाये जा चुके हों और आसन की तरफ से उन प्रश्नों पर सरकार से जानकारी चाही जा रही हो उन पर सरकार की ओर से वक्तव्य न दिया जाकर समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है और कतिपय समाचार पत्रों म सरकार की तरफ से इस प्रकार के समाचारों का निराकरण किया जाता है, खण्डन किया जाता है। यह परम्परा उचित नहीं है। इस तरफ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपका ध्यान हमारे इस पाइंट ऑफ प्रिविलेज पर ले जाना चाहता हूं कि इस सदन को पहले भी यह जानकारी है कि इस सदन के अन्दर जितने भी प्रश्न उठाये जाते हैं और उन पर आसन की तरफ से व्यवस्था सुरक्षित रखी जाती है, वे पेंडिंग होते हैं, और उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चित्तौड़ की बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री के सिलसिले में मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है उस पर आपकी व्यवस्था अभी सुरक्षित है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सदन को जानकारी नहीं दे रही है और अपने अधिकारियों के मार्फत समाचार पत्रों में पुलिस के अत्याचार, अनाचार का खंडन करवा रही है। इस प्रकार का सरकार का रवैया सदन का अपमान है, यह इस सदन के अधिकारों का हनन है और घोर निन्दनीय है। आसन की ओर से भी सरकार को ताड़ना दी जानी चाहिये और लोकसभा में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि महत्वपूर्ण नीति विषयक मामलों पर सरकार को सदन के बाहर वक्तव्य नहीं देना चाहिये और इस सदन में जो प्रश्न उठाये जायें उनकी पूरी जानकारी सदन को दी जानी चाहिये। सरकारी अधिकारियों की और दैनिक नवज्योति में यह समाचार आज प्रकाशित हुआ है कि स्थिति नियन्त्रण में है। वहां की हालातों के सम्बन्ध में इस प्रकार से सरकारी अधिकारियों द्वारा वक्तव्य प्रकाशित हो रहे हैं और सरकार इस प्रश्न पर इस सदन में वक्तव्य देने में टालमटोल कर रही है। वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। यहां गलत है। जो कुछ भी सरकार को कहना है बजाय समाचार पत्रों के माध्यम के वह इस सम्बन्ध में इस सदन में वक्तव्य दे, सदन में मन्त्री महोदय खड़े होकर स्थिति का निराकरण करें। इस प्रकार यह सरकार वहां के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है और यह इस सदन का अनादर है और सरकार का यह जो रवैया है वह निन्दनीय है। इस सम्बन्ध में जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री का वक्तव्य शीघ्र दिलाया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी मान्यता है कि सरकार ने इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है, सरकार ने सदन का अपमान किया है और मर्यादा भंग की है। इसके लिये आसन की ओर से सरकार को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ताड़ना मिलनी चाहिये और मन्त्री महोदय को यह निर्देश दिया जाये कि वे तुरन्त इस सम्बन्ध में आज ही वक्तव्य इस सदन में दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो आपत्ति उठाई है वह कुछ मायने में सही है। सदन के सामने कोई मसला विचाराधीन हो और जब यह सदन चल रहा हो तो उस सम्बन्ध में कोई घोषणा सरकार को पहले सदन के अन्दर ही करनी चाहिये लेकिन यह विशेषाधिकार का हनन है यह नहीं माना जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परम्परा के विरुद्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष: हां ऐसा कह सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वक्तव्य कब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : सूचना उपलब्ध हो जाने के बाद......

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है। आपने कहा यह परम्परा के विरुद्ध है, मर्यादा भंग नहीं हुई सही परन्तु सरकार ने क्या इसको माना है। वह तो इन्ही बातों को दोहराती जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने सुना है। मंत्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर जो बात अभी कही उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि न तो सरकार ने और न सरकार के किसी मिनिस्टर ने घोषणा की है। माननीय सतीशजी का यह कहना है कि किसी अखबार में यह समाचार निकला और किसी ने उसका खंडन कर दिया उसके यह माने नहीं है कि नीति सम्बन्धि कोई घोषणा गवर्नमेन्ट के उच्च स्तर से हुई है और न किसी मिनिस्टर ने कही है। यह विषय नीति सम्बन्धी डिस्कशन के लिये भी विचाराधीन नहीं है। किसी अखबार में यह खंडन निकला हो उसे नीति सम्बन्धि कोई घोषणा नहीं कहा जा सकता है। रहा सवाल वक्तव्य देने का इसके दो हिस्से हैं, यह दो हिस्सों में बंटा हुआ है। कुछ बातें लेबर डिपार्टमेंट की ओर से कहने की हैं और कुछ पर पुलिस विभाग का ताल्लुक है। इसलिये दोनों की सूचना एवेलेबल होनी है। लेबर की सूचना तो आ गई है और पुलिस की सूचना आनी बाकी है। दोनों के सम्मिश्रण के बाद सारी स्थिति को उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और उस पर वक्तव्य का आदेश देंगे तो वक्तव्य दे दिया जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : एक तरफ तो हड़ताल चालू है और दूसरी तरफ 8 तारीख से 13 तारीख तक धारा 144 लागू कर दी गई है और वहां पर अत्याचार की जो स्थिति है वह माननीय सदस्यों को अभी सतीशजी ने बताई है......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रस्ताव कल ही मिला है।

श्री दौलतराम सारण : आप शासन में हैं और शासन के पास पूरे साधन है

Page No. 58

(श्री दौलतराम सारण)

शक्ति है । यह नहीं माना जा सकता कि आपके पास में सूचना उपलब्ध नहीं है। आपको तो चाहिये था कि प्रश्न इस सदन में आते ही सरकार की ओर से तुरन्त वक्तव्य इस सदन में दिया जाता। वह स्थिति न होकर दूसरे दिन भी वक्तव्य दिया जाना चाहिये था । परन्तु आज यहां केवल खड़े होकर कहते हैं कि कल ही नोटिस मिला था । इस पर तो आपको खेद व्यक्त करना चाहिये था ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमें तो सपना आ जाना चाहिये ?

श्री दौलतराम सारण : मजदूर राष्ट्रीय उत्पादन की एक इकाई है, सीमेंट बनना बिलकुल बन्द है, कोई लोडिंग नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, मजदूर हड़ताल पर हैं, उन पर पुलिस का अत्याचार हो रहा है, धारा 144 लगा दी गई है, यहां से महिला पुलिस को भेज दिया गया है। 8 तारीख से 13 तारीख तक धारा 144 लगा दी गई है और बराबर मजदूरों को आतंकित किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में कौन तो सही है और कौन गलत है, लेकिन सवाल तो यह है कि वहां के सही तथ्य हमारे सामने आने चाहियें, पुलिस से सम्बंधित मजदूरों की क्या मांगें हैं, और मजदूर क्यों हड़ताल पर है और हड़ताल के क्या कारण हैं और उन पर लेबर विभाग ने समय पर क्यों ध्यान नहीं दिया । इन सब पर सरकार का एक वक्तव्य होना चाहिये । यह सब मामला इस सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहिले ही से चल रहा था और उस समय से ही सरकार को तैयार रहना चाहिये था कि सदन में यह प्रश्न उठाया जायगा । 2 तारीख से आज 10 तारीख हो गई और स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि कल ही नोटिस मिला है । यह अफसोस की स्थिति है। मैं कहता हूं कि इसके लिये आसन की ओर से प्रताड़ना सरकार को दी जानी चाहिये कि समय पर सरकार सारी जानकारी इस सदन को प्रस्तुत करे और आइन्दा इस प्रकार की स्थिति को बर्दास्त नहीं किया जायेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि नोटिस कल ही मिला......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं स्वयं यहां से लेकर गया हूं कल ही ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को इस सदन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। विधान सभा का सत्र बुलाते ही सरकार को यह चाहिये था कि महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वह स्वयं इस सदन को जानकारी देती और इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लेती। हमारे पास तार पर तार आ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब परिस्थितियां बदल रही हैं तो लेटेस्ट सूचना आने में समय लगेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय यह है कि जैसे ही विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हो गवर्नमन्ट को खुद ही इस समस्या पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिये था और उस पर फौरन वक्तव्य देना चाहिये था । एक तरफ गवर्नमेन्ट इन्फारमेशन मांगने में इतना समय लगाती है और दूसरी तरफ सदन अपने एन्ड पर जा रहा है, मेरे ख्याल में आसन की ओर से गवर्नमेंट को वाध्य किया जावे कि इन सारी परिस्थितियों पर सरकार का वक्तव्य आज ही हो ।

श्री उपाध्यक्ष : उचित होगा कि तीन बजे तक पुलिस की तरफ से जो सूचना उपलब्ध करानी है वह करा दी जाये । ऑर्डर प्लीज ।

सभापति तालिका के सम्बन्ध में

अध्यक्षीय घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9 (1) के अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत किया गया है,–

1. श्री रामनारायण ।
2. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।
3. श्री विजयसिंह मकराना ।
4. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत ।

विधायी कार्य

वापिस लिये जाने वाले विधेयक । प्रभारी मंत्री।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाईंट ऑफ ऑर्डर पर । उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहिले कि गवर्नमेंट की तरफ से इस विधेयक को वापिस लिये जाने की इजाजत दी जाये, वापिस लेने के कारणों पर पहले प्रकाश डाला जाये ताकि हम लोग अपना माइन्ड एप्लाई कर सकें । आप इसकी इजाजत दें और संकल्प प्रस्तुत हो परन्तु गवर्नमेंट की तरफ से इसके कारणों पर प्रकाश डाला जाये और मैं यह चाहूंगा कि इसके बाद ही गवर्नमेंट इस विधेयक को वापिस लें । विधेयक वापिस लेने का एक औचित्य यह भी है कि पंचायतों के चुनावों को स्थागित कराने के बारे में, अभी नहीं कराने के बारे में गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया और गवर्नमेंट अभी इनकी घोषणा नहीं कर रही है । क्या इसके पीछे यह राज छिपा हुआ है ? इसको स्पष्ट करते हुए वक्तव्य आना चाहये ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जवाब लिखित मिला है कि चुनाव दिसम्बर में करा दिया जावेगा । पर लोग बातें कर रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा है दिसम्बर में । 72 के आम चुनावों के बाद होंगे । इसलिये यह विधेयक वापिस लिया जा रहा है । कोआप्टेड मेम्बर वोट नहीं दें जिससे प्रोसीजर लम्बा न हो, आज उसी प्रावधान को वापिस लेने की बात कही जा रही है तो निश्चित रूप से यह शंका हमारी सही है कि चुनाव कराने की आपकी दिसम्बर में मंशा नहीं है । स्पष्ट रूप से इसका कारण बताया जाना चाहिये कि क्यों नहीं चुनाव दिसम्बर में आप कराना चाहते है ? क्या स्थिति है ? बार बार यों टालते हैं ? बासी हो गई ये पंचायतें आज।

(श्री नत्थीसिंह)
यह विधेयक को वापिस लेने की अनुमति के साथ साथ इसके वापिस लेने के कारण भी जरूर बतलाये जाने चाहिये ।

श्री विजयसिंह मकराना : यह आम चर्चा है कि राजस्थान सरकार पंचायतों के चुनाव दिसम्बर में नहीं कराना चाहती। पंचायतों को काफी लम्बा अरसा हो चुका है । सरपंच और प्रधान मनमाने ढंग से काम करते हैं, उन लोगों ने अपना आतंक फैला रखा है । साल भर की मियाद और बढ़ा दी गई तो वे बहुत ज्यादा निरंकुश हो जावेंगे और बहुत से पुलिस केस बन जावेंगे । जनता में आतंक फैल जावेगा । इसलिये सरकार निश्चित रूप से घोषणा करे कि यह चुनाव अवश्य दिसम्बर के माह में या जनवरी तक करा दिये जावेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायतों के चुनाव कब हों, कब नहीं, इसका तो सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं है । अब अगर उप-मंत्री महोदय चुनावों के बारे में प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकते हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 25 को एक आर्डिनेन्स और निकलना है इसलिए इसकों विथहड्रा कर रहे हैं ।

श्री नत्थीसिंह : उस आर्डिनेन्स में क्या है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1958 तथा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति के लिये प्रार्थना करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज० पंचायत अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिये विधेयक को आपिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं विधेयक को वापिस लेती हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह विषय सामने आ गया है और मुख्य मन्त्रीजी भी यहां मौजूद हैं कि क्या वे यह बतायेंगे कि पंचायतों के चुनाव को स्थगित करने के बारे में सरकार ने कोई केबिनेट में निर्णय ले लिया है ? यह आम विधायकों में चर्चा है और अनौपचारिक रूप से सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि केबिनेट स्तर पर इस तरह का निर्णय ले लिया गया है । आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जावे ।

श्री मदनसिंह दांता : यह सारी स्थिति स्पष्ट होगी दिल्ली के बाद ।

श्री नत्थीसिंह : फरवरी में लोक सभा का चुनाव हो रहा है क्या उसके बाद आप कराना चाहते हैं, उसकी इन्तजार में हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काफी इसका उससे सम्बन्ध है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोक सभा की तरह रहस्यमय मत बनिये आप ? आप चुप हैं इसका मतलब यह है कि आप पंचायतों के चुनाव वास्तव में नहीं कराना चाहते ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्षजी, मैं यह भ्रम दूर कर दूं कि इस सम्बन्ध में चुनाव नहीं कराने का केबिनेट ने कोई निर्णय नहीं किया है ।

श्री रामकिशन : आपका व्यवहार और आपकी मुस्कान तो यह कह रही है कि आपने ऐसा फैसला कर लिया है । भले ही केबिनेट मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में लिखा न हो ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति हो तो राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 को पहले ले लिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जिस ऑडर में है, उसी में लेना चाहिऐ ।

श्री हरिदेव जोशी : लेने दो भाई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहीं जाना है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : क्यों तंग करते हो ?

श्री रामकिशन : कहीं गलत सलत टेलीफोन करने जावोगे ।

श्री दौलतराम सारण : गोकुलभाई के क्यों घाटा डाल दिया । वापिस ले लो न इसको ।

श्री उपाध्यक्ष : तो सदन की अनुमति है कि इसको पहले ले लिया जावे ।

(नहीं नहीं की आवाज)

श्री दौलतराम सारण : इस विधेयक में चपला करने जा रहे हो क्या ?

श्री भैरोंसिंह : ऑर्डर में ही जिस तरह तैयार होकर आया है लिया जाय । पहले लैंड रेवेन्यू ले लीजिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : लैंड रेवेन्यू को लेने दीजिये साहब ।

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर संकल्प प्रस्तुत करेंगे श्री रामकिशनजी ।

श्री रामकिशन (बर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन दिनांक 2 जून, 1970 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1970 अध्यादेश संख्या 4 (सन 1970) को अस्वीकार करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला देखने में बहुत छोटा सा मालूम पड़ता है, और राजस्थान सरकार केवल इस अध्यादेश के द्वारा यह कहना चाहती है कि अब तक अलॉटमेन्ट का अधिकार तहसीलदार को था अब उसको हटाकर एस० डी० ओ० को सरकार दे रही है और अलॉटमेंन्ट कमेटी का अध्यक्ष भी एस० डी० ओ० होगा ।

(12.58 म० प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

ऐसे साधारण से परिवर्तन के लिये भी अध्यादेश का उपयोग अगर राज्यपाल करते हैं तो उस पर आश्चर्य होता है। राज्यपाल को पावर मिला हुआ है। पर इस तरह से छोटे मोटे महत्वहीन मसलों

(श्री रामकिशन)

पर भी अगर उस अधिकार का उपयोग किया जाता है तो अच्छा नहीं लगता। कोई महत्वपूर्ण मामला हो, जनहित की सुरक्षा की तात्कालिक आवश्यकता हो और विधान सभा का सम्मेलन बुलाना जल्दी सम्भव न हो तब ऐसे मामलों में ही इस अधिकार का प्रयोग हो तो अच्छा है। वैसे उनके इस अधिकार को मैं चुनौती नहीं देता। पर आज तक जितने अध्यादेश लाये गये हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो न तो बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूं और न वे कोई बड़ा परिवर्तन समाज में या राज्य की नीति में उससे होने वाले था, ऐसा मानता हूं।

तहसीलदार रहें या एस०डी० ओ० इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकांश ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे में कोई अधिक अन्तर नहीं है। फिर मैं नहीं समझ पाया कि इस छोटे से संशोधन के लिय इतने इमर्जेन्सी पावर का प्रयोग राज्यपाल ने क्यों किया। इसका औचित्य क्या है?

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के प्रवक्ता कहते रहते हैं कि भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाने में राजस्थान सरकार जल्दी करना चाहती है और जल्दी से जल्दी उनमें भूमि वितरण करना चाहती है।

कांग्रेस के विभाजन के बाद आम तौर पर हिन्दुस्तान में जहां जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस सत्ता में है, प्रगतिशील कदम उठाने का नारा बराबर लगाती रहती है और निरन्तर समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा और अन्य अन्य प्रचार के साधनों के द्वारा यह ढिंढोरा पीटती रही है कि वह इस प्रगतिशील कदमों के माध्यम से समाजवाद देश में स्थापित करना चाहती है और इस तरह समाजवाद स्थापित करने की बात करते हैं।

इस प्रकार के कदम राजस्थान सरकार भी उठाने के कदम को प्रचार के लिये एक बहाना तैयार कर रही है। नहीं तो आज तक जो कुछ उसने किया है, उससे भिन्न वह अलग कदम उठान नहीं जा रही है। राजस्थान में कितनी जमीन थी, कितने भूमिहीन थे यह स्पष्ट है कि काफी थी। सारी जमीन को छोड़ भी दें जागीरदारों से प्राप्त या जमींदारों से प्राप्त या सीलिंग से अधिक रिक्त होने वाली जमीन को भी छोड़ दें तो भी राजस्थान सरकार के पास इतनी जमीन खेतिहर भूमिहीन गरीब लोगों में वितरित करने के लिये उपलब्ध थी जितनी कि अन्य किसी दूसरे राज्य में नहीं थी, पर आपने 23 वर्षों में आपने जो आवंटन प्रचार के उद्देश्य से किया है लेकिन वास्तव में भूमिहीनों को भूमि मिली हो इसमें मुझे शक है। आज से कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो अधिकांश में इस बात को पसन्द नहीं करते थे दिल्ली में ऐलान किया था कि जितनी सरकारी पड़त जमीन है उनको हम भूमिहीनों में बांट देंगे। दूसरे मुख्यमंत्रीजी यह भी बात थी कि सीलिंग की सीमा घटाई जाय लेकिन उनका मानना था कि सीलिंग से ज्यादा जमीन हमारे राजस्थान प्रान्त में है ही नहीं जिसके लिये हमारी पार्टी निरन्तर संघर्ष कर रही है। सीलिंग की सीमा उनके दिमाग से घटाने की जरूरत नहीं है,

(श्री रामकिशन)

राजस्थान की सरकार वैसे ही प्रगतिशील है और जितनी जमीन उपलब्ध है उसको हम 71-72 तक बांट देंगे।

जो भूमिहीन लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शायद यह सन्तोष हुआ होगा कि राजस्थान सरकार अब जमीन का बंटवारा करेगी और हम लोगों को भी अब जमीन मिल पायेगी लेकिन, जो सरकार की पुरानी नीति है उसके अनुसार सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं वह जमीन भूमिहीनों को. बंटनेवाली नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहा अब तक हम 50 लाख एकड़ जमीन राजस्थान के भूमिहीन लोगों में बांट चुके हैं। यह सरकारी आंकड़े सही हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों को चुनौती देने का हमारे पास उसे आधार नहीं है हमें न मानते हुये भी स्वीकार करना पड़ता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 50 लाख एकड़ जमीन जो भूमिहीनों को बांटी गई है वैसे राजस्थान सरकार की जो पुख्ता नीति है उसमें 67 तक का वितरण है और अब तक 37 लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को बांटी गई है और अब तीन वर्षों में 13 लाख एकड़ और बांटी गई है। हो सकता है 50 लाख एकड़ भूमि बांटी गई हो लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्य-मंत्रीजी को इस 50 लाख एकड़ में भूमिहीनों को कितनी जमीन मिली है? यह कागजों के हिसाब से सही हो सकता है। आपके सरकारी कागज बता सकते हैं कि वे भूमिहीन लोग थे लेकिन वास्तविकता यह है और मेरा अनुमान है 50 लाख एकड़ जमीन में से मुश्किल से 12-13 लाख एकड़ ऐसी है जो भूमिहीनों को बांटी गई है। बाकी जमीन को भूमिहीन बनकर राजस्थान सरकार के प्रभावशाली व्यक्तियों ने हड़पली है। और 12-13 हजार एकड़ में भी जो हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको तो उसमें से 6-7 हजार एकड़ जमीन भी नहीं दिला पाये हैं।

सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं और विशेषकर राजस्व मंत्रीजी से, आपने जो ऐलान किया है उसको हम सही रूप से स्वीकार करते हैं- वे भूमिहीन लोग हैं। उनको जमीन दिलाने के लिये आपने उनको भूमिहीन बनाया है। उनको जमीनें दिलाने का प्रावधान आपने इस रूप में किया है। आपने नियम बना रखे हैं, कमेटियां बना रखी हैं, दरख्वास्त समय पर आती है, कागज की पूर्ति तो सब समय पर होती है लेकिन जो असलियत होती है और जितनी जमीन बांटी जाती है उसमें से बहुत कम भूमिहीनों को मिलती है अन्यथा जो असरदार लोग हैं खास तौर से राजस्थान सरकार के अधिकारी वर्ग और अन्य लोगों ने जमीनें हड़प ली हैं।

राजस्थान सरकार ने अब तक जो दावा किया है हम उससे अन्दाज लगा सकते हैं कि सरकार की भूमि आवंटन की नीति न तो समाजवादी है बल्कि निहित स्वार्थों की नीति है। जो भूमि राजस्थान सरकार की हड़पी है उसमें सरकार के मंत्री, सरकार के बड़े बड़े अफसर, राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी और सरकार के प्रभावशाली लोगों ने जमीनों को हड़पी है। ये आंकड़ राजस्थान सरकार के स्वयं के सबूत हैं। अगर आपको कोई अध्यादेश लाना था तो इस बात का लाना चाहिये था कि राजस्थान की भूमि किन गैर

(श्री रामकिशन)
काश्तकारों लोगों ने ले ली हैं, जिनको जमीन के बारे में कुछ अता पता नहीं हैं, जो परम्परा से खेती नहीं करते हैं, जो अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं उसको रद्द करके हम जमीन भूमिहीनों को बांटेंगे अगर यह कहते तो मैं समझता हूं कांग्रेस के विभाजन के बाद, कांग्रेस में एक नई नीति आई है अन्यथा जमीन है कहां ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं भरतपुर जिले में और जिलों की तो मैं नहीं कहता लेकिन भरतपुर जिले में कुछ भूमिहीनों को आवंटन हुआ है। भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर जिलों में जहां आबादी घनी है वहां वास्तविक काश्तकार को जमीन उपलब्ध नहीं हुई है और जमीन छीनने का जो हमारा गैर कानूनी तरीका है वह यह था कि समाज के प्रभावशाली लोगों ने जिन जमीनों पर कब्जा कर लिया था, जिन लोगों ने सरकारी पड़त भूमि को अपने अधिकार में कर लिया था, उन लोगों से भूमि छीन कर भूमिहीन लोगों को जमीनें दिलाई जायं, इसका प्रयत्न किया था।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी भूमि आपन छीनी और कितनी जमीन आपने भूमिहीनों को दिलाई?

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं जानना चाहता हूं कितनी भूमि छीनी ?

श्री रामकिशन : धीरज रखें। आप, नगरपालिकाओं के चुनाव लड़कर आये हैं। आपका स्तर तो नगरपालिका के चुनाव वाला है

श्री जयकिशन : यही स्तर आपकी बीबी का है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने राजस्थान भर में भूमि छीनो आन्दोलन चलाया, यह आन्दोलन सारे देश में चला। सरकार किस प्रकार से जमीन......

श्री मूलचन्द डागा : यह तो आपका भूमि हथियाओ का आन्दोलन था।

श्री रामकिशन : मैंने भूमि मुक्ति आन्दोलन कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : भूमि छीनो आन्दोलन कहा है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज यह आन्दोलन चला। आज भरतपुर जिले में 25 हजार बीघा जमीन, मूलचन्दजी आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें वहां सारी की सारी जमीन झगड़ा तलब थी और जिलाधीश महोदय ने बुलाकर बताया कि सारी जमीन झगड़ा तलब है उसी के यह परिणाम हैं कि जिलाधीश महोदय ने श्री नत्थीसिंहजी को भी बुलाया और उस बारे में अवगत कराया। 23 साल से वह जमीन बेकार पड़ी थी और आज भी वह जमीन झगड़ा तलब है उसमें से 25 हजार बीघा पिछली 13 तारीख तक आवंटन कर दिया गया है और आज जो जिले में बची हुई जमीन है उसको शायद 14 नवम्बर के बाद आवंटन किया जायगा। मूलचन्दजी कब्जा उस जमीन पर किसी और का था और हमारा जो यह आन्दोलन था वह तो केवल सरकार

(श्री रामकिशन)

का ध्यान आकर्षित करने का था। हमारी शक्ति कहां है कि हम उनसे भूमि छीन लेते। यह तो केवल हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये ही आन्दोलन किया था कि लाखों एकड़ पर अनधिकृत लोगों का कब्जा है। हम उसके लिये सक्षम कहां थे कि भूमि का दूसरे लोगों में वितरण कर देते लेकिन राजस्थान के हिस्से में उस जमीन के पुन: वितरण की आवाज शुरू हुई यह हमारे आन्दोलन का ही परिणाम है। राजस्थान की सरकार नहीं लेकिन कई सरकारों ने जमीनों की सीलिंग को कम करने का निश्चय किया है। इसका आज कोई प्रभाव न हो लेकिन लम्बा प्रभाव अवश्य होता है।

भरतपुर जिले के हरिजन लोगों के पास और पिछड़ी जाति के लोगों के पास जिनके पास जमीन नहीं है, मैं मानता हूं कि जमीन झगड़ा तलब है, मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 23 साल तक यह बराबर आवंटन क्यों नहीं की जाती रही है-जहां भरतपुर जिले के हरिजन एक एक एकड़ जमीन के लिये कष्ट पाते रहे हैं। सभापति महोदय, जब चर्चा हो गई तो मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा भरतपुर में चरागाह है लेकिन इन चरागाहों की स्थिति क्या है? मैं विशेष तौर से अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों के चरागाहों के बारे में निवेदन करूंगा, इन सब चरागाहों की जमीनों पर आपके प्रभावशाली लोगों का कब्जा है, जो डंडे वाले लोग हैं, जिनके पास राज्य शक्ति है अपनी राज्य शक्ति के कारण चरागाह की जमीनों पर कब्जा कर लेते है और लौ कोर्ट में जाकर उसको रेगूलराईज करा लेते है। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा भरतपुर जिले में जितनी चरागाह की जमीन है उसको भूमिहीन लोगों में बांट दिया जाय। आपका उत्तर यह होगा कि सारी जमीन को बांट दिया जाय तो चरागाह की जमीन का क्या होगा और मवेशियों का क्या होगा, वे कहां चरने जायेंगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं मवेशियों को तो चारा बरसात में मिलता है और उन दिनों ही मवेशी चरने जाती है बाकी मवेशियों को चारा मिलता कहां है? आज केरल में कोई चारागाह नहीं है, पंजाब में कोई चरागाह नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां की मवेशी को कोई चारा ही नहीं मिलती है, चारा वहां हमसे ज्यादा मिलता है और बल्कि दूध का उत्पादन हमसे ज्यादा है। वे लोग कैसे करते है, यह तो केवल आपको बहाना मात्र होगा।

मेरा सरकार से कहना है भरतपुर जिले में 40 हजार एकड़ जमीन चरागाह की है और यह सारी जमीन उपजाऊ है। इस चारागाह को इसी वर्ष समाप्त करके खास तौर से भूमिहीन लोगों को और भरतपुर के पिछड़ी जाति के लोगों को बांट दिया जाय। और यह जमीन नहीं बांटी गयी तो दो तीन साल के अन्दर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनका खेती करना धन्धा नहीं है यह जमीन उनके कब्जे में चली जायेगी, वे उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और अपने नाम से उसको रिलीज करवा लेंगे और इस कार से न ये चरागाह रहेंगे न यह जमीन भूमिहीनों को ही मिल पायेगी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्व

(श्री रामकिशन)

मंत्री जी इसको गम्भीरता से सोचें और कुछ न कुछ करें।

जहां तक सरकार की भूमि के वितरण के संबंध में नीति का प्रश्न है प्रचार के लिए सरकार ने काफी साधन जुटाये हैं। सरकार लम्बी चौड़ी घोषणायें करने की अभ्यस्त हो गयी है और 23 साल से राज्य करते करते गलत बयानी करने में उसको संकोच नहीं आता और आम तौर पर सरकार गलत बयानी करती रहती है क्योंकि उनकी आत्मा जरजर हो गयी है, मर गयी है। इसलिए सरकार काम ऐसा करती है कि जो गरीबों के विपरीत हो और फिर इसके उपरान्त प्रचार किया जाता है कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। सभापति महोदय, भरतपुर जिले में घास के लिए कुछ जमीन रखी हुई है। सरकार का कहना है कि अकाल के समय में हमें घास की जरूरत पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि जिस जमीन में खेती होती है उसमें अपने आप ही घास का उत्पादन हो जाता है। आज सरकार जिस घास को उगा कर रखती है वह तो लागत लगाकर घास रखती है, उसमें स्टाफ रखना पड़ता है, कर्मचारियों को रखना पड़ता है और तरह तरह की गड़बड़ियां होती है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार उस जमीन को भूमिहीनों को दे दें तो जितना अनाज पैदा होगा उतना ही चारा ही पैदा होगा ओर वह भी बिना लागत के होगा। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वन मंत्रीजी यहां नहीं है लेकिन वह वहां भरतपुर जिले में गये थे और राजस्व विभाग के दूसरे अधिकारी भी गये थे और वहां तय करके आये थे कि अबकी बार हम कांस की बावड़ी को तोड़ देंगे लेकिन इस बारे में सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। तो ऐसी हालत में यदि सरकार जल्दी से ऐसा नहीं करेगी तो हम जमीन पर कब्जा करने का अभियान चलायेंगे। और जब हम जमीनों पर अभियान चलाते है तो सरकार कहती है कि यह गैर कानूनी है। पता नहीं आपके गैर कानूनी करार करने कि क्या परिभाषा है। जब बेरोजगारी फैलेगी तो उसको रोकने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। हम बेरोजगारी के लिए आजीविका के साधन जुटायें। सरकार का यह कर्तव्य है कि लोगों को धंधा दे और धंधा नहीं दे पाते हैं यह आपकी दलील है यह खोखली है और जो आपके कानून और व्यवस्था की दलील है वह भी बेकार हो जाती है। मैं सभापति महोदय, इस माने में बंगाल वालों को क्रांतिकारी नहीं मानता हूं, मैं उनको समाज निर्माता नहीं मानता हूं लेकिन एक बात जरूर मानता हूं कि बंगाल में जो हवा चली है वह देश के अन्य हिस्सों में भी फैलेगी यदि आपने बेरोजगारों को धंधा देने का प्रबंध नहीं किया तो। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में और राजस्थान के अन्य जिलों में जहां इस प्रकार की पड़त भूमि है उसको आप लेकर एक फेज प्रोग्राम बनाकर निश्चित तौर पर उस भूमि को भूमिहीनों को दे देना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो यह जमीन धीरे धीरे प्रभावशाली लोगों के पास पहुंच जायेगी और उसका नतीजा यह होगा कि आप यह जो अध्यादेश लाते है उनसे काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में जल्दी

(श्री रामकिशन)

करें और चुनावों की दृष्टि से प्रचार नहीं करें। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया है सन् 71 का वह सम्भवतः इसलिए दिया होगा कि उसके तुरन्त बाद में चनाव होंगे और आप चाहते हैं कि इस प्रकार का वक्तव्य देने से हमारा नाम प्रगतिशील लोगों में आ जायगा। इस प्रकार प्रचार करने से आप जीतनेवाले नहीं हैं। अगर आप जीत भी जायें, वैसे जीतने का सवाल नहीं है लेकिन जीत भी जायेंगे तो अगली बार क्या बाटेंगे ? यह क्षुद्र स्वार्थ की दृष्टि से जब राजनीति अर्थशास्त्र से मिल जाती है और चुनाव जीतने के लिए बिजली के लट्ठ लगेंगे, भूमि का वितरण होगा इस तरह की राजनीति है वह आज हमारे देश को 23 साल म पतन के गड्ढे में ले गई है दुनियां के दसरे देश और हमारे पड़ौसी देश आपको ताज्जुब होगा कि प्रगति में हमारे देश का नम्बर कौन सा है। राष्ट्रसंघ से मान्यता प्राप्त देशों की संख्या 123 है और इसमें हमारा नम्बर प्रगति की दृष्टि से 113 वां है। इस देश की हालत ऐसी है कि प्रगति के किसी भी मापदंड के अनुसार हम 113 नम्बर पर हैं और वह है सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण।

सभापति महोदय, यह सरकार अब तक भी जमीन का वितरण करती रही है और उसके माध्यम से सरकार ऐसे वर्गों की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करती रही है कि जो कहते हैं कि हम भूमिहीन हैं और वास्तव में भूमिहीन नहीं हैं और न वह काश्तकार ही हैं। जून, 67 तक के आंकड़े मेरे पास हैं उनको आप देखें तो यह भ्रम दूर हो जायेगा कि वास्तव में जमीन भूमिहीनों को नहीं दी गई है और जिनको जरूरत थी जमीन की, जिनका धंधा करना है उनको बहुत कम जमीन दी गई है। सन 67 तक राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि 50 लाख एकड़ जमीन का वितरण किया गया है। उसके तत्काल आंकड़े नहीं लेकर 67 तक के आंकडे प्रकाशित किये हैं सरकार ने। तो यह आंकड़े गवाह हैं कि यह जमीन ऐसे लोगों के पास चली गई है जो कि भूमिहीन नहीं थे और जिन्होंने अपने बच्चों के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से और अपने रिश्ते-दारों के नाम से जमीन हड़प ली है। अब तक जो जमीन बांटी गई है उसमें से जिन अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन बांटी गई है उसके आंकड़े हैं 1,19,600 अनुसूचित जन-जाति के लोगों को जो जमीन बांटी गई है उसके आंकड़े हैं 1,11,919 और जो अन्य लोग हैं इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जो जमीन के सबसे ज्यादा हकदार थे अनु-सूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग उनको तो ऊपर बताये हुए आंकड़ों के अनुसार जमीन बांटी है और अन्य लोगों के आंकड़े हैं 3,20,000। सभापति महोदय, इसमें स्वर्णकार नहीं हैं, भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो कि जमीन वाले हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से जमीन ली है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमने 50 लाख एकड़ जमीन दी है। मैं आपको जून 67 तक के आंकड़े बता रहा हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो जमीन बांटी है उसके एकड़ में आंकड़े हैं

(श्री राम किशन)

6,59,228। इनके अलावा अनुसूचित जनजाति के लोगों को 3,87,238 एकड़ जमीन मिली है और अन्य लोग हैं जो भूमिधर हैं उनको 26,45,660 एकड़ जमीन मिली है। सभापति महोदय, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि राजस्थान सरकार ने जमीन का वितरण केवल प्रचार की दृष्टि से किया है और जरूरत मन्द लोगों को जमीन नहीं दी है, भूमिहीनों को जमीन नहीं दी हैं। मैं समझता हूं कि नाम लेने से शायद व्यास जी को बात अखरे और व्यक्ति का नाम लेने से बात अखरेगी और उससे आपसी वेमनस्यता बढ़ेगी ही। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो मैंने आंकड़े बताये कि इतनी काश्तकार लोगों ने ली है जो कि जमीन वाले नहीं हैं। जमीन वाले कौन हैं ? सबसे पहले अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चला। सभापति महोदय, आप ध्यान से सुनें और मेरी बात को सरकार तक पहुंचायें कि बूंदी जिले में जमीन बांटी गई और वह जमीन 7 आदमियों को दी 600 बीघा और उसमें से 565 बीघा जमीन मुख्य मंत्रीजी और उनके साले ने ले ली। रहने वाले नाथद्वारा के, गरीब काश्तकार थे, कौनसी उनकी खेती थी वहां पर और वह पहुंच गए बूंदी जिले में रघुनाथपुरा। 565 बीघा जमीन अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के नाम से ले ली। याने एक दिन में ही सारा अलॉटमेन्ट हो गया, भूमिहीन नहीं हैं इसकी भी जांच हो गई, नीचे तहसीलदार ने सिफारिश भी कर दी और अलॉट भी हो गई और वह भी किस के नाम से श्री बसंत कुमार जिनकी कि उम्र 5 साल की थी। उन्होंने भूमिहीन बनकर ले ली। याने 5 आदमी और उनके रिश्तेदारों ने जमीन ले ली। इसका नतीजा यह हुआ सभापति महोदय कि राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने जमीन ली तो राज्य के उस समय के जो मुख्य सचिव थे उन्होंने भी जमीन ली श्री भगवतसिंह जी मेहता उन्होंने निम्बाहेड़ा में जमीन ले ली। और जब मुख्य मंत्रीजी ने जमीन ले ली, मुख्य सचिव ने ले ली तो सारे मंत्रियों ने जमीन ले ली और जब सारे मंत्री और उप-मंत्रियों ने जमीन ले ली तो फिर आइ० ए० एस० ऑफिसर्स और कलेक्टर्स ने जयपुर के आस पास जमीन ले ली। अगर इनके आंकड़े एकत्रित किये जायें तो सभापति महोदय मंत्री, अधिकारी, व्यापारी और राजनीति में काम करने वाले लोगों ने 50 लाख एकड़ जमीन में से 13 लाख एकड़ जमीन ऐसे लोगों ने हड़पी है जिनका कोई संबंध खेती से नहीं रहा है। यह जमीन की छूट इतनी व्यापक हुई कि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रतीक के रूप में कहना चाहता हूं राज्य का ऐसा कोई भी एक मंत्री बता दें जिसने कि जमीन नहीं ली हो। और मैं मानता हूं कि दो तीन आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनका कि धंधा खेती करना था और जो परम्परा से खेती करते थे। लेकिन आज तो मथुरादासजी माथुर भी काश्तकार बन गये। माथुर साहब आप जानते हैं खेती करना किसे कहते हैं। इतना बड़ा झूठ और चोरी है और अब हम कब्जा करने जाते हैं तो कहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था को तोड़ते है। पत्नि के नाम से, साले के लड़कों के नाम से, दूसरे परिवार के लोगों के नाम से जमीन लेते हैं और रघुनाथपुरा में लेते हैं, क्या वे खेती करना जानते हैं ? क्या

(श्री रामकिशन)
गंगानगर में सरोज सेन के नाम से जमीन ली है तो वह खेती करना जानती हैं। सभापति महोदय, यह कहानी केवल वहीं की ही नहीं है। अगर हम जमीन के सारे गोरख धंधे को देखना चाहते हैं......

श्री सभापति : यह सब कहानी है क्या ?

श्री रामकिशन : क्या ?

श्री सभापति : आप जो यह कह रहे हैं कि यह कहानी है।

श्री रामकिशन : यह कहानी नहीं है सच्चाई है। सभापति महोदय, अन्य मंत्रियों की लिस्ट इस सदन में कई बार आ चुकी है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता किन्तु मंत्रियों ने किस तरह से कितनी जमीन ली है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि मंत्रियों को जमीन लेने का अधिकार नहीं है। संविधान में अधिकार है कि कोई भी आदमी कोई भी रोजगार कर सकता है। लेकिन जब हम समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, जब हम सीलिंग लाना चाहते हैं, जब हम यह चाहते हैं कि आमदनी की सीमा बान्धी जाय तब हमें यह तय करना पड़ेगा कि एक आदमी एक ही धन्धा करे, चाहे वकालत करे, चाहे व्यापार करे, चाहे राजनीति में पड़े। राजनीति को भी इस देश में एक धन्धा बनाना पड़ेगा। अगर मंत्री बन गये और जमीन ले ली और इस जमीन के प्रभाव से लोक सभा और विधान सभा में आना चाहें तो दोनों धन्धे साथ-साथ नहीं चल सकते हैं।

आज नतीजा यह है कि एक मंत्री को छोड़कर सारे मंत्रियों ने जमीनें ली हैं। उस जमीन की संख्या जितनी है वह सदन में पहले आ चुकी है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जहां पर जमीन की उपलब्धि है और खास करके गंगानगर जिले में जमीनों की जिस तरह से लूट हुई हिन्दुस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। मोहम्मद गोरी की लूट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। उसने तो अशर्फियां लूटी होंगी, जेवर लूटे होंगे लेकिन गंगानगर की सारी जमीन को गंगानगर के राजनैतिक प्रभावशाली लोगों ने लूट ली है और वहां के सवा लाख भूमिहीन किसान दर दर मारे मारे फिरते हैं। उनके खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है। गंगानगर के हमको यहां पर केवल 4-5 सम्पन्न चेहरे ही नजर आते हैं गंगानगर एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग हैं और जहां पर बहुत ज्यादा जमीन की उपलब्ध है उस उपलब्धजमीन के लिये एक हाई पावर कमेटी बनाई है सरकार ने। उसने क्या किया इसकी ठीक मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि उस हाई पावर कमेटी ने जिन फाइलों को मांगा है या जिन मामलों में कार्यवाही करना चाहती है तो उसको या तो फाइलें नहीं दी जाती हैं या उस कार्यवाही को दबा दिया जाता है। कमेटी 1-11 महीने में अपने फन्कशन को समाप्त करके कह देगी कि वह कुछ नतीजे पर नहीं पहुंची। दो चार नामों का उल्लेख करके उनकी कुर्की करके जो कि बेनामी जमीन चल रही थीं चाहे वह चण्डीदान हो या और कोई आप प्रगतिशील बनना चाहते हैं। अगर ऐसी जमीन की लिस्ट को आप देखेंगे तो गंगानगर के बड़े बड़े सेठों ने, जोधपुर और बीकानेर के बड़े बड़े सेठों ने गंगानगर जिले में भूमिहीन

(श्री रामकिशन)

बनकर बेनामी जमीन को अपने नाम कराई है। इस तरह से सरकार केवल एक प्रगतिशीलता का नमूना प्रदर्शित करना चाहती है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार एक अध्यादेश निकाले कि 22 साल से जिन गैरकाश्तकार लोगों ने जमीन का आवंटन करा लिया है या गैर कानूनी तौर से जमीनों पर कब्जा कर लिया है उन सब को रद्द किया जाय और उस भूमि को लेकर भूमिहीनों में बांटी जाय।

जब मुख्यमंत्रीजी ने जमीन ले ली तो गंगानगर के कांग्रेसी नेता और सबसे बड़े मंत्रीजी, श्री बृजप्रकाशजी गोयल उससे क्यों अछूते रहते। उन्होंने भी 300 बीघा जमीन ले ली। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या बृजप्रकाशजी खेती कर सकते हैं? यह आपको जचता है? जिन जिन नामों से जमीन ली है तो जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए तो वे खेती करने के लायक कैसे हो सकते हैं, लेकिन 150 बीघा जमीन अधिक अन्न उपजाओं के नाम पर ली। उस वक्त कान्ता प्रसादजी वहां पर कमिश्नर थे। उनकी आपस में रिश्तेदारी थी और 1-2 एकड़ उनको भी दे दी। जब मुख्य मंत्रीजी से उनकी रिश्तेदारी हुई तो 300 बीघा जमीन कर ली। आज वह जमीन 20 लाख रुपयों की होती है अगर बेची जाय तो। मनफूल सिंहजी की चर्चा इस सदन में बारबार हो चुकी है। बिरलाजी के बाद आज राजस्थान में सबसे अधिक धनी आदमी वे बन गये हैं। बिरलाजी के बाद सबसे पहले उनका नम्बर आता है...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दूसरा नम्बर तो नहीं है।

श्री रामकिशन : तीसरा या चौथा हो सकता हूँ लोग कहते हैं मेरी जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह से जमीनों को हड़पा गया है। बृजप्रकाशजी की जमीन एक बार तो रद्द हो गई क्योंकि ग्रो मोर फूड के तहत जो शर्त लगी हुई थी वह उन्होंने पूरी नहीं की। उसके बाद में एक कम्पनी बनाई गई और अपने भाई और बेटों के नाम दे दिये। जिनका जन्म भी नहीं हुआ था उनका नाम पता नहीं कैसे रख लिया है। इस तरह से 8 आदमी तो घर के और एक राजपूत और एक ब्राह्मण को अपना नौकर बनाकर शामिल किया गया। उस समय राजस्थान के राजस्व मंत्री, चौधरी रामचन्द्रजी थे। उन्होंने 202 बीघा जमीन एलॉट कराकर नाली के क्षेत्र में ट्रान्सफर करा ली और मनफूलसिंहजी ने भी ट्रान्सफर करा ली। उसका नतीजा यह हुआ कि जब राज्य के प्रमुख नेताओं ने जमीनें ले लीं तो सरकार के बड़े बड़े अफसरों ने भी यह काम शुरू कर दिया। जो कि हमारे मुख्य सचिव हैं श्री झाला साहब उन्होंने 25 बीघा अभी कुछ दिन पहले वहां पर जमीन ले ली है। मैं राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेरी मन्शा ऐसी नहीं कि गवर्नमेन्ट ऑफिसर ने जमीन ले ली तो उससे द्वेषवश मैं यह बात कहता हूं। आप समाजवादी नहीं हैं लेकिन डेढ़ दो साल से आप समाजवादी बन गये हों जब से कांग्रेस का विघटन हुआ है और जब से आप नई कांग्रेस में शामिल हुए हों। आप लोग कहते हो कि हम

(श्री रामकिशन जैन)

समाजवादी हैं। कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री आई थीं इन्दिराजी तो मैं उस दिन नीम के थाने जा रहा था तो उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे, इस महान देश की महान प्रधान-मंत्री मुख्य मंत्रीजी खुशामद करें उनकी। देश तो महान् हैं लेकिन प्रधानमंत्री महान् हैं तो उनकी अकल को क्या कहूं। वह यह कह सकते हैं कि उनकी छत्रछाया में में पल रहा हूं, राज्य कर रहा हूं तो मैं मान सकता हूं, लेकिन चाणक्य के बाद इस देश का महान प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ आज तक। आपने प्रधानमंत्री को महान कह दिया। आप समाजवादी हैं और देश की प्रधानमंत्री समाजवादी कहती हैं अपने आपको, जो चीन से पराजित हो जाय, जो पाकिस्ताने से पराजित हो जाय, जिसकी जमीन छिन जाय, जिस देश में गरीबी भयंकर रूप में हो उस प्रधानमंत्री को महान् आप कहते हैं तो इतिहास इस प्रकार के शब्दों को कैसे माने?

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप समाजवादी बन ही गये हो चाहे मजबूरी से बने हों या प्रचार से बने हों तो राज्य के मंत्रियों को यह देखना चाहिए कि सरकार के अधिकारियों को आचरण समाजवादी होना चाहिए। क्या राजस्व मंत्रीजी इस बात का जवाब देंगे कि अगर कोई गैर कानूनी ढंग से भूमिहीन बन गये हों और जिन लोगों ने गंगानगर में जमीनें ले ली हों तो उसको रद्द करके और रद्द करने के बाद एस० डी० ओ० या तहसीलदार के मारफत उनको बेदखल करके उनसे सारी जमीनें लेकर उन भूमिहीनों को दें लेकिन सारी जमीनें ऐसे लोगों ने हड़पी हैं जो कि प्रभावशाली हैं और हजारों एकड़ जमीन ऐसे लोगों के पास में है जो कि कभी काश्तकार नहीं रहे, जिनका कभी खेती से सम्बन्ध नहीं रहा। सभापति महोदय, लोग तो यहां तक कहते हैं कि अब की दफा राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि हरिजन कों जमीन देंगे तो गंगानगर में जो इसके पहले जमीनों का एलॉटमेंट हुआ है तो जिनका वोटर्स लिस्ट में नाम था उनको भूमिहीन मान लिया गया और उनके मताबिक एलॉटमेंट किया गया है, और नतीजा क्या हुआ कि वहां पर लॉटरी के मारफत एलॉटमेंट हुआ है। जब लॉटरी के मारफत गंगानगर में जिनको भूमिहीन माना गया है उनको 15 मुरब्बे का एलॉटमेंट हुआ है। आप अपने आपको समाजवादी करते हैं। आप इस शब्द का दुरुपयोग क्यों करते हैं। आप तो डूबेंगे ही, आप बच नहीं सकते लेकिन हमें क्यों डुबोना चाहते हैं? समाजवाद का अर्थ अपना पेट पालना नहीं है। समाजवाद का अर्थ गरीबी मिटाकर सम्पन्नता लाना है तो मैं समझता कि एलॉटमेंट जो जमीनों का हुआ है उसको देखें तो ऐसे लोगों को हुआ है जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है। सरदार निरन्जन-सिंह को जमीन का एलॉटमेंट हुआ है। वे रहने वाले पंजाब के हैं और 1 हजार बीघा जमीन वहां पर उनके पास में है। वे भूमिहीन बन गये और दुबारा यहां पर जमीन एलॉट करवा ली। एक खेमचन्द हैं जिन्होंने बेइमानी से जमीन एलॉट करवा ली है। रहने वाले वे पंजाब के हैं और 1 हजार बीघा पहले से ही उनके पास जमीन है लेकिन उन्होंने यहां पर भी बहुत बड़ी जमीन एलॉट करवा ली है। केवल एस०

(श्री रामकिशन)

डी० ओ० जमीन बांटेगा तो उसका नतीजा क्या निकला है ? जब तक आपकी नियत नहीं बदलेगी और सरकारी तन्त्र के मन में यह भाव पैदा नहीं होगा कि गरीब को जमीन देना है तब तक इससे लाभ नहीं होने वाला है। विजयनगर के बड़े बड़े व्योपारी हैं उन्होंने जमीनें ले ली हैं । जो गंगानगर में जमीनों का आवंटन हुआ है अगर उसकी जाच करें तो इस नतीजे पर पहुचेगें कि एक भी ऐसी जमीन नहीं है जो कि भूमिहीनों को मिली हो ।

गंगानगर के चार मंत्री हैं । मैं समझता हूं कि मनफूलसिंह जी को आप जानते हैं। क्या मनफूलसिंहजी, क्या बृजप्रकाशजी ? जब बृजप्रकाशजी ने जमीन ली तो गुरुदीपसिंह जी क्यों पीछे रहने वाले थे । 45 बाजीगरों की जमीन थी, जब और कोई बड़ा हाथ म नहीं आया तो बाजीगरों पर ही हाथ साफ किया। मुलकराजजी साहब तीसरे मंत्री हैं । मैं उनकी शकल जानता हूं । उन्होंने अब इस्तिफा दे दिया है पानी के के सवाल पर उन्होंने भी जमीन दबा ली। मंत्रियों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों ने यानी मुख्य सचिव से लेकर, कमिश्नर एस० डी० ओ० और तहसीलदार तक ने जमीनें दबा ली । एक नाहरसिंह नाम के तहसीलदार हैं उन्होने 1 हजार बीघा जमीन अपने नाम से कर ली, अपने परिवार के नाम से कर ली । आवंटन का प्रचार तो किस तरह से करते हैं तो उससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं खास तौर से कि इस तरह से कुछ होनेवाला नहीं है ।

इसके बाद में, सभापति महोदय, कुछ पोलिटिकल सफरर आ गये और उन्होंने जमीनें ले लीं । कोडाराम नाम का आदमी है वह कभी जेल नहीं गया और पोलिटिकल सफरर बन गया । सन् 48 से पहले कभी वह राजनीति में नहीं आया लेकिन एक मर्डर केस में गवाह था किसी पार्टी की तरफ से और उसने गवाही दे दी । उस हैसियत से उसको जमीन नहीं दे सकते थे तो पोलिटिकल सफरर के नाम से उसको 50 बीघा जमीन का एलॉटमेंट कर दिया गया ।

तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार केवल, यह सारी लिस्ट गंगानगर की सुनाने में दो घण्टे लग जायेंगे, सरकार केवल यह कहती है लेकिन उसकी नीति भूमि विरण की नहीं है । इससे मैं यही समझ पाया हूं कि सरकार की नीति भूमि वितरण की नहीं है । अगर आप वितरण करना चाहते हैं तो मैं सुझाव देना चाहता हूं । सरकार की परिभाषा स्पष्ट नहीं है । मनफूलसिंह की बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है वैसे तो जिसके बारे में विधान सभा में जब जब चर्चा होती है तो उसका प्रमोशन हो जाता है ।

एक माननीय सदस्य : उनका भी प्रमोशन कराना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : उनके घर में 10 आदमी हैं । यह उनकी लिस्ट है । सभापति महोदय, आप देखें । यह मंगला राम मोटाराम, मोटाराम, राजेन्द्र प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद, प्रमलाल, खातीराम, मंगलाराम, कोशल्या देवी मनफूलसिंह, खेतसिंह मोटाराम, मनफूलसिंह मोटाराम । इन दस आदमियों ने जो जमीन ली है, उसकी अगर कीमत लगाई जाये तो आज वह 20 लाख रु० की जमीन होगी । मैं वहां जब जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं कि विधान

(श्री रामकिशन)

सभा में आप इस सवाल को उठाइये। मैं उनसे कहता हूं कि मुख्यमंत्री ने बून्दी में अपने रिश्तेदार को जमीन दे दी है। वे तो सब मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। उन्हीं की नकल करते हैं। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहूंगा आप अध्यादेश लाये हैं, हमें विरोध नहीं है। लेकिन क्या आप गारन्टी दे सकते हैं। 50 लाख एकड़ भूमि जो सरकार ने बांटी है उसमें सिर्फ 13 भूमिहीन हैं। बाकी सैकड़ों लोग हैं जो भूमिहीन नहीं हैं। उसमें जिन 13 भूमिहीनों को दी उनका कब्जा भी नहीं है। अभी भूमि हथियाओ आन्दोलन चला। मैं उस समय बूंदी गया। उस समय सरकार का यह आदेश निकला कि जो आदमी भूमि हथियाओ अन्दोलन में भाग लेगा, उसको जमीन अलॉट नहीं की जायगी। जब कम्युनिस्टों ने यह किया था तो कोई बात नहीं थी क्योंकि इन्दिराजी तो महीने में 3 बार बदलती हैं। केरल में मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों से समझौता करती है और उनको प्रगतिशील कहती है। और जनसंघ को प्रतिक्रियावादी कहती है।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर, सभी हिन्दुओं को प्रतिक्रियावादी कहना ठीक नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं हिन्दुओं को नहीं कह रहा हूं। जनसंघ वालों को कह रहा हूं।

श्री मदनसिंह : जनसंघ कौन है ?

श्री रामकिशन : जनसंघ न हिन्दू है न मुसलमान है।

श्री मदनसिंह : जनसंघ में हिन्दू हैं।

श्री रामकिशन : यों तो गहराई में जायेंगे तो कई सवाल उठ खड़े होंगे। तो सभापति महोदय, जो भूमिहीन हैं, उनको जहां जहां एलॉटमेंट हुआ है उनकी जमीन अलॉट नहीं हुई है। वहां उनको नहीं मिली है। भरतपुर जिले में 25 हजार एकड़ पर लोगों ने कब्जा किया है।

श्री मूलचन्द डागा : किसने किया है ?

श्री रामकिशन : डागा साहब, आपकी अकल को समझना कठिन है। हमारी समस्या यह थी, जमीन पर कब्जा कर लोगों को हटाओ। जमीन की कीमत घटाओ। कम्युनिस्ट पार्टी से छेड़छाड़ करेंगे तो रामानन्द जी आपके सामने है।

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री रामकिशन : डागा साहब, 4 महीने पहले की आप लेकर बैठे हैं। आज कम्युनिस्ट पार्टी से आप के सम्बन्ध कितने गहरे हैं। आप को पता नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : नगरपालिका में आपने भी तो किया।

श्री रामकिशन : हमने तो नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप (किन्हीं माननीय सदस्य की ओर संकेत) अपनी कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पत्नी ने सम्बन्ध किया है।

श्री रामकिशन : मेरी पत्नी आप की

(श्री रामकिशन)

जैसी नहीं है। हमारी यह बात नहीं है। हमने जो किया है, वह क्षणिक है।

तो, सभापति महोदय, निवेदन करना चाह रहा था, यह राजस्थान की सरकार जमीन आवंटन करने की बात कर रही है। 14 नवम्बर की तारीख तय की है। मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान सरकार घोषणा करे कि कितनी जमीन खेती करने लायक राजस्थान में है। खेती करने वाले कितने लोग हैं। आप यह सूची बनाइये सीलिंग की सूची गलत है। आप यह सूची बनाइये। उसमें हरिजनों को आप जमीन दें। इसका मैं पक्षपाती हूं। लेकिन मैं कहूंगा समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अनुसूचित जाति में नहीं आता है, जैसे कुम्हार, बढ़ई आदि है जिनके पास जमीन नहीं है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इन लोगों के लिए भी कुछ पर्सेन्ट तय कर दें। 80% हरिजनों और आदिवासियों को दे दीजिये। 20% सवर्ण ब्राह्मण आदि जिनका खेती करना धन्धा है, उनको भी दें। देश में एक जाति विशेष है। हम चाहते हैं बीच में उन लोगों को भी जमीन दें।

श्री मदनसिंह : साथ में फ़ौजियों को भी ले लें।

श्री रामकिशन : वह तो पहले से ही है। सभापति महोदय, आपने जो 14 नवम्बर का टाइम तय किया है, उसका पर्सेन्टज तय कर दीजिये। इससे सामाजिक कटुता कम होगी और कब्जा लेने में भी सुविधा होगी। चार ये है तो एक वह भी बीच में आ जायेंगे। कुछ जो समाज का संचालन करते हैं, वे पटवारी से लेकर कलेक्टर तक हैं। यह सही है कि वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। फिर भी लोगों में जलन है। फिर भी आवंटन हो जाता है तो कब्जा नहीं मिल पाता है। वह गरीब आदमी है, मुकद्दमा लड़ नहीं सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से लड़ नहीं सकते है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन दो वर्षों में एक प्रावधान और करें, जब तक भूमि आवंटन हो, जो हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग और भूमिहीन मुकदमा चलायेंगे, उनका सरकार खर्चा देगी। अभी आपने एक प्रतीकात्मक रूप से एक-एक जिले के लिए एक-एक हजार रुपया रखा है, कहीं पर एक हजार है, कहीं पर दो हजार हैं लेकिन इससे यह समस्या सुलझेगी नहीं क्योंकि जब यह हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग और भूमिहीन जमीन का कब्जा लेने जाते हैं तो बड़े लोग डण्डे लेकर आ जाते हैं और इन लोगों के पास में मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार वकीलों के लिए ऐसा फंड बनाये कि जो भी ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे उसके लिए सरकार पेमेंट करेगी। जब समाजवादी नीतियों में जनहित की बात की जाती है तो पिछड़े वर्ग को पूरा-पूरा संरक्षण देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सभापति महोदय, इस संबंध में मुझे सरकार को इतना ही निवेदन करना था।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, अभी वन विभाग के सम्बन्ध में चर्चा हुई। हमारे भरतपुर में भी वन हैं। यह सही बात है कि राजस्थान के अन्दर वनों की स्थिति बहुत खराब है। मैं राजस्व मन्त्रीजी को निवेदन करना

(श्री रामकिशन)

चाहता हूं कि आपके पास तो राजस्व ही है लेकिन आपके जो राजस्व सचिव हैं वह साथ साथ में वन सचिव भी हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन की रक्षा के लिए और वन का विकास करने के लिए पुराने तरीके ही अपनायें तो आप उनकी रक्षा और विकास नहीं कर सकेंगे। आज जो नई नई टैक्निक दुनियां के कई देशों के अन्दर अपनाई जा रही है और उन्होंने कैसे इस समस्या को हल किया है—इस सब की आपको आज जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर 27 प्रतिशत जंगल है किन्तु यह सरकार किन जंगलों को अपने पास में रखना चाहती है ? जहां पर आप प्रयत्न करके जंगल बनायें, उन जंगलों को अपने पास रखना चाहते हैं और उनकी रक्षा करना चाहते हैं ? ऐसा नहीं करके परम्परा से जो जंगल आपके पास आये हैं, जिन जंगलों के अन्दर बड़े बड़े वृक्ष हैं, वे आपके पास आ गये हैं, यह बात सही है कि ऐसे वनों के अन्दर पेड़ भी होंगे और अनाज उत्पन्न करने के लिए भूमि भी होगी, ऐसे वनों की जमीन को आप भले ही भूमिहीनों को एलॉट कर दें और आप कोशिश कर दें और आप कोशिश करें कि आपको वनों के उपयुक्त अच्छी भूमि उपलब्ध हो। मैं आपको भरतपुर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर खादरों की जमीन है, जमुना की खादर और चम्बल की खादर—यह जमीन इतनी पड़ी हुई है जिसको आप वनों के विकास के लिए काम में लें और आज जो भूमि वनों के पास है उसको भूमिहीनों को एलॉट करने के लिए रिलीज करें तो एक तरफ तो भूमिहीनों की समस्या सुलझेगी और दूसरी ओर आपको वनों के लिए जमीन भी मिल जायगी। लेकिन सरकार इस ओर तो ध्यान देती है नहीं और जो पुराने जंगल हैं, उनके लिए कहते हैं कि उनकी रक्षा करने का आपका धर्म है। यह बात सही है कि उनकी रक्षा आप करेंगे लेकिन आप जब तक वनों के विकास के लिए नये तरीके नहीं अपनायेंगे तब तक इस समस्या को आप सुलझा नहीं पायेंगे।

इन शब्दों के साथ सरकार जो अध्यादेश लाई है उसको अस्वीकार करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। इसके साथ साथ मैं राजस्व मन्त्रीजी से चाहूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उनका वह जवाब दें, एक तो जो सरकारी भूमि वितरण करने की पुरानी नीति है और जो गलत आवंटन किये गये हैं उनकी जांच करके समाप्त करने को आप तैयार हैं ? दूसरे जो गैर काश्तकारों ने जमीन ले ली है उनको समाप्त करने के लिए आप तैयार हैं ? और आयन्दा जो भूमि का आवंटन होगा तो क्या आप इस बात का आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि भूमि उन भूमिहीनों को मिलेगी जिन्हें अब तक नहीं मिली है। इन शब्दों के साथ में अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री सभापति : श्री गोयल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, एक सैकिण्ड।

यह राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) आर्डिनेन्स, 1970 (आर्डिनेन्स 4 ऑफ 1970) है इसको अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मेरा संकल्प है। मैं यह प्रस्तुत कर देता हूं, इसे प्रस्तुत किया हुआ मान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिया जाय और क्योंकि मुकुट बिहारीलाल गोयल को कहीं जाना है इसलिए वह जल्दी बोलना चाहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें पहले बोलने की अनुमति दे दी जाय, बाद में मैं बोल लूंगा। यह मेरा राइट रिजर्व रहेगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : सभापतिजी, यह जो भूमि एलॉटमेन्ट का सवाल है इसको हम कई दृष्टियों से देखते हैं। यह ठीक है कि इस लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के अन्तर्गत, जहां पर पहले चेयरमेन एलॉटमेन्ट कमेटी का तहसीलदार होता था, उसके स्थान पर अब एस० डी० ओ० को कर दिया है और तहसीलदार उसके एक सदस्य के रूप में रह जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इस लैंड एलॉटमेन्ट कमेटी की पोजीशन क्या रह गई है। आज यह घपला बराबर बना हुआ है कि छोटे छोटे भू-खंडों को रेगुरलेाइज करने की 91 के तहत प्रासीडिंग्स चला कर नोटिस को वेकेन्ट करने का अधिकार है, यह अभी तक तहसीलदार के पास है। छोटे छोटे भू-खंडों को रेगुलेराइज करने के लिए, जो रेगुलेराइज करने के लिए रूल्स बने हुए हैं, उनके लिए पहले एलॉटमेन्ट कमेटी बुलाई जाती है तो यह ठीक है कि आप कह सकते हैं कि कानून की मन्शा यह निकलती है इसलिए इसको रेगुलराइज करने के लिए एस०डी०ओ० को हम एम्पावर करते हैं। परन्तु अमल में यह हो रहा है कि छोटे छोटे भू-खण्डों के नाम पर जिस जमीन का एलॉटमेंट होना है उसके लिए अब भी तहसीलदार ही कमेटी को बुलाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अब भी इसी महीने की सात तारीख को, नौ तारीख को, दस तारीख को और ग्यारह तारीख को तहसीलदार ने अपनी मर्जी के माफिक, क्योंकि उनके एक दो केस आये होंगे, इसलिए झट से चिट्ठी लिख दी एम० एल०ए०को कि रेगुलेराइजेशन कमेटी की बैठक इन तारीखों को होगी, भूमि एलॉटमेंट कमेटी की बैठक होगी और वह इस बात के लिए होगी कि छोटे छोटे भू-खण्डों का एलॉटमेंट करना है। वह इस बात को जानते हैं कि एम०एल०ए० इस वक्त विधान सभा में व्यस्त होंगे, लेकिन इस बात की कौन परवाह करता है। अगर एम० एल० ए० उस वक्त पहुंच जायं तो कह देंगे कि यही एक दो केस हैं। फिर दूसरे रोज की तारीख डाल देंगे या चार दिन बाद की तारीख डाल देंगे, जैसे कि एम० एल० ए० बेकार व्यक्ति हुआ करता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी इस बात पर विचार करें और विशेष तौर से मेरी इस प्रार्थना को सुन लें, मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, निवेदन करना चाहूंगा कि 91 का जो प्रोविजन है उसके अन्तर्गत जो अधिकार हैं इसका बड़ा भारी मिसयूज होता है। इसके अन्तर्गत तहसीलदार...............

(1.45 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारीचूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

पटवारी, गिरदावर झूंठे तरीके पर एक रिपोर्ट करवा देते हैं कि इस जमीन पर फलां आदमी का अनधिकृत कब्जा है। उसके बाद क्या होता है कि प्रासीडिंग्स होती है और दो चार इधर उधर की गवाही लेकर झट से नोटिस को वेकेट करके जमीन को उसके हक में छोड़ दिया जाता है। आप

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

आंकड़े देखें, भरतपुर जिले के अन्तर्गत, मैं कहूंगा कि लाखों बीघा जमीन, जिस पर कब्जा हुआ है, वह केवल इस 91 प्रासीडिंग्स के आधार पर हुआ है। चाहे वह चरागाह की जमीन थी, चाहे वह गैर मुमकिन जमीन थी, चाहे कैसी भी जमीन थी, उसके सम्बन्ध में 91 की प्रासीडिंग्स की है। आपने यह रूल बना दिया, यह नियम बना दिया कि जिसके हक में जमीन का एलॉटमेंट करना है, एलॉटमेंट कमेटी से बाहर कुछ घपला करना है तो उसके खिलाफ 91 के तहत नोटिस दे दिया जाता है कि फलां फलां शख्स ने इस जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, उसके लिए नोटिस जारी हो गया कि आप बताइये कि आपको क्यों नहीं बेदखल किया जाय और उसके बाद में दो चार गवाही ले ली और झट से उसके हक में वह नोटिस वैकेट कर दिया। इस घपले को आप जब तक नहीं रोकेंगे तब तक आप भले ही एलॉटमेंट करने के लिए एस० डी० ओ० को अधिकार दे दीजिये, एलॉटमेंट कमेटी को अधिकार दे दीजिये—इससे इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप रेगुलेराइजेशन के लिए कहें तो रेगुलेराइजेशन के, छोटे छोटे भू-खण्डों के रेगुलेराइजेशन के अब भी तहसीलदार पावर एन्जॉय कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिये कि छोटे छोटे भू-खण्ड कुल कितने के हैं? दस बीघा के, पांच बीघा के, सात बीघा के छोटे छोटे भू-खण्ड हो सकते हैं। क्योंकि छोटे भू-खण्डों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। इस कारण ही चरागाह की जमीन का एलॉटमेंट कर देते हैं, बंजर जमीन का एलॉटमेंट कर देते हैं। मैं निवेदन करूं, सभापति महोदया, अगर मैं आपको उदाहरण देने लगूं तो आपको एक नहीं अनेकानेक उदाहरण दे सकता हूं। 84 बीघा जमीन, जहां अब भी काश्त नहीं होती है, अब भी बड़े बड़े बंबूल के पेड़ उसमें खड़े हुए हैं लेकिन पटवारी ने कागज में लिख दिया है कि दस पन्द्रह साल से इसका कब्जा है इसलिए इसके हक में रेगुलेराइज कर दिया जाय। ऐसे एक नहीं, गांव गांव में एलॉटमेंट किये गये हैं। मैं आपको कहता हूं कि एलॉटमेंट कमेटी बनी, वह एस०डी०ओ० की सदारत में बनी, पिछले माह 2 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक उसने बीस हजार बीघा का एलॉटमेंट कर दिया, यह एलॉटमेंट हुआ यह बात ठीक है कि एलॉटमेंट के सिलसिले में एलॉटमेंट कमेटियों ने अपना फर्ज निभाया, परन्तु आपने क्या इस बात के लिए एन्स्योर कर लिया है कि उन जमीनों का वास्तव में कब्जा भूमिहीनों को मिल गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा कि पन्द्रह हजार बीघा जमीन एलॉट हुई है, बीस हजार जमीन एलॉट हुई है, उस जमीन में से पन्द्रह हजार बीघा जमीन पर लोग अदालतों से स्टे ले आये हैं, ए०डी० एम० साहब ने स्टे दे दिया है। इसके अन्दर, अब मैं समझता हूं कि चीज कहां से पैदा हुई? लोग पटवारी से मिले और एक तरफ नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इस जमीन का एलॉटमेंट एलॉटमेंट कमेटी के द्वारा होगा लेकिन दो रोज पहले पिछली डेट में तहसीलदार ने नाजायज कब्जे की एप्लीकेशन ले ली और फलां फलां आदमी के नाम पर नाजायज कब्जे का नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस जारी हुआ, जब कि आपने रूल में यह लिख दिया है कि अनआकूपाइड लैंड का ही एलॉटमेंट होगा, लेकिन उसको आकूपाइड करा लिया पिछली डेट के अन्दर और दस रोज पहले की एप्लीकेशन ले ली, उसके

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

आधार पर जो एलॉटमेंट हुआ उसको उसका कब्जा नहीं लेने दिया गया और जिनको कब्जा नहीं मिल रहा है, मैं आपको गांव गांव की बात करूं, अपने क्षेत्र की बात करूं और गांव गांव का रिकॉर्ड बता दूं कि तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर के लिए यह एक तरह से सरह लगा दी कि सौ, दो सौ रुपये लेगा। सौ, दो सौ पटवारी ले लेगा तो किसी काश्तकार को पांच बीघा जमीन मिली है तो वह जब तक एक हजार रुपये की भेंट नहीं चढ़ा दे तब तक उसको कब्जा नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करूं कि आखिर उस तहसीलदार की शिकायत करें तो करें किस से ? सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है कि अगर हम तहसीलदार की शिकायत करें तो उसको आप बाड़ी में भेज देंगे, बाड़ी में वह गड़बड़ करेगा और शिकायत करेंगे तो उसको आप राजाखेड़ा भेज देंगे और वहां भी वह गड़बड़ करें और शिकायत करें तो उसको आप कहीं और भेज देंगे। उसमें हुआ क्या, कुछ थोड़ी भेंट पूजा और होगई। आज ऐसी स्थिति हो गई है घपले की, उसके बारे में अगर आप चुनौती दें और अगर आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स की बात करें तो एक नहीं, अनेकानेक उदाहरण में देने के लिए तैयार हूं कि किस किस तरह के नाजायज घपले हुए हैं...

आप ए० डी० एम० के यहां चले जाइए, हलफनामा दे दो, उन्होंने अपील कर दी और स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे किस बात का ले रहे हैं ? आपका क्या राइट है ? कहते हैं कि जमीन पर मेरा 20 साल से कब्जा है। हलफनामा दे दिया और उसकी आड़ में स्टे ले लिया। इस तरह से जो घपलेबाजी हुई, आज सही मायने में चाहे एस० डी० ओ० या तहसीलदार को कर दो, चाहे एलॉटमेन्ट कमेटी में खुद बैठ जाओ लेकिन आपकी जो एजेन्सीज हैं वह अगर इस तरह की घपलेबाजी करती रहेंगी तो इससे लाभ का काम नहीं हो सकेगा। इन दो महीनों में रेवेन्यू एजेन्सीज के जरिए भरतपुर जिले में 5 लाख से 10 लाख की रिश्वत ली। कुछ बड़े-बड़े नेता बन गए। उन्होंने कहा 100 रुपये दीजिए मैं चारागाह से जमीन रिलीज कराता हूं। मैंने 2-4 उदाहरण कलेक्टर साहब को बता दिए, लिखकर दे दिया कि फलां नेता इस बात के पैसे ले रहा है, फलां गांव चारागाह है, वह एलॉटमेंट कमेटी में रुकवाते हैं, कहते हैं 100 बीघा हमें दे दो। इस तरह की घपलेबाजी है। आप कोई पोलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम चाक-आउट करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन सही ढंग से होता है या नहीं। क्या एग्जीक्यूशन करने वाली जो एजेन्सीज हैं करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं ? आप इस पर कैसे चेक लगाते हैं ? 101 के अन्दर पॉवर तहसीलदार से हटाकर एस० डी० ओ० को दे दी। मैं एस० डी० ओ० के पास भी......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एलॉटमेन्ट कौन कर रहा है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एस०डी० ओ० कर रहा है। परन्तु एस०डी०ओ० को बोलने की आवश्यकता कब पड़ी जब तहसीलदार को अधिकार मौजद है ? वह फौरन रिलीज कर देता है। दूसरा घपला भी है। मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लपहोल्स की तरफ

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

ध्यान दें। फसला लेना आपके हाथ की बात है, जो घपला हो रहा है, उसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। होता क्या है। झट से उन्होंने एप्लीकेशन दिलाई तहसीलदार के यहां, कलेक्टर के यहां। कलेक्टर ने फॉरवर्ड कर दी एस०डी०ओ० न तहसीलदार के यहां फावर्ड कर दी। तहसीलदार ने गिरदावर को भेज दी, उन्होंने पटवारी को भेज दी। पटवारी ने रिपोर्ट की कि फलां रकबा 20 साल से इनके कब्जे में है हालांकि फलां आर्डर्स से चारागाह घोषित हो गया है। 833 बीघा रकबा है। इन काश्तकारों का कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार ने पटवारी को लिख दिया। पटवारी से गिरदावर को कागज गया और तहसीलदार ने सिफारिश कर दी कि जोत करते रहे हैं। कलेक्टर साहब की सेवा में प्रेषित है और नोटिंग हुई। उसके बाद 933 रकबा रिलीज हुआ लेकिन किसके हक में? जमींदार के हक में। हमने खुद एलॉटमेंट कमेटी में बैठकर जमीन भूमिहीन किसानों के लिए एलॉट की थी। करीब 300 काश्तकारों का क्या हुआ? कुछ नहीं। कब्जा नहीं मिला। 25 सितम्बर को यह एलॉटमेंट हुआ। उस सिलसिले में गाड़ी चलती रही। तहसीलदार ने लिख दिया। जिन लोगों ने 200-250 बीघा के हिसाब से दिया, थोड़ों को दखल दे दिया, बाकी ने जमींदार से मिलकर रिपोर्ट कर दी, उस पर भेंट पूजा चढ़ाई गई, स्टे मिल गया, तो इस प्रकार जो व्यवस्था चल रही है, आखिर आप इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं। इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से कहा और आपसे भी कहना चाहता हूं कि बयाना की तहसीलों का जहां तक ताल्लुक है, वहां आज भी इतना घपला होने के बाद भी अगर आप गारण्टी के साथ कहकर चलना चाहें तो हम पूरी बयाना तहसील और पूरी रूपा तहसील को परीक्षण के तौर पर इस बात के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं कि राजस्थान में भूमिहीन किसान नाम की कोई चीज नहीं रखने देंगे, प्रत्येक आदमी को रोजगार देना चाहेंगे, इस प्रकार आंदोलन चलाना चाहेंगे तो हम सहयोग देना चाहेंगे। आप 15 बीघा जमीन हर किसान को एलॉट कर सकते हैं। भूमिहीनों की समस्या कम से कम दो तहसीलों में हमेशा के लिये समाप्त कर सकते हैं। ऐसी योजना बनाई जा सकती है। वह बने कैसे? जो बयाना तहसील में 27 हजार बीघा, 20 हजार बीघा रखा, 15 हजार बीघा रखा, वह अलग है, वह इस केटेगरी में नहीं।

आज जैसे माननीय रामकिशनजी ने निवेदन किया, हमने भूमि हथियाओ आंदोलन चलाया और भूमि मुक्ति आंदोलन चलाया। हमने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। हमने इसके साथ ही साथ एक जन मानस बनाया। वहां पर जमीन के बारे में बड़ी जबरदस्त भूख है। आप आश्चर्य कर सकते हैं। कांस की जंगल में सचिव महोदय ने देखा 8 हजार किसानों ने बरसते हुए मेह के अंदर 8 हजार किसान 3-3 दिन रहे, वह किसान भी भीगते रहे, जमीन पर कब्जा किया। आपने लाठी चार्ज कराया चाहे पुलिस एजेन्सी ने वहां पर कितनी गड़बड़ी की, गिरफ्तारी हुई, दूर दूर ले जाकर उनको जंगलों में छोड़ा उसके बाद 5 हजार आदमी इकट्ठे हुए। घेरा डाला, अपने आप को प्रदर्शन और गिरफ्तारी के लिये प्रस्तुत किया, चाहे

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

एस० डी० ओ० ने उनके पानी बन्द कर दिया, चाहे उनको काल कोठड़ी में बन्द कर दिया, मोरियां बन्द कर दीं ताकि पेशाब न कर सकें, कितने ही अत्याचार उन पर किए। उस इलाके में जमीन पर प्रेशर है ज्यादा है आबादी का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो भ्रष्ट तरीका है, इस पर थोड़ा सा चैक लगायें। आपकी जो रेवेन्यू एजेन्सी वहां है जिसने बपौती बना ली है, इधर से चले गए तो उधर चले गए, उसको थोड़ा वर्जित करें और बैठकर योजना बनायें। अगर योजना बनायेंगे तो निश्चित तौर से जनता का कल्याण होने वाला है, आपकी योजनायें सफल होने वाली हैं और यश आपको मिलने वाला है। हम तो पीछे रहकर आपसे सहयोग करना चाहते और सहयोग केवल इन्सानियत मानवता के नाम पर गरीबों को जमीन मिले, इसलिये ऐसा करते हैं। आखिर गरीब चाहते क्या हैं? गरीब नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, धरती के पेट को फाड़कर जोत कर, अपने खून पसीने से देश की अन्न की समस्या का हल करना चाहते हैं, बच्चों का पेट भरना चाहते हैं, चोरी नहीं करना चाहते, डकैती नहीं डालना चाहते कोई पापाचार नहीं करना चाहते, खुद मेहनत करके बच्चों का पेट भरना चाहते हैं, इसमें आपका सहयोग चाहते हैं।

इस समय मैंने जो आपका ध्यान आकर्षित किया कि रेग्यूलेराइजेशन की प्रोसीडिंग के द्वारा रिलीज करने की प्रोसीडिंग्स के द्वारा नाजायज कब्जों को रेग्यूलराइज करने के नाम पर 90 व 91 के द्वारा और दूसरे माध्यमों से जो जमीन की लूट मची हुई है, उसको रोकें। उदाहरण के लिये मैं गांव गांव के उदाहरण में दे दूं और फिर उन पर स्टे आॅर्डर लेकर आए, कानूनी प्रश्रय लेकर जिस तरह से एलाटमेंट हो रहे हैं, उससे मकसद हल नहीं होता। आपकी मन्शा साफ है कि आप भूमिहीनों को भूमि देना चाहते हैं, आप गरीबों को देना चाहते हैं। इस मन्शा के साथ हम भी आपके साथ सहमत हैं परंतु आज जो वहां पर बैठे हैं, जमीन पर कब्जा कौन करने देता है? पुलिस को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कर दी, परन्तु एस० डी० ओ० ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? किसी आदमी का दबाव पड़ेगा तो एस०डी०ओ० पुलिस को लिख देगा कि जल्दी से जल्दी जमीन जोतने दो और थानेदार जाकर गांव में बैठ जायेगा और उधर गांव के लोगों से कह दिया कि वह खेत जोतने के लिए जा रहा है। उनके बैलों और हल को लूटो। तहसीलदार मौजूद है। एस०डी०ओ० के सामने कहा, कलेक्टर के सामने कहा कि यह क्या है? खुद थानेदार जाय, सी० आई०, बयाना जाय और खुद 25-30 मन ज्वार को ले जाय। ज्वार तो वापस मिल गई परन्तु हल और दूसरे जो उपकरण खेती के थे, वह आज तक नहीं मिले। तो आखिर आप व्यवस्था क्या करना चाहते हैं? पैसे के बल पर जो गरीबों पर अन्याय हो रहा, उसका शोषण हो रहा है उसको मिटाइये, भ्रष्टाचार को समाप्त करिये और आप इस प्रकार के प्रभावकारी कदम उठाइये कि आपने जमीन अलॉट की और फौरन उसका कब्जा मिले, उस पर किसी का राइट है तो उसका फौरन निपटारा हो। तब ही जाकर कोई भूमिहीन को फायदा होने वाला है। कई प्रकार के उदाहरण दिये जा सकते हैं वरना तो। आप ही आंकड़े उठाकर देख लीजिये कि अक्टूबर सितम्बर में 20 हजार बीघा जमीन अलॉट

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
की ओर यह घोषणा की गयी। उसमें से 15 हजार बीघा पर तो ए०डी०एम० ने स्टे कर दिया। पांच हजार बीघा जमीन बची उस पर गांव वालों ने कब्जा नहीं करने दिया चाहे लट्ठ से या कैसे। उनको वहां से भगा दिया। आपके नक्शे आपके पास हैं उससे आप स्वयं संतोष करलें कि हमने गांधी शताब्दी वर्ष में इतने हजार बीघा आदिवासियों और हरिजनों को जमीन अलॉट की। यदि आपकी इन लम्बी घोषणाओं से आपको संतोष हो जाता है और समस्या का हल हो जाता है तो मैं समझता हूं कि न तो आप पसन्द ही करेंगे और न हीं आपके लिये यह उचित होगा।

अन्त में मैं यही नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि समय का अभाव है, आपने 101 के अन्तर्गत एस० डी० ओ० को रखा है, 90 और 91 की जो प्रोसीडिंग्स है इसके लिये भी आप एस० डी० ओ० लेवल की ही बात रखिये। नाजायज कब्जे को रेगुलेराइज करने की बात हो, गैर कानूनी तरीके से बंटवारा की बात हो, उसकी जानकारी करने के लिए आप ब्लोक लेवल पर कमेटी बना दीजिये, पंचायत लेवल पर बना दीजिये किन किन लोगों के उजरात हैं, उनका संकलन करके, उनकी लिस्ट बना कर उनके संबंध में आप इन्क्वायरी बिठा दें ताकि कहीं जाकर तो ठहर सकें। कितने हजार बीघा जमीन अलॉट की गयी है, कितनी पर कब्जा किया गया है, कितनी पर स्टे लाया गया है, कितनी लिटिगेशन में है। पांच लाख से दस लाख की रिश्वत रेवेन्यू एजेन्सी को गयी है, ए० डी० एम० से लेकर तहसीलदार तक के लेवल तक। राजस्व मंत्रीजी। यदि आप में क्षमता है, वह क्षमता नहीं है जिसके लिये कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन क्या आप प्रशासन की स्वच्छता चाहते हैं और बदनामी से बचना चाहते हैं तो आप एक फैसला ले लीजिये। 20 साल से बैठे हुए हैं। तहसीलदार राजाखेड़ा का ट्रान्सफर किया शिकायतों पर बाड़ी, वाड़ी में जबरदस्त शिकायतें हुई तो उठा कर रूपावास में रख दिया। तहसीलदार राजाखेड़ा थे, शिकायतें हुई तो धौलपुर रख दिया, वहां से उठा कर बसेडी और फिर राजाखेडा में रख दिया। आखिर यह होता क्यों है ? अगर कोई शिकायतें है तो उसकी जांच करें। कोई इसके लिये एजेन्सी बना दीजिये। आप कहते हैं कि यह अरण्योरोदन है। लेकिन आप यह बता दीजिये कि यह एजेन्सी है जिसमें दरख्वास्त दें दी जाय जहां पर जांच हो जावेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : एन्टी करप्शन है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : क्या होगा ?

श्री रामकिशन : एक तहसीलदार का ट्रान्सफर किया। तीन माह हो गये। तेले के पीपे लेकर घूम रहा है कहता है कि ट्रान्सफर केन्सल करो। उस तेल से मंत्री महोदय मालिश करावेंगे या और कोई ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : भरतपुर के तेरह तहसील दार हैं उनकी जांच करवा लिजीये।

श्री राम किशोर व्यास : आप स्पेसिफिक एलीगेशन्स लगा कर भेज दें। मैं जांच करवा लूंगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : बड़े बड़े पोधे मरे पड़े हैं।

श्री रामकिशन : आप क्या करायेंगे । जनता खुद ही बरखास्त कर देगी ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : करप्शन के चार्जेज लगायेंगे तो एन्टीकरप्शन से जांच करायेंगे और जांच के दौरान प्राइमाफेसी केस बन जाय तो हटा देंगे ?

श्री राम किशोर व्यास: एक्शन लेना होगा वह लेंगे ।

श्री रामकिशन : तहसील दार बयाना के लिये आपके बगल में बैठ कर दरख्वास्त दी है । उसका क्या हुआ ? कलेक्टर ने रिपोर्ट भेज दी । एस० डी० ओ० ने तहसीलदार को भेज दी । जिसके खिलाफ रिपोर्ट है उसको ही वह भेज दी । उसी से रिपोर्ट मांग रहे हैं ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं उदाहरण नहीं देना चाहता लम्बे चौड़े । बड़े भारी घपले हैं । आदमी रोये तो कब तक रोये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यदि स्पेसिफिक कम्पलेन्ट करेंगे तो आई सेन्ड इट टु एन्टी-करप्शन

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : बयाना में बंसल साहब तहसील दार हैं उनका तबादला कर दिया और फिर रोक दिया । 91 की प्रोसीडिंग्ज में वह बहस सुन रहे थे । एक वकील इधर खड़ा था और दूसरा वकील उधर खड़ा । एक वकील ने बहस कर ली । मिसल को इधर उलट पलट कर तहसीलदार साहब बोले कि वकील साहब मामला यह बनता नहीं जंचता है । मुवक्किल पास ही में खड़ा था उसने हाथ करके नीचे पांच नोट सौ सौ के दे दिये । तहसीलदार साहब ने दूसरे वकीलसे कहा कि आप बहस शुरू करिये । उनकी बहस शु हुई । पहले वाला वकील बोला जिसने घूंस मुवक्किल से पहुचायी थी कि मेरी एक दलील रह गयी है । बार बार मौका नहीं दिया जा सकता है । ऐसी झिड़की देकर फिर कहा अच्छा बोलो । वही घिसी पिटी दलीलें दी गयी । पहले कह दिया गया था कि इसमें कोई दम नहीं । अब कहा जाने लगा तहसीलदार साहब के द्वारा कि हां अब तथ्य मिले हैं । तो दूसरा वकील बोला मेरा मुवक्किल नहीं आया है इसलिये । इसके मुवक्किल ने पांच सौ रुपये दियें हैं इसलिये तथ्य मिल गये हैं । रोशनलाल नामका वकील है । इस संबंध में बार एसोसियेशन के तमाम मेम्बर्स कलेक्टर के पास पहुंचे । तहसीलदार खुले आम कहता है कि जब तक नजराना नहीं दोगे तो कैसे हो सकता है । तमाम बार के मेम्बर तहसीलदार के खिलाफ कलेक्टर के पास पहुचे लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक ।

मैं आपको बताऊं हरि नगर में पालिवाना की जमीन जो हरिजनों के नाम दी गई वह दूसरों को दे दी गई । उसको रेगुलेराइज कर दिया । वकील जब उसके लिये गये उसका मुआयना करने नहीं दिया गया । उनको यह कहा गया देखिये वकील साहब जब तक कुछ देवोगे नहीं हम कुछ नहीं करेंगे । इस तरह से खुले आम रिश्वत मांगते है, जबरदस्ती मांगते हैं ।

इसके अलावा, मैं आपको मुद्दे की बात अर्ज कर रहा हूं उसमें इस बात का झगड़ा है कि रजिस्ट्री करने वाले क्लर्क ने 100 रुपया ले लिया उसका हिस्सा उसको नहीं मिला यही उसकी रस्सा कस्सी है । यह सरे आम अदालतों में हो रहा है आपके कर्मचारियों

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)
का जो नैतिक ह्रास हो रहा है उससे तो यह साफ पता चलता है कि कर्मचारी जो कुछ कर रहे हैं वह बिना किसी शह के नहीं कर सकते, रिश्वत का नंगा नाच हो रहा है....

श्रीमती सभानेत्री : आपको बहुत समय दिया जा चुका है ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : नम्रता के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीबों के हिमायती बनते हैं उनको जमीन अलॉट करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में उनको जमीन अलॉट होती नहीं है । आप इस बारे में जांच बिठाये और जो दोषी लोग आपके सामने आये उनको सजा दिलाये । और जमीन का अलॉटमेण्ट वास्तव में जिन लोगों को होना चाहिये महरबानी करके उन्हीं को अलॉट करिये। आज हालत यह है कि जमीन तो अलॉट कर दी गई लेकिन उन पर कब्जा नहीं हो पाया है । उनकी जमीन लिटीगेशन में डाल दी है उनको आप जल्दी से अलॉट करवाइये उनके लिटीगेशन को खत्म कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभानेत्री महोदया, राजस्थान भू-राजस्व संशोधन अध्यादेश, 1970, अध्यादेश संख्या 4, 1970 को अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं ।

सभानेत्री महोदया, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कल राजस्व मंत्री महोदय ने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार की कतई यह मन्शा नहीं है और न मन्शा रही है कि अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाया जाय । कानून बनाने का अधिकार इस सदन को है यह व्यवस्था लोकतन्त्र में संविधान में दी गई है लेकिन अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने की प्रतिक्रिया संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत है विधान सभा सत्र में नहीं हो तो ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं । मुझे खेद इस बात का है कि राज्य सरकार की यह नीति बन गई है राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया जाय और अगर बुलाया जाय तो बहुत थोड़े समय के लिये बुलाया जाय। राज्य के लिये कानून बनाने का काम विधान सभा का है । जब विधान सभा न हो तो राज्यपाल महोदय को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है ।

सभानेत्री महोदया, राज्यपाल महोदय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसकी शक्तियां संविधान की धारा 213 में निहित हैं कानून बनाने का काम वे अध्यादेश के माध्यम से करते हैं वह अधिकारों का घोर दुरुपयोग है । मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में अध्यादेशों के जरिये कानून प्रचलित करने की निन्दा करता हूं । और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की असाधारण प्रक्रिया को न अपनाया जाय और राजस्थान विधान सभा के अधिवेशनों को जल्दी से जल्दी बुलाया जाया करे और जो भी कानून बनाने हो इसी विधान सभा के माध्यम से बनाये जाने चाहिये जिससे यह ज्यादा समय बैठकर विचार करके सही कानून बना सके ।

सभानेत्री महोदया, यह जो कानून के बारे में अध्यादेश जारी किया गया है वह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के लिए है। वह संशोधन धारा 101 में करने का है। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसके उद्देश्यों और कारणों में लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जिसमें सरकार द्वारा यह संकेत दिया गया है :

"It was considered expedient to amend sub-section (1) of Section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956, with a view to provide for allotment of land by the Sub Divisional Officer instead of the Tehsildar.

Since the matter was urgent and the Rajasthan Legislative Assembly was not then in session, the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Ordinance, 1970 (Ordinance 4 of 1970) was promulgated to achieve this end."

मैं यह पूछना चाहता हूं आपने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 में राज्य सरकार संशोधन करना चाहती है तहसीलदार के स्थान पर एस०डी०ओ० को रखना चाहती है जो भूमि का आवंटन करे। यह व्यवस्था करना चाहते हैं और इसी व्यवस्था के लिए आपने अध्यादेश जारी किया है। लेकिन आप यदि बिल पर दृष्टिपात करें तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के अन्तर्गत तहसीलदार शब्द को हटाया गया है लेकिन एस० डी० ओ० नहीं जोड़ा गया है। इस तरह से राज्य सरकार जनता को मुगालता देना चाहती है, और सदन को भी मुगालता दे रही है। अगर आपकी मन्शा साफ थी तो आपको तहसीलदार के स्थान पर एस० डी० ओ० रखना चाहिए एस० डी० ओ० को सब्स्टीट्यूट करना चाहिए। आपने एस० डी० ओ० को सब्स्टीट्यूटन करके तहसीलदार को डिलीट किया है। यह जो संशोधन लाया गया है वह केवल मुगालता देने के लिए लाया गया है। विधेयक में जो कारण बताये गये हैं वह सदन को मुगालता देने के लिये हैं। मैं, सरकार जो मुगालता देने जा रही है उससे सदन को परिचित कराने के लिये सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। वास्तव में स्थिति क्या है राज्य सरकार द्वारा भूमि के अलाटमेन्ट के रूल्स बनाये हैं, Rules for Allotment of Agricultural Land for Agricultural purposes:-

"(1) Un-occupied Sarkari zamin."

अन ओक्यूपाइड सरकार की जमीन होगी वह कृषि कार्य के लिये प्रयोजनार्थ आवंटन के नियम राज्य सरकार ने बनाये। उसके अन्तर्गत अलोटमेण्ट के पावर्स तहसीलदार को थे एड-वाइजरी कमेटी के सिफारिश पर। पहले जो नियम थे उनमें राज्य सरकार को अलोट करने के अधिकार नहीं थे इसलिये सभापति महोदय तहसीलदार को अधिकार दिया गया था राज्य सरकार को उस में अधिकार नहीं था लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने बहुत सी भूमियों का आवन्टन किया है। राज्य सरकार को जो अलॉटमेंट करने का अधिकार था और एडवाइजरी कमेटी को करना था लेकिन राज्य सरकार ने भूमि का आवंटन किया है। यह जो नये नियम आपने बनाये हैं जो 24 जुलाई, 1970 से प्रभाव में आये हैं उसके अन्तर्गत आपने कितनी कितनी भूमि किन किन लोगों को आवंटित की है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसकी सूची सदन की मेज पर आप रखने की कृपा करेंगे ? अगर राजस्थान सरकार को अधिकार था। जब आपने एक दफा अधिकार तहसील एडवाइजरी कमेटी को डेलीगेट कर दिया गया तो वह अधिकार राज्य सरकार को नहीं रहता जो आपने भूमि का अलॉटमेंट किया है वह गलत किया है, राजनैतिक आधार पर और पक्षपात पूर्ण तरीके से किया है। जब आपने भूमि का आवंटन कर दिया तो फिर लीगेलिटी का सवाल पैदा हुआ। हाई कोर्ट में रिट पिटिशन हुई राजस्व मंत्री महोदय उस मुकदमें के बारे में सदन में बयान देने की कृपा करेंगे। अजमेर रोड पर भूमि आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया माननीय श्री अमृत लाल जी यादव को। उसकी हाई कोर्ट में रिट गई। हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया राज्य सरकार को अलॉटमेंट का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार को अधिकार नहीं है ज़ब यह तय हो गया अब राज्य सरकार वह पावर्स लेना चाहती है चोर दरवाजे से लेना चाहती है, एस० डी० ओ० का नाम लेकर। नियम जो 24 जुलाई से लागू हुए उन नियमों में यह व्यवस्था की गई है यह सदन की जानकारी के लिये जो नये नियम बनाये गये हैं बताना चाहता हूं। यह है : Rajasthau Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules,

इसमें एक नियम 17 है।

"Notwithstanding anything contained in these rules, the Government in the Revenue Department shall have the power to allot land to any person subject to the provisions of Section 101 of the Act and the conditions of allotment contained in rule 14.

मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा और राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह नियम 17 जो राज्य सरकार के नियमों के बावजूद आवंटन का अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को भूमि आवंटित कर सकते हैं, इन नियमों में कुछ भी अधिकार होता है क्या वह अधिकार राज्य सरकार को पहले वाले नियमों में था। इसका मेरा उत्तर है, नहीं था। यह अधिकार अब आपने लिया है। फिर आपने तहसीलवाईज एडवाईजरी कमेटी बनाई और अब उसको एस० डी० ओ० को रखना चाहते हैं। फिर यह अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास क्यों रखा ? मेरा जवाब है सभानेत्री महोदया, कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार पहले नहीं था और यह आवंटन राज्य सरकार ने बलात किया है, अनधिकृत रूप से किया है, यह सब इल्लीगल अलाटमेंट किया है, इर्रेगुलर, नियमों के विपरीत, कानून के विपरीत सरकार ने ये आवंटन किये हैं राजस्थान भर में और राजस्थान भर में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है और राज्य सरकार ने अपने मनचाहे लोगों को, पक्षपात पूर्ण तरीके से, राजनैतिक आधार पर जिस तरह से चाहा उस तरीके से अपने लोगों को भूमि का आवंटन किया है। क्या इस प्रकार की सूची माननीय राजस्व मंत्रीजी इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि 24 जुलाई, 70 से पहले इन नियमों से पूर्व राज्य सरकार ने किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि अलाट की है और वह भूमि 15 बीघा से ज्यादा की है या कम की है और ज्यादा अलाट की है तो किस आधार पर की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। किस आधार पर यह भूमि अलाट की गई है उसकी सूची सदन में पेश करें।

सभापति महोदया, मैं इसी सिलसिले में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियमों में व्यवस्था यह है कि जो हमारे रूल्स बने हुए थे कि किसी भी भूमिहीन किसानों को 15 बीघा भूमि से अधिक भूमि अलाट नहीं की जायेगी। तो मैं सरकार से और मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने 15 बीघा से ज्यादा भूमि अलॉट क्यों की ? जब कि नियमों में प्रावधान था कि 15 बीघा ही भूमि अलॉट की जायेगी तो आपने 15 बीघा से ज्यादा क्यों की और वे कौन से भूमिहीन किसान हैं और वे कौन से शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं जिनकी गरीबी की हालत को देख कर, या कौन से राजनैतिक पीड़ित हैं जिनको कि भूमि अलॉट की जानी चाहिये थी। किनको आपने भूमि अलॉट की है। मैं सदन के सामने केवल एक–दो उदाहरण इस सम्बन्ध में रखना चाहूंगा। सभापति महोदया, नियम है 15 बीघा भूमि अलॉट करने का और मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य गवाही देंगे कि अलाटमट एडवाइजरी कमेटी 15 बीघा से अधिक भूमि किसी को एलाट नहीं करती है। 15 बीघा भूमि एलॉट करने का ही इसका नियम है, प्रावधान है। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं और राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह व्यक्ति जिसको कि सरकार ने भूमि एलाट की है, क्या इसको एलाट करने का नियमों में प्रावधान था कि 15 बीघा से ज्यादा जमीन उसको एलॉट की जा सकती है, क्या वह भूमिहीन है, शिड्यूल कास्ट का है या शिड्यूल ट्राइब्स का है कि उसको आपने यह भूमि एलाट की है। क्या राजस्व मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ वामन काले जिनको कि भूमि 22 बीघा 8 बिस्वा अलॉट की गई है। मेरे पास यह सूचना है। सूचना लम्बी है और इसको पढ़ने में समय लगेगा कि राज्य सरकार ने किन किन को भूमि एलाट की है। मैं पूछना चाहता हूं कि विश्वनाथ वामन काले शिड्यूल कास्ट के हैं या शिड्यूल ट्राइब्स के हैं, वे क्या हैं ? क्या वे हरिजन हैं, चमार हैं। वे केवल प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी की कांग्रेस पत्रिका के संपादक और कांग्रेस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। क्या यह नई जाति आपने शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की सूची है या जो सूची बनाई है उसमें यह आपने जोड़ा है कि पी० सी० सी० का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होगा वह आदमी भी भंगी चमार की सूची में आयेगा या कांग्रेस ऑफिस में काम करने वाला हर कांग्रेस ऐसी सूची में जोड़ा जायेगा। मैं जहां तक जानता हूं ये विश्वनाथ वामन काले ब्राह्मण जाति के हैं और सवर्ण हैं। ये कोई भूमिहीन किसान नहीं हैं और काश्तकार इनका पेशा नहीं है और न यह काश्त करते हैं। ये अपनी पेट दूसरे तरीके से भरते हैं। इनकी यह नई क्वालिफिकेशन है और वह यह है कि ये पी० सी० सी० के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं और इसी आधार पर 15 बीघा का नियम होते हुए भी अनधिकृत रूप से राज्य सरकार ने इन्हें 22 बीघा 8 बिस्वा जमीन अलॉट की है। इस सूची में एक है श्रीमती इन्दिरा मायाराम। इनको कूकस में 20 बीघा जमीन एलाट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की गई है। क्या ये भूमिहीन है। क्या इनका पेशा काश्तकारी का है। क्या ये शिड्यूल ट्राइब्स की है या कास्ट की है। क्या ये काश्त करवाती है या काश्त करती है? मेरी जानकारी के अनुसार तो इन्होंने, कभी हल नहीं पकड़ा ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके भरतपुर की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शादी अलवर में हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर से बारात ले गये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शादी से पहिले ठीक थी। विकृति शादी के बाद आई है। यह अलवर के पानी का असर है। सभानेत्री महोदया, मैं राजस्व मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह शकुन्तला श्री वास्तव कौन है? क्या यह भूमिहीन हैं? शिडयूल्ड कास्ट या ट्राइब्स की हैं। इनको 25 बीघा 13 बिस्वा जमीन अलॉट की गई है कूकस में। कूकस के जंगल में इनको भूमि एलॉट की गई है। क्या वहां पर इनका एग्रीकलचर का फार्म बनेगा और आप वहां पर जायेंगे?

सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भी अनेक केसेज हैं। एक है मोतीलाल चौधरी। इनको 150 बीघा जमीन एलॉट की गई है जयपुर के पास में। इनको बीड खातीपुरा में एलॉटमेंट किया गया है। क्या राज्य सरकार को शर्म नहीं आती है कि 15 बीघा का कानून है और 150 बीघा जमीन अलॉट करती है। यह कानून क्या शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के गरीब लोगों के लिये ही है और 150 बीघा का एलाटमेंट उनके लिये नहीं है। मैं समझता हूं सभापति महोदया कि यह एक गम्भीर बात है। ऐसे एक ही नहीं अनेक उदारहरण हैं और बहुत से लोगों के नाम हैं जिन को कि 50-50 बीघा जमीन एलॉट की गई है और 73 बीघा जमीन अलॉट की गई है। अप इस तरह आज नियमों को बालाये ताक रख कर 15 बीघा से अधिक जमीन शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स, भूमिहीन किसानों और उस गांव के किसानों को भी बालाये ताक रख कर राज्य सरकार इस तरह अनधिकृत रूप से, नियमों के विपरीत अपने लोगों को भूमि का आवंटन कर रही है। राज्य सरकार ने नियमों के बिलकुल विपरीत यह आवंटन किया है। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर बात है, यह एक अवैधानिक और अनियमित बात है और पक्षपातपूर्ण है। यह राजनैतिक पक्षपात से प्रेरित है और ये सारे अलॉटमेंन्ट राजनैतिक आधार पर किये गये हैं। सभापति महोदया, मैं यह मांग करता हूं कि राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 1970 से पहले जितने भी अलाटमेंट किये हैं वे सारे के सारे अलॉटमेंट रद्द किये जाने चाहिये। 24 जुलाई, 70 के बाद आपने यह अधिकार लिया है। नियमों के अन्तर्गत, इसके अन्तर्गत आप अलॉट कर सकते हैं, आप अलॉट कीजिये .....

एक माननीय सदस्य : रूल्स देख लिजीए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सरकार रूल्स को नहीं मानती। यह तो रूल ऑफ जंगल को मानती है।

सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनेक बार इस सदन में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चर्चा आई और अनेक माननीय सदस्यों ने अपने अपने जिले और अपने अपने इलाकों में भूमि के आवंटन में हुई धांधलियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। चाहे वह चित्तौड़ जिला हो, भीलवाड़ा जिला और चाहे और कोई दूसरा जिला हो। उन सारे जिलों के बारे में यहां पर इस सदन में चर्चा हुई है। और विशेष कर चित्तौड़गढ़ जिले की ही चर्चा यहां पर आई। समाचार पत्रों में भी समाचार इस विषयक प्रकाशित हुए। इस बारे में हमने जानकारी एकत्रित की है और मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि चित्तौड़ में जिस प्रकार से आवंटन हुए हैं उस सम्बन्ध में आपने विधान सभा के पिछले अधिवेशन में यह आश्वासन दिया था कि रेगुलर या इरेगुलर तरीके से राजस्थान में राजस्थान के अन्दर ये सारे आवंटन हुए हैं जांच कर के कार्यवाही करूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से तो आपने अलाटमेंट किया है। आज केवल एक चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भूमि का अलाटमेंट किस प्रकार किया है। एक है प्रमुख और प्रधान वहां के, उनको आपने अलॉटमेंट किया है। एक उनकी श्रीमती है। एक रामकुमार नन्दवाना एम० एल० ए० है।

श्री रामकिशोर व्यास : चित्तौड़ के के अलॉटमेंट रूल्स के तहत में नहीं है। वे प्रोजेक्ट एरिया में हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अलॉटमेंट चित्तौड़ जिले में हुए हैं और आप ही करते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अलाटमेंट की दो एजेन्सीज हैं, एक कोलोनाईजेशन भी है..

तो इस सिलसिले में उदाहरण देकर मैं बता रहा हूं कि कानून बनाने वाले आप, नियम बनाने वाले आप और अलाटमेंट भी करने कराने वाले आप।

श्री रामकिशोर व्यास : अलाटमेंट की दो ब्रान्चें हैं। कोलोनाइजेशन की अलग है और रेवेन्यू की अलग है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दोनों में हुआ तो यह आपको सोचना चाहिये। जो लैंडलैस हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये। इतना पापाचार इसमें होता है जिसकी हद नहीं। यह पापाचार मिटना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : कोलोनाइजेशन रूल्स के अन्तर्गत, रेवेन्यू के रूल्स के अन्तर्गत आवंटन होते हैं, अलाटमेंट होते हैं। पर इस सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में गत बजट से पहले के सेशन में भी इस पर चर्चा हुई थी और हमने इन्क्वायरी कमेटी इन अलॉटमेंट पर जांच करने के लिये बिठाने की मांग की थी और आपने प्रशासनिक आधार पर जिलाधीशों द्वारा सारे जिलों में इन अलॉटमेंट के मामलों में जांच की है, की थी। आपने उस समय भी यही बात कही थी कि चाहे कोलोनाइजेशन का अलॉटमेंट हो, चाहे रेवेन्यू का हो, दोनों में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराना चाहते हैं और इसके लिये आपने आश्वासन भी दिया था कि सम्बन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कार्यवाही कराऊंगा।

आज जब दोनों विभागों में हुए अलॉटमेंट के घोटालों की बात आई तो आप केवल रेवेन्यू के अलॉटमेंट की बात करने लगे, वही बात आप फिर कह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोलोनाइजेशन के

(श्री दौलतराम सारण)

घोटालों को आपने छोड़ दिया और राजस्व के घोटालों की बात करते हैं केवल।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आसन से जानकारी चाहता हूं कि कोलोनाइजेशन के सम्बन्ध में क्या जांच नहीं की गई है? यह मन्त्रीजी से पूछ कर बतलाया जावे।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अपने जवाब में अर्ज कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मेरे पास इनकी लम्बी सूची है। आप उस को जानते हैं, अपने जवाब में उनका जवाब दे देंगे। अभी पढ़ने से आपको असुविधा होगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम इसे सुनना चाहेंगे। आपके पास मांडलगढ़ के अलॉटमेंट के घोटालों की सूची नहीं होगी, वह मैं पेश करूंगा। पर यह पापाचार तो जहां भी होता हो सदन की जानकारी में, सदन के सामने आना ही चाहिये, जनता के समक्ष आना ही चाहिये। बहुत पाप हुए हैं इसमें। भूमि अलॉटमेंट में जितने पाप हुए हैं उन सब में मांडलगढ़ में सबसे अधिक हुए हैं। ये तो केवल चित्तौड़गढ़ की सूची बताते हैं। जरूर सुनाइये आप।

श्री मूलचन्द डागा : आपके समय भी हुए हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे होने के बाद नहीं हुए हैं। जब तक मैं जीवित हूं वहां नहीं होंगे। मैं चाहे असेम्बली में रहूं या न रहूं ऐसे पापाचार के विरुद्ध आवाज उठाता रहूंगा।

श्री रामकिशन : ऐसा मत कहिये, इनके पापाचार की बात मत करिये, जहर दिला देंगे कहीं डागाजी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जहर के संस्कार यहां नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो राजस्व विभाग से अलॉटमेंट हुए हैं उनकी सूची राजस्व मंत्रीजी सुनना चाहते हैं। कुछ तो बताये हैं। कुछ के नाम और ले लेता हूं।

चूंकि माननीय सदस्य मांडलगढ़ से आने वाले कहते हैं इसलिये निवेदन कर देता हूं।

पंचायत समिति के प्रधान, उनकी श्रीमतीजी, उनके पुत्र, पुत्रियों और परिवार के अन्य कई लोगों के नाम भूमि अलॉट हुई है।

अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्री कृष्णचन्द्र पंचोली, उनके परिवार–स्त्री बच्चों के नाम से अलॉटमेंट हुए हैं।

दीनबन्धु, जो स्वर्गीय माणक लालजी वर्मा के सुपुत्र हैं, उनके नाम से हुई हैं।

शंकरसिंह, उनकी स्त्री, पुत्र, पुत्रियों के नाम से हुई है।

राम
सुरेन्द्रकुमार
सुमेरचन्द्र
महेन्द्रकुमार

और इनके परिवार के लोग हैं उनके नाम से हुई है।

प्रधान, चित्तौड़]

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शान्तिलाल

जवाहरलाल

मदनलाल

जवाहरलाल

ये सब एक ही परिवार के हैं। इनको हुई है। ये वहां पर एस० डी० एम० थ।

सुन्दर बाई

विनयदेव

पदमदेव

सज्जनदेवी

इनके नाम से अलॉटमेंट हुए हैं।

एस० पी० के परिवार में उनकी पत्नी पुत्र प्रतापसिंह

महेन्द्र सिंह

बी० डी० ओ० के सम्बन्धी हैं, परिवार के हैं।

प्रकाशचन्द्र पंचोली

भूतपूर्व एस० डी० ओ०

यादव

इनको ये सारे अलॉटमेंट हुए हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके राजस्व विभाग ने इनको ये अलॉटमेंट नहीं किये हैं ?

इनमें प्रधान हैं, प्रमुख हैं, उप-प्रमुख हैं, बी०डी०ओ० हैं, एस० डी० एम० हैं, एस०पी० हैं ये सारे बड़े बड़े अधिकारी और उनके रिश्तेदार, परिवार वाले, उनकी पत्नियां, पुत्र, पुत्रियां, पुत्रवधुएं–ये सारे के सारे मिल मिलाकर उस जमीन को खा गये। इससे भूमिहीन किसानों को राहत मिली क्या ? मैं यह बात आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : एम० एल० ए० तो नहीं हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने नहीं पढ़े हैं एम० एल० ए० के नाम हालांकि इनमें वे भी हैं। क्या कहलवाना चाहते हैं आप इसमें ? मूलचन्दजी डागा से पॉलिटिकल राइवलरी है ?

मैं पूछना चाहता हूं मुन्नालालजी गोयल को 145 बीघा भूमि किसने दी है ? क्या यह देना जायज है ?

श्री विजयसिंह : ये तो राज जंवाईजी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दीनानाथजी हैं ? कौन हैं ये। 20 बीघा भूमि इनको दे दी गई।

श्री विजयसिंह : सरकारी सालाजी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बसन्तकुमार को

रामधन को 103 बीघा दे दी गई।
तारादेवी को 20 बीघा
शंकरलाल को 30 बीघा
शकुन्तला को 20 बीघा
मेजर प्रेम गुप्ता को 15 बीघा
मुन्नालालजी गोयल को 150 बीघा

यह भी कोलोनाइजेशन ने दी है। कह दीजिये, पता नहीं है आपको।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कह सकता हूं, मैंने नहीं किया अलॉटमेन्ट।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपसे आशा है कि ऐसे पापाचार की बात सुनकर आपका खून खोलना चाहिये। आप इस

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पापाचार को मिटावें । मिनिस्टर हैं, यह हम चाहते हैं । आपके हाथों से यह पापाचार नहीं हुआ, पर इस पापाचार को ठीक करना आपका फर्ज है । आपका काम है ।

श्री रामकिशन : यह तो मेहताजी अपने घर की सुना रहे हैं । अलवर में भरतपुर में बता रहे हैं । आप सब भूमि दान कर दें । अपने अपने घर वालों को ।

श्री विजयसिंह : ये सारे घोटाले सुखाड़ियाजी करा रहे हैं राजस्थान भर में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सूची और भी लम्बी है। सब जगह की सूची अलग अलग है । राजस्थान में टिनन्सी बिल की तारीफ मुख्य मंत्रीजी सब जगह करते हैं । वे टिनेन्सी बिल की बात करते हैं, सीलिंग कानून की बात करते हैं । बड़े बड़े राजा, महाराजाओं और जागीरदारों से जमीन लेने की बात करते हैं । पर क्या उनमें हिम्मत है कि राजस्थान की इस विधान सभा के पटल पर वे सूची रखें कि राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के ये 37 सदस्यों कितनी कितनी भूमि दबा कर बैठे हैं ? इनके पास हरेक के पास, इनके परिवार के सदस्यों के पास, पत्नियों के नाम से, पुत्र, पुत्रियों और पुत्र वधुओं के नाम से कितनी भूमि है और यह सारी भूमि क्या सीलिंग से अधिक नहीं है ?

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज राज० मंत्रिमण्डल के सदस्यों के पास एक मन्त्री को एक यूनिट मानकर भूमि का हिसाब लगाया जावे तो पता लगेगा कि सीलिंग से कहीं ज्यादा भूमि इन लोगों ने दबा कर रखी है । अगर ईमानदारी से आप सीलिंग के कानून को लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुखाड़ियाजी उसकी शुरुआत आप अपने मन्त्रिमण्डल के इन सदस्यों से शुरू करिये । इनकी भूमि सबसे पहले आप अपने अधिकार में लें ।

श्री रामकिशोर व्यास : सीलिंग कानून से ज्यादा होगी तो जरूर ली जावेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब ली जावेगी ? आपका यह सीलिंग कानून 59 में पास किया। आज 11 साल हो गये। आप गरीबों की भूमि पर डाका डालना चाहते हैं। पर मंत्रिमण्डल के सदस्य अपनी भूमि से होने वाला नाजायज लाभ नहीं छोड़ना चाहते ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं समाप्त कर रहा हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : शीघ्र समाप्त कर दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शीघ्र कैसे कर दूं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह सारी पापाचार की पोल तो खोलने दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है तो फिर मैं वाइण्ड अप कर रहा हूं ।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदया, सदन के माननीय सदस्य इस प्रकार के तथ्य जानने को उत्सुक हैं । इसमें आपको क्या आपत्ति है ? क्यों है ? महत्वपूर्ण मामलों को टाला नहीं जाना चाहिये । अगर इसके लिए समय नहीं है तो कल और परसों बैठेंगे, पर तथ्य तो सदन में अवश्य रखेंगे ।

(श्री दौलतराम सारण)

अभी तो इन्होंने इनकी अपनी जानकारी म जो हैं वे ही तथ्य रखे हैं। बहुत घोटाले हैं इसमें तो। बहुत तथ्य आने से बचे हुए हैं अभी तो। आपने तो अभी एक चैप्टर ही खोला है। बहुत से चैप्टर तो अभी खुलने बाकी हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को तथ्य रखने दिये जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय की मांग इस प्रकार से नहीं करना चाहता। मैं तो समझ रहा था कि माननीय सभापति महोदया, आप तो एक प्रगतिशील विचार की हैं। इसलिए भूमिहीन किसानों की मांगों को लेकर आपने समय समय पर अपनी पार्टी में भी आवाज उठाई है जोर से, उठाती रहती हैं इसलिये मैंने तो यह सोचा कि आपको भी इसमें दिलचस्पी होगी कि इस प्रकार के घोटाले, इस प्रकार के पापाचार के मामले सदन के सामने आवें।

आज राजस्थान में यह 'भूमि हथियाओ' आन्दोलन कम्यूनिस्ट पार्टी ने, संसोपा ने प्रारम्भ किया, इसकी चाहे वे दूसरे किन्हीं शब्दों में निन्दा करें। पर मैं पूछता हूं ये सब स्थितियां क्यों पैदा हुई राजस्थान में ? राजस्थान के अन्दर यह 'भूमि हथियाओ आन्दोलन, यह नक्सलपन्थी आन्दोलन, क्यों हो रहे हैं, कौन इनके लिये जिम्मेदार हैं ? राजस्थान के इन भूमिहीन गरीब किसानों को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भूमि न देकर सारी भूमि को हड़प करने वाले ये राजस्थान सरकार के मन्त्रि-मण्डल के सदस्य इस सारी परिस्थिति और आन्दोलन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।

मैं मांग करता हूं कि राजस्थान में जितने भी मन्त्री हैं, मन्त्रियों के रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके रिश्तेदार और सगे-संबंधी हैं जिन्होंने भूमिहीनों के हक को छीन कर, उनके मुंह के कोर को छीन कर चक के चक और मुरब्बे के मुरब्बे सैंकडों बीघा भूमि सीलिंग कानून का उल्लंघन करके अपने कब्जे में की है उन सारे मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की और कांग्रेस के नेताओं की सूची सदन की मेज पर रखी जावे कि किस किस के पास कितनी कितनी भूमि है ? किन किन ने सरेण्डर की है ? राजा-महाराजाओं की भूमि पर सीलिंग की बातें करने वाले, मैं समर्थन कर सकता हूं कि उनके पास अधिक भूमि नहीं रहनी चाहिये, सीलिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी के भी पास, सीलिंग का कानून सख्ती से लागू होना चाहिए, अपने गिरहबान में हाथ डालकर देखें। आप सीलिंग की बात करते हैं, केवल प्रचार के लिए, अपने स्वयं के पापों पर पर्दा डालने के लिये। आप वास्तव में सीलिंग का कानून लागू नहीं करना चाहते। आपने 11 साल पहले सीलिंग का कानून पास किया पर आपने उसे आज तक लागू नहीं किया। विधान सभा के साथ, एक डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन के साथ सरकार ने इस कानून को लागू न करके प्रोस्टीट्यूशन किया है। यह चार्ज मैं इस सरकार पर लगाता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो प्रगतिशील सरकार है, यह क्यों इसे लागू करेगी ! आपको जितनी भूमि लूटकर बटोर कर ले लेना है, ले लीजिये। पर याद रखिये आपके पापों का घड़ा भी भर गया है। वह भी फूटेगा।

आप यह सब हमसे ले लें, ले सकते हैं, पर हमारा स्वाभिमान नहीं ले सकते। नहीं ले सकते और दूसरा सब ले लो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको पास करने का मौका ही कहां मिला। उनको तो एक मौका भी नहीं मिला।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह सब बेईमानी की सौदागिरी है। कहना कुछ और करना कुछ।

श्री रामकिशन : ये तो पूरे बाजीगर हैं, करते कुछ नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी डाकेजनी अगर राजस्थान की कांग्रेस ने की है तो वह एक तो अकाल राहत पर चलने वाले कामों में की है। उस अकाल की धनराशि जो केन्द्र सरकार ने दी थी, जो राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के लिये दी थी, स्वयं सेवी संस्थाओं ने अकाल में धनराशि दी थी, राज्य की जनता ने धनराशि दी थी, राजस्थान के प्रवासियों ने अकाल में धनराशि दी थी-उस सारी अकाल की धनराशि को, जो 170 करोड़ की थी अकाल के कामों पर खर्च नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस सारी धनराशि में से 80 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। और पिछले 16 सालों में इस सुखाड़िया की सरकार ने अकाल पीड़ित जनता के नाम पर, उन भूखें और नंगे गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमण्डल और इस सुखाड़िया सरकार ने इस अकाल की स्थिति में राजस्थान की भूमिहीन और गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की जमीनों को छीनकर उन पर नाजायज कब्जा किया है। क्यों डागा साहब, अजमेर रोड़ पर सांसी और कन्जरों की भूमि पर किसका कब्जा है? वहां पर बड़े बड़े महल किसके बने हुये हैं, आलीशान कोठियां किसकी बनी हुई हैं? अब गर्दन क्यों झुकाते हो, क्यों सिर टेकते हो? बोलो राजस्थान की अजमेर रोड़ पर सांसी और कन्जरों की जमीन आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य खा सकते हैं, वे मंत्रीमण्डल में बैठे हैं। क्या कार्यवाही आज उनके खिलाफ की गई? बंगले बन रहे हैं। कनवर्शन के रूल्स नहीं है लेकिन वहां लाखों की लागत से कोठियां बना ली हैं। एग्रीकल्चर भूमि को को नॉन-एग्रीकल्चर में काम में नहीं ले सकते हैं और अगर कोई एक किसान अपना छोटा-सा झोपड़ा बना लेता है तो आपकी फौज उसको तोड़ने के लिये पहुंच जायगी। क्या माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं है, उनमें बंगलों को तोड़ने की शक्ति कहां है?

राजस्व मंत्रीजी, अगर अन-आथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को तोड़ना चाहते हैं तो राजस्थान के जयपुर जिले के 12 मील के इलाके में चले जाइये और जिन मंत्रियों ने बंगले बनाये हैं, जिन मंत्रियों ने कोठियां बनाई हैं, दो-दो लाख रुपया उन कोठियों पर खर्च किया है-सबसे पहले उनको तोड़ना शुरू कर दें। कनवर्शन के कोई किसी प्रकार के रूल्स नहीं हैं लेकिन फिर भी निर्माण हो रहा है। नोटिस जा रहे हैं, नोटिस के बाद की कार्यवाही हो नहीं सकती है। वजनदार लोगों के मकान आप तुड़वा नहीं सकते। यह है आपका समाज-वाद, यह है समाजवाद का नंगा चित्र, यह है उसका चेहरा जिसका दम भरते हैं, यह है आपकी प्रगतिशील नीति! सत्ता पाकर राजस्थान की गरीब जनता पर आज आपका कानून चलता है। लैण्ड रिफार्म्स की बात करने वाले और हिन्दुस्तान भर में शील्ड लेने वाले जो आज सबसे आगे हैं लेकिन राजस्थान की वर्तमान हुकूमत में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जितनी भूमियों पर नाजायज कब्जा कर रखा है उन पर अपने रिश्तेदारों को बैठा रखा है।

चौमू की तहसील लीजिये जहां से आप जीत कर आये हैं, जयपुर की जनता ने तो आपको ठुकरा दिया है और जयपुर की जनता के लात मारने के बाद चौमू ने आपको गोदी में बैठाया है। आज वहां भी 20-20 साल के काश्तकार जो खेती पर काबिज हैं जिसको तहसीलदार ने इजेक्ट कर दिया और वह भूमि किसको अलॉट कर दी-शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को नहीं आपके मंत्रिमण्डल में दो सदस्य बैठे हैं, उन दो सदस्यों की पत्नी के नाम वह जमीन अलाट कर दी है। आपको फाइल नम्बर चाहिये, वह भी मैं आपको बता दूंगा ....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: पानी चाहिये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर के ए०डी०एम० ने आर्डर जारी कर दिया कि यह सब नाजायज अलाटमेंट है, इनको अलाट नहीं हो सकती है इसलिये स्टे आर्डर जारी कर दिया। गांव के लोगों ने कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन मैं पूछता हूं इसमें आपकी साजिश क्या थी ? तहसीलदार को दबा दिया गया...

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : नाम क्या है साहब ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब नाम क्यों पूछते हो ? ये सब जानते हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह तो ससपेन्स में रखने की बात है। हाउस के प्रिविलेज की बात है। नाम बताइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राजस्व मंत्रीजी को पता है।

श्री रामकिशोर व्यास : एक आध का पता है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : नाम तो बताना चाहिये। इनके पाप का घडा भर रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये सुमित्रा देवी कौन है, किनकी पत्नी हैं, खुद हैं या मंत्री है ...

एक माननीय सदस्य: ये तो स्वयं मंत्री है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ये भीमसेन कौन है और समरथलाल कौन है ? आपको (राजस्व मंत्री जी की ओर इंगित कर) मालूम नहीं है ?

श्री राम किशोर व्यास : भीम सेन साहब को आप भी जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सारी सूची मेरे पास है। आप चाहोगे तो फाइल लाकर दे दूंगा लेकिन एक नहीं सब हैं। यह तो काजल की कोठरी है, कहां कहां हाथ डालें और कहां कहां नहीं डालें, हर जरह काला है।

जयपुर की 12 मील की चारदीवारी में जहां कनवर्शन बन्द है, अलॉटमेंट बन्द है, इस 12 मील के दायरे में ही सब कुछ हो रहा है। राजस्व मंत्रीजी सूची पेश कीजिये – कौन मंत्री है, जिनका एग्रीकल्चर फार्म है, जिस पर कन्स्ट्रक्शन हुआ है ? जिनको नोटिस दिया है और नोटिस भी तोड़ने का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं दिया है तो मैं पूछना चाहता हूं गरीबों की जमीन लेने का आपको क्या हक है और रूल्स के खिलाफ चलने का आपका क्या अधिकार है ? राजस्थान में जमीनों की भूख आज केवल राजस्थान के मंत्रिमण्डल को है। आज राजस्थान लैन्ड रिफार्म्स के कानून बनाने में माहिर है, केन्द्र के नेताओं को चक्कर देने में माहिर है, अखबारों में तस्वीर छपाने में माहिर है लेकिन राजस्थान के जो पिछड़े हुये लोग हैं उनको जमीन देने में माहिर नहीं है। लैण्ड रिफार्म्स के नाम पर गरीब जनता की जमीनों को हड़प कर लिया है। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा जो राजस्थान में हो रहा है।

श्री रामकिशन : सब जगह ऐसा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं ऐसा नहीं है लेकिन यहां सब ने मात कर दिया। चक पर चक ले रहे हैं। अलाटमेंट ले रहे हैं, यू० आई० टी० से ले रहे हैं। अपने नाम से, अपने लड़कों के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, अपनी पुत्र वधू के नाम से, अपने चाचा के नाम से। न जाने किस किस नाम से अलाटमेंट करा लेते हैं। अपनी औरतों के नाम से करवा लेते हैं। यह सुमित्रा देवी कौन हैं ? नाम देंगे माइनर का या पत्नी का। भीखा भाई अपने लड़के का नाम जो माइनर है उसके नाम से। एक महिला है वह भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्ज की है। मंत्री है या क्या क्या है ? चोर दरवाजे से भूमि को हथियाने में लग रहे हैं। भूमिहीन काश्तकारों का हक मारना-यह शोभा नहीं देता है। आखिर यह जनता अपना हक लेकर छोड़ेगी-यह निश्चित बात है। मैं ज्यादा समय न लेते हुये, सभापति महोदया फिर दुबारा घंटी न बजा दें इन्हीं आशंकाओं के साथ यह जो अध्यादेश जारी किया है और जो श्री अमृतलाल जी हैं जिन्होंने इल्लीगल अलाटमेंट कराया है, अजमेर रोड पर जिनका नाजायज कब्जा है, जिसकी हाई कोर्ट मेरिट की है—गवर्नमेंट का अलॉटमेंट केन्सिल किया गया और उसके बाद राजस्थान की सरकार को यह लगा कि इस सारे अलाटमेंट को कैसे रेगुलराइज किया जाय—Powers once delegated can never be assumed. इसलिये एडवाइजरी कमेटी बनाकर उसको पावर दे दी और जो 25 जुलाई से सारे अलाटमेंट हैं वह अवैधानिक है। उनकी सूची सदन में पेश करेंगे और जिनका नाम मैंने लिया है उनकी सूची भी पेश करें। मैं इसी संकल्प को प्रस्तुत करता हूं, जो तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं और भी माननीय सदस्यों ने रखे हैं उससे, सभापति महोदया, आप सरकार को जागरुक रखने की कोशिश करें।

श्री दुर्गालाल बाँदवार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदया, 2 जून, 1970 को राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अमेन्डमेंट आर्डीनेन्स जो जारी किया गया उसके संबंध में इस संकल्प पर कि यह सदन इस आर्डीनेन्स को अस्वीकार करता है मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी इस सदन में इस विषय पर काफी चर्चा की गयी है कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य और राजस्थान के प्रभावी नेता किस प्रकार इस

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

भूमि के आवंटन को गरीबों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और पिछड़े हुए लोगों के नाम पर अलाट करने के बहाने बनाते हुए डाका डालकर और चोरों का गिरोह बनाकर अपने आपको मालदार बनाते जा रहे हैं और किस प्रकार दुनिया के सामने धोखा दे रहे हैं — यह स्पष्ट बात इस कानून से भी हो जाती है।

माननीय सभापति महोदया, कानून के अन्दर यह बताया गया है कि अलाटमेंट के अधिकार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत में जो पहले तहसीलदार को दिये गये थे उस तहसीलदार के पास से यह अधिकार लेकर सब-डिविजनल आफिसर को इस प्रकार के अधिकार दिये जायें और इस भावना को लेते हुए इस कानून में संशोधन करने की चेष्टा की गयी है। लेकिन कानून की मूल धारा जो पुराना कानून राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 है उसमें थी उसकी संशोधित धारा इस आर्डीनेन्स के द्वारा दी गयी है अगर उनको देखा जाये तो मैं निश्चित तौर पर निवेदन करूंगा और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किस प्रकार यह सिर्फ जमीन को लूटने का ही अधिकार नहीं दिया बल्कि कानून बनाकर सबसे बड़ा धोका देने की चेष्टा की जा रही है।

माननीय सभापति महोदया, पहले 1956 के राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा जिसमें संशोधन किया गया है मैं वह पुरानी धारा भी आप के सामने पढ़ता हूं और संशोधन के पश्चात् इस धारा का क्या रूप हो जायेगा वह भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पुरानी धारा यह थी :

"Save as otherwise provided elsewhere by this Act, land for agricultural purposes shall be allotted by a Tehsildar after entering the application in the Register kept for the purpose and allotment by him shall be subject to such rules as may be made by the State Government from time to time in this behalf."

यह धारा 101 का पहला खण्ड है जिसमें 4 प्रकार के संशोधन चाहे गये हैं और चारों प्रकार के संशोधन चाहे जाने के पश्चात् यह धारा किस प्रकार पढ़ी जायगी माननीय मंत्री महोदय कल भी मैंने निवेदन किया था कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस समय राजस्व मंत्री और उप-राजस्व मंत्री दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको काफी लम्बे अर्से का वकालात का अनुभव और कानून की जानकारी रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि वर्षों वकालात करने के पश्चात् वह कानून में प्रावधान जिस प्रकार आपके सामने आते हैं उसका इन्टरप्रिटेशन क्या निकलेगा उसको भी जानते हैं और जिस भावना से राज्य सरकार द्वारा या गवर्नर महोदय ने जो आर्डीनेन्स निकाला है उसको जनता के सामने लाना चाहते हैं। यह भी जानते हैं उसकी भावनायें क्या हैं और क्या वे भावनायें उस कानून में निहित कर दी गयी हैं या नहीं? इस पर आप अपना दृष्टिपात नहीं करना चाहते हैं, अपने माइण्ड को एप्लाई नहीं करना चाहते हैं। जब आप उत्तर देंगे तो हम जानते हैं यही कहेंगे कि यह इन्नोसेन्ट कानून है और इससे कोई विवाद का सवाल पैदा नहीं होता और इस प्रकार की बात कहते हैं तभी आपकी चोरी के मामले सामने लाये जाते हैं। ऐसी बहुत सी घटनायें हैं

(श्री दुर्गालाल बाड़वार)

जिनके द्वारा मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं कि आज राजस्थान के मंत्री मण्डल में कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसके पास राजस्व की भूमि नहीं हो। क्या वे गरीब काश्तकार हैं ? भूमिहीन हैं या उनके पूर्वजों का खेतिहर धंधा है। दो-चार को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जब राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार धोखादेही से जमीन ली जाती है – यहां तक तो ठीक है लेकिन कानून भी धोखे का बनाते हैं यह और भी आश्चर्य की बात है। यही कारण है कि संकल्प के विषय में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। संशोधित धारा जिसको आप पढ़ेंगे वह इस प्रकार है :

"Save as otherwise provided elsewhere by this Act or any rules made thereunder, land for agricultural purposes shall be allotted after entering the application in the register kept for the purpose and the allotment shall be subject to such rules as may be made by the State Government from time to time in this behalf."

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने तहसीलदार शब्द को इसमें से हटा दिया ? 'बाई हिम' जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, याने एक रजिस्टर रखा जायेगा जमीन के अलॉटमेंट के लिए और जिस जमीन का रजिस्टर में इन्द्राज किया जायेगा वह आप लोगों में अलोट कर देंगे। यह प्रावधान था पहले के कानून में। आपने तहसीलदार शब्द हटा दिया और कानून की मूल भावना में यह व्यक्त किया कि किस लिए हटा दिया कि तहसीलदार के स्तर से किसी ऊंचे स्तर के अधिकारी को अलॉटमेंट के अधिकार देना चाहते हैं। ओरिजनल कानून में जिस प्रकार 101 में तहसीलदार शब्द का प्रयोग किया गया था और कानून की मूल धारा में यह अधिकार दिया था कि कानूनन कोई अलॉटमेंट का अधिकारी हो सकता है तो वह तहसीलदार हो सकता है। या यही भावना जिस भावना से आप आर्डीनेन्स लाना चाहते हैं इस कानून के अन्तर्गत आप यह कहने का अधिकार रखते हैं कि अलॉटमेंट करने का कोई अधिकारी होगा। तो एस० डी० ओ० होगा ? यह बात नहीं है बल्कि इसके पीछे भावना क्या है। सभापति महोदया, इसके पीछे स्पष्ट रुप से नीहित भावना यह है कि अलॉटमेंट के नियमों को बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा और इस नये बने हुए कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार अपनी मर्जी से जसा भी चाहेगी वैसे अलॉटमेंट के नियम बनायेंगी और कोई नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाया जायेगा उन नियमों में इस कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एस० डी० ओ० को ही अलॉटमेंट करने वाला अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नियम बनायें जायेंगे राज्य सरकार के द्वारा लेकिन अलॉटमेंट करने के लिए जिस भावना को कहकर राज्य सरकार आती है वह भावना व्यक्त नहीं की गयी। यदि मंत्री महोदय चाहते यदि राजस्थान सरकार चाहती तो अलॉटमेंट करने के अधिकार कल नायब तहसीलदार को भी दे सकती है या कलेक्टर को भी दे सकती है या अपने रिश्तेदार को भी बैठा सकते हैं अलॉटमेंट के लिए क्योंकि कानून में यही लिखा है कि जो राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाये जायेंगे अलॉटमेंट के लिए उन नियमों के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अन्तर्गत यह अलॉटमेंट किये जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं एक और कानून बनाने से पहले कहते तो यह हैं कि हमने इस कानून में परिवर्तन चाहा है, तरमीम चाही है। इस भावना के साथ चाहते हैं कि एस० डी० ओ० को अधिकार दिये जायें। लेकिन नियम हमेशा मूल कानून के अन्तर्गत चलते हैं। यह भी आप जानते हैं और यह अटल सिद्धान्त है कि जो पेरेन्ट लॉ होता है उस पेरेन्ट लॉ के अन्तर्गत ही कोई सबऑर्डीनेट लेजिस्लेशन होता है। तो जो कोई भी प्रॉवीजन पेरेन्ट लॉ में होगा उसको प्रिवेल करेगा और सबऑर्डीनेट लेजिस्लेशन उनके ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा। यह इन्टर-प्रिटेशन स्टेचूट का आज से सिद्धान्त नहीं है अनन्तकाल से सिद्धान्त चला आ रहा है और हिन्दु लॉ की स्टडी करने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराज मनु ने इसी प्रकार का इन्टरप्रिटेशन व्यक्त किया था:

'श्रुति स्मृति विरोधे श्रुनिखे वरियसी''
If there is any conflict between Shruti and Smiriti it is Shruti tha prevail.

कहने का मतलब यह है कि मूल कानून जो है उसमें प्रावधान जब तक आप नहीं करना चाहते हैं आपके कारनामे हर मंत्री महोदय के हर अधिकारी के और माननीय सदस्यों ने व्यक्त कर दिये उस बात में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं तो आपमें विश्वास किस आधार पर किया जाये। इसलिये भी विश्वास नहीं किया जाता कि जब इस प्रकार की बातें आपके सामने लाई जा रही थीं तो आप कह देते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है या आप उसका जवाब यह दे दिया करते हैं कि यह मेरे द्वारा किया हुआ नहीं है। आपको जानकारी नहीं, क्यों जानकारी नहीं है? राजस्थान के आप राजस्व मंत्री हैं घोटाले सदन की मेज पर आपके सामने रखे जाते हैं और मंत्री महोदय उत्तर देते हैं कि मेरी जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं है तो कहते हैं कि स्पेसिफिक एलीगेशन किसी आफिसर्स के खिलाफ लगाकर आप हमारे पास भेजिये तो हम जांच कराने के लिए तैयार होंगे। विश्वास नहीं किया जाता कि आप जांच कराने के लिए तैयार होंगे या नहीं। मैं व्यक्तिशः आलोचना नहीं करता लेकिन सुनने में यह आया है कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलीगेशन लायें और वह उच्च अधिकारी या मंत्री महोदय के पास भेज भी दिये जाते हैं तो सुनने में आया है कि आपको इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए कि बजाय उस पर जांच कराने के उस अधिकारी को खुद को बुलाकर कहते हैं कि देख तेरे खिलाफ यह सबूत मिल गया है और तुम मेरा कान पकड़ा हुआ जानते हो या नहीं। आप उस स्पेसिफिक एलीगेशन की इन्क्वायरी नहीं करेंगे बल्कि उस अधिकारी को गुलाम बनाया जाता है और उससे गलत अलॉटमेंट अपने रिश्तेदारों के कराये जाते हैं यह है आपके मंत्री मण्डल की कैफियत किस तरह से विश्वास किया जाय राजस्थान मंत्रियों के ऊपर? उनको स्पेसिफिक एलीगेशन दिये जायं कि उन स्पेसिफिक एलीगेशन पर वह मंत्री मण्डल जांच करेगा। आप पर से जनता का विश्वास जाता रहा। इसलिए जाता रहा कि यह सारी बातें आपके सामने व्यक्त की गई।

दूसरी बात आप यह कह देते हैं कि जो भूमि आवंटन के नियम इस आर्डिनेन्स के तहत बनाये गये हैं उन नियमों के आधार पर यह ध्यान रखा गया है क्योंकि इनका कैटेगो-

(श्री दुर्गालाल बाददार)

राइजेशन कर दिया है फर्जी आदमी का किया, शड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का किया और नये प्रकार की केटेगरीज इनकी उन सारे नियमों में कर दी गई एलॉटमेंट के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन केटेगरीज के अनुसार ही जमीन का आवंटन किया जायगा, लेकिन यह केटेगरीज जो आपके द्वारा नई निकाली गई तो पहले के भी एलॉटमेंट के रूल्स थे और पहले के एलाटमेंट के रूल्स में ये ही केटेगरीज नियत की गई थी। थोड़ी बहुत हेरफेर कर दी। पहले को दूसरा और दूसरे को पहला नम्बर दिया गया है। इस परिवर्तन के अलावा कोई विशेष इन केटेगरीज में परिवर्तन इस राजस्थान सरकार के द्वारा मौजूदा बनाये गये नियमों में नहीं किया गया है। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन पुराने नियमों के अन्दर जो एलॉटमेंट किये गये आवश्यकता से अधिक एलॉटमेंट किये गये, प्रभावशाली व्यक्तियों को 50-50, 100-100 बीघे का एलॉटमेंट किया गया और गरीब लोगों को एलॉटमेंट का हिसाब क्या है? आपके नोटिस में ये सारी बातें आती हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे केसेज भी मुझको देखने को मिले हैं कि तहसीलदार साहब मौके पर गये हैं और एलॉटमेंट कर दिया। सामूहिक रूप से गांव का एलॉटमेंट होता है और जो गरीब तबके की किसान है उसको निश्चित रूप से मानें दो, सवा दो बीघा इस प्रकार से जमीन एलॉट की गई है। दो, सवा दो बीघा जमीन एलॉट कर रहे हैं गांव के गरीब, का काश्तकार को गांव के दबे हुए व्यक्तियों को जिसको सब लोग जानते हैं इस समाजवादी शासन व्यवस्था में, या राज्य सरकार द्वारा करती है उस आदमी को दो बीघा जमीन एलॉट की जाती है, और मंत्री महोदय, उनके रिश्तेदार और दूसरे व्यक्ति हैं उनको 100-125 बीघा जमीन अलॉट कर देते हैं। दो बीघा जिसको एलॉट की जायगी वह न तो उस भूमि पर डेवलपमेंट कर सकता है न भूमि बन्धक बैंक उस पर कर्जा दे सकता है, लेकिन मंत्री और इनके रिश्तेदार वगैरह को जो ज्यादा बीघा जमीन दी जाती है तो बैंक भी उसको कर्जा दे देती है। सम्पत्ति वाला होता है तो प्राइवेट आदमी भी उसको कर्जा दे देगा। वह राज्य से पैसा लेता है, बैंक से भी पहले पैसे लेता है एलॉटमेंट बइमानी से कराता है, लेकिन जहां गरीब किसान को एलॉटमेंट का सवाल आता है तो उसको केवल 2 बीघा, सवा दो बीघा जमीन एलॉट करते हैं जो इस प्रकार की भावना, आपकी प्रगति एलाटमेंट की रहती है, और गड़बड़ आपके एलाटमेंट में रहती है तो क्या विश्वास किया जाय कि जो कानून लेकर आप आते हैं उसको सही भावना से व्यक्त नहीं करते हैं तो इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या थी?

सिद्धान्त रूप से आप कहते है कि एस०डी०ओ० को एलॉटमेंट करनेवाला अधिकारी मानते है तो मैं इस भावना का सम्मान करता हूं सिद्धान्त रूप से और मैं यह चाहता हूं जितना योग्य व्यक्ति होगा तो संभवतः वह समझदारी के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन संकोच क्या था आपको? कौन सी ऐसी दिक्कत आपके सामने आ रही थी, कौनसी ऐसी कठिनाई आपके सामने आ रही थी कि बेसिक लॉ के अन्दर आप सब-डिविजनल ऑफिसर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते है तो यह इस बात का द्योतक है कि आपके दिल में ऐसी

(श्री दुर्गालाल बाबदार)

बात है, आपके दिल में इस प्रकार की दुविधा है तो वह यह है कि सब-डिविजनल ऑफिसर के द्वारा एलॉटमेंट करायेंगे, लेकिन जब मौका देखेंगें या जहां आप उचित समझेंगे उसी व्यक्ति को एलॉटमेंट करने के लिए सक्षम अधिकारी बना देगें। चोटी पकड़ने की बात आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। राजस्थान सरकार कहती कुछ और है करती कुछ और है अफसरों की चोटी अपने हाथ में रखना चाहती है।

आप यह कहते हैं कि जो राजस्थान में पहले के घोटाले बताये गये हैं वे इन नियमों के अन्तगत नहीं किये गये थे। माननीय मंत्री महोदय, आपको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि 1956 में राजस्थान का लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बना और 1956 से लेकर सन् 1970 तक एलॉटमेंट के अभी तक कम से कम 50-55 प्रकार के नियम राज्य सरकार ने बना दिये हैं। आप तो गलियां तलाश करते हैं। सही रास्ते पर चलने की आदत आपकी नहीं है। आप अपने तबके के व्यक्तियों को चाहे भेड़ पालने के नाम से, चाहे सूअर पालने के नाम से, चाहे किसी प्रोजेक्ट के नाम से चाहे पुराने राजनैतिक सेवाओं के नाम से, किसी भी नाम से, कोई न कोई तरीके से आपको रास्ता मिल जाना चाहिए उसी प्रकार के कानून का आप निर्माण कर देते हैं, उसी प्रकार के एलॉटमेंट के नियम आप बना देते हैं और उन व्यक्तियों को आप जमीन एलॉट कर देते हैं। पूछे जाते हैं प्रश्न तो गवर्नमेंट की ओर से यह कहा जाता है कि कानून बड़ा निर्दोष है कानून है। फलां व्यक्ति ने जमीन इस कानून के तहत नहीं ली, उस कानून के तहत ले ली। जमीन एसे ली या वैसे ली, सब जो जमीन है वह राजस्थान सरकार की है और राजस्थान का राजस्व मंत्री यह कहकर बचना चाहते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब से मैंने अधिकार लिया है तो इससे पहले सारे एलॉटमेंट की कार्यवाही की गई है तो मैं यह अपेक्षा नहीं करता हूं और खासकर आप के जैसे योग्य व्यक्ति से कि वह यह कहे कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं इन्कम्पीटेन्ट हूं इन सारी इर्रेग्युलेरिटीज को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आप दोषामुक्त नहीं हो सकते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ गया। बादशाह अकबर के समय में हिन्दुस्तान के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल को हिन्दुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जमीन के बारे में मालूम था। किस्सा इतना पुराना है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक फकीर हिन्दुस्तान के बादशाह के पास याचना करने के लिये गया। बादशाह उससे खुश हो गया और अकबर ने जो सारी हिन्दुस्तान की सल्तनत का मालिक था उसने कहा कि जो भी चाहो मांगलो। वह तुमको दिया जायगा। उसने कहा, जहांपनाह। मैं केवल दो बीघा जमीन चाहता हूं। जहांपनाह खुश हो गये और हुक्म दे दिया गया कि यह फकीर जहां चाहे वहां इसको दो बीघा जमीन दे दी जाय। जब यह मामला हिन्दुस्तान के राजस्व मंत्री, टोडरमल के पास पहुंचा तो केवल उस, हुक्म को देखकर उसन यह अन्दाजा लगाया कि एक फकीर हिन्दस्तान के बादशाह के पास जाता है और मुंह मांगी मुराद बादशाह देने का वायदा करता है लेकिन

(श्री दुर्गालाल बाढ़टार)

यह फकीर कुछ नहीं मांगता है सिवाय दो बीघा जमीन के तो इसमें क्या राज है । वह राज्य मांग सकता था, एक बहुत बड़ी जागीर मांग सकता था और वह हिन्दुस्तान का बादशाह उसको दे सकता था, लेकिन दो बीघा जमीन वह ही मांगता है तो इसमें कोई राज होना चाहिये । यह थी काबलियत उसकी । उसने सोचा कि सल्तनत ने हिन्दुस्तान में कौनसी दो बीघा जमीन ऐसी हो सकती है जिसकी कीमत किसी राज्य से बड़ी हो । टोडरमल ने उस आर्डर के इम्प्लीमेन्टस के टाइम पर यह एक एमेन्डमेंट कर दिया कि जहांपनाह ने दो बीघा जमीन दिये जाने का आदेश कर दिया है लेकिन काश्मीर की केसर की खेती की दो बीघा जमीन को छोड़कर दो बीघा जमीन और कहीं पर देदी जाय । केसर की दो बीघा जमीन की कीमत कितनी हो सकती है यह राजस्थान का राजस्व मंत्री उस समय का जानता था । उसे मालूम था कि हिन्दुस्तान के उत्तर के कोने में क्या है, दक्षिण के कोने में क्या है, लेकिन राजस्थान का राजस्व मंत्री हमारे सामने, इस सदन के सामन यह बात कहता है कि मुझे इन बातों की जानकारी नहीं हैं, मेरे समय में एलॉटमेंट हुआ नहीं है, इसलिए राजस्थान के लिए सब से बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए शर्म के साथ हमें सिर झुकाना पड़ता है ।

हमारे राजस्व मंत्री जी अपनी योग्यता को पहिचानें । वह हमारे सामने कहते हैं कि हम को पता नहीं है । मैं उनकी उस शक्ति को जगाना चाहता हूं । आप ब्राह्मण हैं, अपने ब्रह्म तेज को सम्भालिये । क्या मंत्री पद के पीछे आप अपनी ईमानदारी को त्यागना चाहते हैं । आप बड़े ईमानदार हैं तो जो अनाचार, अत्याचार और इरेग्यूलरिटीज हुई हैं, क्या आप कबिनेट में अपनी आवाज उठाने के लिए सक्षम नहीं है ? ये सारी बातें क्यों हैं ? हिम्मत के साथ खड़े होकर स्पष्ट कह दीजिए कि जो एलीगेशन्स लगाये गये हैं । वह सारे मिथ्या हैं । इस प्रकार का कोई एलॉटमेन्ट नहीं किया गया है। या तो आप यह गलत मानते हैं । नहीं तो क्या कारण है कि आप में साहस नहीं है। आपको शायद अजमेर जाने का मौका नहीं पड़ा है । आप सड़क पर जाकर देखिये । सांगानेर सड़क पर जाकर देखिये । मांकरोटा तक अच्छे अच्छे महल, अच्छे अच्छे बंगले और भवन बने हुए हैं । किन लोगों के बने हुए हैं ? आप को मालूम नहीं है ? यह जयपुर शहर जो राजस्थान की राजधानी है, इसके चारों तरफ जहां सब्जी के खेत होने चाहिए है, वहां बंगले बने हुए हैं । शहर वालों को सब्जी नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि भूमि वितरण के समय हमारी राज्य सरकार आखों को मूंद कर बैठती है । हम अगर राज्य सरकार के सामने कोई बात लेकर जाते हैं तो वह कहती है कि हमें ज्ञान नहीं है । बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अध्या-देश प्रसारित किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । सन् 1956 से 70 तक बराबर तहसीलदार अलॉटमेन्ट करते आ रहे हैं । क्या 14 साल से आप को कोई जानकारी नहीं हुई थी ? कितनी बार विधान सभा बुलाई गई है । क्या कारण था कि 14 साल में यह राजस्थान सरकार कानून में कोई

(श्री दुर्गालाल बादशाह)

संशोधन नहीं ला सकी है और जब इतना हो गया है जैसे जमीन फटने वाली है। आसमान फटने वाला है। अगर यह कानून नहीं बनेगा तो जैसे जलजला उठने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि 14 साल तक राजस्थान सरकार चुप क्यों बैठी रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनिट और। इस कानून में संशोधन राजस्थान सरकार पूरी तरह से क्यों न करे। उस सूरत में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता। तहसीलदार के अलावा एस० डी० ओ० को आप अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन आप कुल कानून में संशोधन करना नहीं चाहते हैं:—

जब हमने कर लिया है तो उसी प्रकार से चलेंगे। हम आप को सच्चा और ठीक कानून बनाने के लिए सुझाव देते हैं। इससे मन्त्रिमण्डल का कुछ बनने वाला या बिगड़ने वाला नहीं है। और न आप की सरकार जाने वाली है। यह तो कानून का मसला है। अगर कानून म कोई गलती रही है तो उस गलत बात को हम सामने लाना चाहते हैं। कहां कौनसी शंका है, भय है। जिसके कारण आप यह नहीं करना चाहते हैं। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मूल कानून में संशोधन का प्रयोग कीजिये। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है···

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : किसका ? संकल्प का।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

एक माननीय सदस्य : अब छोड़ो भी।

श्रीमती सभानेत्री : अच्छा, आप।

(राजस्व मंत्री श्री रामकिशोर व्यास के खड़े होने पर)

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदया, जो संकल्प इस बात के विरोध में लाया गया है कि जो आर्डिनेंस का संशोधन पेश किया गया था, उसका विरोध किया जाय। उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। इससे कई तरह की बातें सामने आयी। बहुतसी बातें तो ऐसी आम बातें थीं, जिनका पहले भी यहां सदन में जिक्र हो चुका है। बहुतसी ऐसी बातें है जो कि इससे कोई सम्बन्ध रखने वाली नहीं है। पहली बात जो सामने आयी वह यह थी कि आर्डिनेन्स की नीति के बारे में, जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया। वह गवर्नर के जरिये से ही आना चाहिए था। अमलीतौर पर जब ऐसा होता है तो यही कार्यवाही होती है। कल भी यही आया था। अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जन-जाति का जो फैसला रेवेन्यु बोर्ड से होगा, वह होगा। उसके लिए लम्बे अरसे तक इन्तजार करते तो काफी टाइम लगता। इस समय भी अलॉटमेन्ट का सिलसिला जारी है। गान्धी शताब्दी में हमने यह तय किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट को अलॉटमेन्ट होने चाहिए। जो यह शिकायत है कि अलॉटमेन्ट अनियमित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तहसीलदारों की कई तरह की शिकायत कई बार इस सदन में आयी है। सदन में जो सद्भावना सदस्यों ने रखी है, मैंने यह समझकर कि और जिम्मेदार अधिकारी को यह शक्ति दी जानी चाहिए।

(श्री रामकिशोर व्यास)

क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी और भी ज्यादा कानून तथा नियमों के साथ अपने काम का पालन करेगा। इसी वजह से यह संशोधन लाया गया है। इन नियमों में यह आया है कि एस० डी० ओ० को वह अधिकार दिये जाने चाहिए। नियम में यह किया गया है। एस० डी० ओ० के असिस्टेंस में तहसीलदार करेगा। पुराने तरीके से यह बात चलती रहेगी। इसीलिए जल्दी करने के लिहाज से अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, इस ख्याल से निकाला गया था। इसके अलावा और कुछ सम्भव भी नहीं था कि और कुछ हो सके। इसमें और कोई असर नहीं पड़ता है। इस ख्याल से कि गान्धी शताब्दी वर्ष है। नियम के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को अलॉटमेन्ट हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मुझे यह बता दीजिए कि रजिस्टर कौन मेंण्टेन करेगा? तहसीलदार रखे नहीं। एस० डी० ओ० करे नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : वह तो इसमें आ गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह क्या रूल्स में आ गया है? डागा साहब, आप वकालत करते हैं या भाड़ झोंकते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : इस सारे सदन में आप ही अकेले वकालत करते हैं। बाकी तो सब भाड़ झोंकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो यह पूछता हूं कि रजिस्टर कौन मेंण्टेन करेगा?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, मैं समझ गया लेकिन 'भाड़ झोंकने' की कहने की क्या जरूरत है?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप भी वकील रहे हैं। मैं भी वकील हूं। लेकिन आप बदल गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कहूंगा कि वकालत करना और भाड़ झोंकना, दोनों कोई बुरी बात नहीं है।

जो रह गया है, वह नहीं किया गया है। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है। यह रूल्स में प्रोवाइड किया गया है। इसमें पहले भी आया है। अकोर्डिंग टू दी रूल्स यह किया गया है। तकलीफ भी नहीं होती। तो आपका फर्माना था, जो पॉइन्ट ऑफ व्यू था उसको इसमें यों प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड इन रूल्स/रूल्स के लिए लिखा है कि रूल्स में प्रोवाइड कर दिया जायगा। रूल्स में अमेंडमेंन्ट होकर फिर कभी आपके सामने आयेंगे, क्योंकि रूल्स में जब अमेंडमेन्ट करते हैं तो वह सदन की मेज पर रखे जाते हैं, सदन को उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो मैं आपको यह इत्मिनान दिला सकता हूं कि तहसीलदार की जगह नायब तहसीलदार तो करने से रहे....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सिद्धान्त रूप से तो आप इस बात को मानते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : सुन लें बात मेरी।

तो तहसीलदार के बजाय एस० डी० ओ० किया है, अब उसकी जगह नायब तहसीलदार को अपॉइन्ट करने का सवाल

(श्री रामकिशोर व्यास)

नहीं है। नायब तहसीलदार एलॉटमेंट करने वाला नहीं है।

श्री दुर्गालाल बादवार : तहसीलदार का आपने एस० डी० ओ० कर दिया, अब बाद में क्या पता है कि इसकी जगह नायब तहसीलदार कर दें और नियमों में बता दें। क्या भरोसा करें आपका ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं भरोसा दिलाता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या पता, कलेक्टर कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : यह हो सकता है। उसके हाथ में अधिकार दे सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बादवार : यह तो आपकी बात है लेकिन क्या पता आप कल मंत्री रहें या नहीं रहें, आपकी जगह कोई दूसरा राजस्व मंत्री आ जाय और वह फिर बदल दे। तो कैसे मान लें आपकी बात। आप कानून में प्रोवाइड कर दीजिये। हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल में आप राजस्व मंत्री कल भी रहें। कल ही आपका पोर्टफोलियो बदल जाय तो दूसरा जो राजस्व मंत्री आये वह कानून भी बदल दे, तो फिर क्या करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपको बहुत अदब के साथ अर्ज करता हूं कि आपने बहुत कड़वी, तीखी बातें कहीं, मैंने उनको दिल के साथ सुना। अब मैं अर्ज करू तो आप वैसा ही दिल रख कर सुनिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह इनकी आदत नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुन कर फर्माईये, उसमें मुझे ऐतराज नहीं है। आप बेशक फर्मायें। मुझे सुनने के बाद में कोई बात रह जाय तो आप फर्मायें, उसमें मुझे खुशी ही होगी और कोई ऐसी बात होगी मानने लायक तो मैं उस पर विचार करने और उसके अनुसार संशोधन करने के लिए भी तैयार रहूंगा। उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार रहूंगा।

श्री आलम अली खां : पूर्ति वाली बात कही, वह पुर्ति वाली बात सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गये। कोई सींगड़ी कर ले, तो उसको कैसे हल करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : समझ में आई आपकी बात ?

श्री रामकिशोर व्यास यह कानूनी मसला है, आप — . .

श्री आलम अली खां : कानूनी मुद्दा है लेकिन कोई सीगड़ी कर ले, सीगड़ी करवा ले तो कानून से वह मसला कैसे हल होगा ? लोग भूख से मरते हैं तो वह मसला क्या कानून से हल करना चाहते हैं ? रोजाना बदलते हैं कानून को आप। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन कानन न बदलें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज कर रहा था। अभी पूछा, एक्ट के अन्दर क्यों प्रोवाइड नहीं किया गया है ? एस० डी० ओ० को पावर है–इसमें कोई शक शुबाह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वह रूल्स में प्रोवाइड किया गया

(श्री रामकिशोर व्यास)

है, और रूल्स में जब कभी कोई एमेंडमेंट लाया जाता है तो उसे सदन की मेज पर रखते हैं और वह आपकी जानकारी में आता है। यह आप समझ सकते हैं कि जब हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले ऑफिसर को एपॉइन्ट किया है तो लोअर स्टेज पर दुबारा जा नहीं सकते। दफा दफा संशोधन नहीं करना पड़े इसलिए रूल्स में प्रोवाइड करने की बात कही है।

दूसरी बात आपने कही, रजिस्टर कौन मेन्टेन करेगा? तो रूल्स में प्रोविजन है कि एस० डी० ओ० करेगा.......

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स में है। रूल 9 में।

श्री बुगलाल बाढ़वार : वह नियमों में है।

श्री रामकिशोर व्यास : हमें कानून की सीमा जाननी चाहिए। रजिस्टर कौन मेन्टेन करेगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा-यह सारी बातें एक्ट में नहीं आ सकती हैं। रूल्स आप देखेंगे तो पायेंगे कि रूल्स काफी डिटेल्ड हैं, काफी इम्प्रूव्ड हैं। पुराने रूल्स और नये रूल्स दोनों को आप कम्पेअर करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले के रूल्स और अब के रूल्स में काफी अन्तर करने की कोशिश की है, काफी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। जो बहुत सी शिकायतें यहां सदन में की हैं उनका हल रूल्स में मौजूद है। तो जो बात आपने फरमाई, मैं आपको अर्ज करूंगा कि रजिस्टर मेन्टेन करने वाली बात रूल 9 में प्रोवाइडेड है कि एस० डी० ओ० मेन्टेन करेगा और उसमें उसका प्रोसीजर भी है। हमारी मन्शा यह है कि यह रूल्स में हो तो यह हमने रूल्स में प्रोवाइड कर दिया इसलिए इसमें शक करने की बात नहीं है।

बहुत सारी बातें एलॉटमेंट के सिलसिले में आईं कि एलॉटमेंट के बाद में कब्जा नहीं दिया जाता है, सही तरीके से एलॉटमेंट नहीं होता है। बाज आदमियों को एलॉटमेंट हो जाता है, कई ऐसे लोगों को एलॉटमेंट हो गया जिनको कि नहीं होना चाहिए, मंत्रिमण्डल के सदस्यों को एलॉटमेंट हो गये हैं, प्रभावशाली लोगों को एलॉटमेंट हो गये हैं--बहुत सारी बातें इसमें आईं। मैं थोड़ा थोड़ा एक एक का जवाब पेश करूंगा। एलॉटमेंट के पुराने जो रूल्स थे उनमें भी यह बात थी। एलॉटमेंट के सम्बन्ध में पहले एक वक्त था जब बहुत शिकायतें इस बात की आती थीं कि खाली तहसीदार एलॉटमेंट कर देते हैं। जब यह बात सामने आई, शिकायतें आईं तो इसमें नॉन-ऑफिशियल्स को रखने का प्रोविजन किया, एलॉटमेंट कमेटी बनीं उनमें नॉन-ऑफिशियल्स को रखा गया। जो भी एलॉटमेंट कमेटी बनाई गई उनमें उस क्षेत्र के एम० एल० ए० प्रधान और सरपंच को उसके साथ साथ रखा गया है। इसमें ख्याल यही रखा गया कि तहसीलदार चूंकि अकेला एलॉटमेंट करता था उस तरह वह मनमानी न कर पाये और उस पर अंकुश रहे और आप लोगों का उस पर सुपरविजन एलॉटमेंट के मामलों पर रहे। इसलिए नॉन-ऑफिशियल्स को एलॉटमेंट कमेटी में इन्ट्रोड्यूस करा। इसके साथ ही एलॉटमेंट जो उस लिहाज से हुए थे उनके लिए अपील का प्रोविजन भी रखा है, रिवीजन का प्रोविजन भी रखा है। रेवेन्यू कलेक्टर

(श्री रामकिशोर व्यास)

को अपील हो सकती है, रेवेन्यू बोर्ड को हो सकती है और गवर्नमेंट को हो सकती है। यह जानकारी आपको है कि इस सम्बन्ध में जुडिशियल प्रोविजन था। अब इसलिए उसके तहत जो एलॉटमेंट हुए और उसके तहत कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वह अपील कर सकता है, रिवीजन में जा सकता है। इसमें एक कोताही थी। वह यह कि एग्रीव्ड पार्टी अपील या रिवीजन में जा सकती थी, लेकिन अगर कोई नहीं गया है तो उसको नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट सुवो-मोटो क्या करे, उसमें कोई दखल अन्दाज कर सकता है या नहीं। कई दफा यह सदन के सामने सवाल आया कि ठीक है एक को लैंड मिलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं मिला तो ए अपील में जाता। यह एक जनरल लॉ था अब जो नहीं गया उसको जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला या और कोई बात हो सकती है, या कोई व्यक्ति अगर इन्ट्रेस्टेड नहीं था वह क्यों जाता? इसलिए इस तरह का अधिकार होना चाहिए कि दुबारा देखा जा सके और जांचा जा सके।

इसके अलावा बहुत सारी बातें कहीं एलॉटमेंट के बारे में, नागरिकों के बारे में मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बारे में बहुत सी बातें कहीं। नये रूल्स जो हैं उनमें इन सब बातों का प्रोविजन रखा है। जो भी भावनायें व्यक्त की थीं इस सदन में उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रोविजन किया है कि कोई भी एलॉटमेंट हो, अगर मिस-रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की बिना पर हुआ है, अगेंस्ट रूल्स हुआ है या फ्राड पर हुआ है तो कलेक्टर रिव्यू कर सकता है, कलेक्टर एप्लीकेशन पर रिव्यू कर सकता है, सुओ-मोटो भी कर सकता है। यह बहुत बड़ा अन्तर है। आप उनका गौर फर्मायेंगे, तब आपके ध्यान म आ जायगा कि सुओ-मोटो उसको दुरुस्त कर सकता है और किसी की एप्लीकेशन पर कर सकता है। वह रूल में पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह याद है। सवाल यह नहीं है कि कलेक्टर कर सकता है या नहीं। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जितने सारे उदाहरण यहां सामने लाये गये हैं, एलॉटमेन्ट के विषय में, चाहे वह मिनिस्टर की पत्नी के नाम पर हो, किसी और के नाम पर हो—जो भी राज्य सरकार की निगाह में लाये गये हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स बने हैं उनके आधार पर एक्शन लेना होगा।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रूल्स नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स बने हुए हैं आप सुन लीजिये :

"The Collector shall have the power to cancel any allotment made by the Sub-Divisional Officer suo-moto or an application made by any body in case the allotment is secured through fraud, mis-representation or if allotment is made against rules or in case the allotee has committed any breach."

तो इसमें साफ तौर पर कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि एलॉट कोई

(श्री रामकिशोर व्यास)

बेजा हुआ है तो उसको वह रिव्यू कर सकता है, देख सकता है सेहत कर सकता है। तो पहले के रूल्स में और अब के रूल्स में बहुत बड़ा अन्तर है।

दूसरे, पहले और नये रूल्स में पजेशन की बात है। पजेशन के सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं कि एलॉटमेंट हो जाता है लेकिन पजेशन नहीं मिलता है। यह बात किसी हद तक सही थी। बहुत से केसेज में एलॉटमेंट हो गया लेकिन पजेशन किसी ओर का रहा, या और कारण रहा, जिससे पजेशन नहीं मिला। यह डिफिकल्टी सामने आई, विधान सभा में नोटिस में आई, इस सदन के बाहर नोटिस म आई विशेष रूप से......

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : पजेशन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट की जमीन है और वह वहां रहने वाला है तो उसको पजेशन क्यों नहीं देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : समझ गया।

श्री परसराम गंगाराम : उसके लिए क्या सोचा है ?

(3.17 म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री रामकिशोर व्यास : कई शिकायतें आई कि एलॉटमेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हुआ तो सवर्ण नहीं चाहते कि उनका कब्जा हो। उनको जो एलॉटमेंट हो गया वह उनको पसन्द नहीं था इसलिए उन्होंने पजेशन में रुकावटें डालीं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इस गांधी शताब्दी वर्ष में जो एलॉटमेंट हुए हैं, इस वर्ष उसमें मेरा मानना है, जहां तक मेरी जानकारी है, सत्तर-अस्सी प्रतिशत में जरूर पजेशन मिल गया है, पन्द्रह-बीस पर्सेन्ट केसेज इस नेचर के हो सकते हैं जिनमें पजेशन नहीं मिला हो। इसलिए हमने रूल्स म प्रोवाइड किया है कि जैसे ही एलॉटमेंट होगा वैसे ही सब डिवीजनल ऑफिसर पटवारी को इन्फार्म करेगा एलॉटमेंट के बारे म और पजेशन दिलाने के लिए लिखेगा...........

श्री रामचन्द्र आर्य : एक इसमें यह है कि किसी के नाम एलॉटमेंट नहीं होता वह कलेक्टर के पास जाकर अपील करता है लेकिन तीन-तीन, चार-चार साल अपील चलती रहती है और भूमिहीन को कब्जा नहीं मिलता है। उसके बारे में उदाहरण के तौर पर...........

श्री रामकिशोर व्यास : मैं समझ गया आपकी बात। मुझे आपकी बात समझ म आ गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे केसेज बहुत से हैं, एक केस म एक थानेदार ने अपने नाबालिग बच्चे के नाम भूमि का एलॉटमेंट करा लिया...........

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपकी बात मानली।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसने भूमिहीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है तीन साल से। यह केस हनुमानगढ़ की अदालत में चल रहा है और बीकानेर से हर पेशी पर आता है। बार-बार इसकी शिकायत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो भूमिहीन को कैसे जमीन मिलेगी इस प्रकार के केसेज . . .

श्री रामकिशोर व्यास : यह रूल्स म प्रोवाइड किया है कि माइनर को एलॉटमेंट नहीं हो सकता ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हुआ है । एलॉटमेंट कमेटी ने उसको रद्द किया है लेकिन उसने पजेशन ले लिया............

श्री रामकिशोर व्यास : कोई एलॉटमेंट रूल्स के खिलाफ हुआ है तो सेट एसाइड हो सकता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस पर वह काश्त कर रहा है । एलॉटमेंट कमेटी ने उसको रद्द कर दिया । इसी प्रकार तीन साल पहले भूतपूर्व सैनिक को भूमि एलॉट हुई है वह उसको नहीं मिली है । कई मर्त्तबा कलेक्टर को कहा गया, उसको लिख कर दे दिया लेकिन सनवाई नहीं होती है और लम्बी तारीख डाल देते हैं । वह आराम से काश्त कर रहा है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एलॉटमेंट नियमों के खिलाफ हुआ है तो कैंसिलेशन के जरिए हैं। अब तो कलेक्टर को आथोराइज कर दिया और माइनर्स के लिए प्रोवाइड कर दिया कि माइनर्स को एलॉटमेंट नहीं होगा ।

नए रूल्स के अंदर पजशन की बात में निवेदन कर रहा था । हमन इसमें लिखा है, रूल्स में प्रोवाइड किया है इस बात के लिए एस०डी०ओ० पटवारी को इन्फार्म करेगा पजेशन के दिलाने के लिए। मान लीजिए पजेशन नहीं मिलता है तो विदिन 30 डेज ही कैन एप्लाई टू दी कलेक्टर । जो जो एलॉटी है, अगर उसको पजेशन नहीं मिलता है तो वह 30 दिन के अंदर कलक्टर को इस बात के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि मुझे जमीन एलॉट हो गई लेकिन कब्जा नहीं मिला और कब्जा दिलाया जाय और कलेक्टर पजेशन दिलाएगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : और कलेक्टर ने भी नहीं दिलाया तो ? जिसको आज तक पजशन नहीं मिला, वह भूमिहीन किसान कलेक्टरी में जायगा और कलेक्टर ने नहीं दिलाया तो ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां ऊपर आए ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरी भी शंका है ।

श्री परसराम गंगाराम : कलेक्टर साहब कहते हैं कि हम क्या करें ? बदली करवानी है क्या ? बेचारा हरिजन कहां जाय ? शिड्यूल्ड कास्ट वालों के पास पैसा नहीं है, वहां तो पैसा चाहिए । गंगाराम के भाई-बंद वहां खड़े हैं, शिड्यूल्ड कास्ट वाले क्या करें ? इसलिए आप कोई कानून बनायें कि जो नागौर जिले म...

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि एस० डी० ओ० कब्जा दिलाने के लिए लिखेगा, वह कबजा दिलाएगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सब थोथी बातें हैं, बकार की बात हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर को अधिकार दिया है । उसके बाद भी नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास आए ।

श्री परसराम गंगाराम : जो शिड्यूल्ड कास्ट वाले हैं वह इतना कष्ट भोगेंगे और

(श्री परसराम गंगाराम)

जमीन नहीं मिलेगी। वह समय आएगा जब आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। वह लोग सचेत हैं, आप सोच लीजिए, वह बेचारे परेशान हैं जमीन के लिए। आंकड़ आप ज्यादा बता देते हैं कि इतनी जमीन एलॉट करदो। मगर उनके लिए 5 प्रतिशत भी जमीन उनको नहीं दी गई, इसलिए आप उनके लिए समय बढ़ाकर, कब्जे दिलवाये और...

श्री रामकिशोर व्यास : टाइम बढ़ाने वाली बात अलग है।

श्री सभापति : (श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े होने पर) श्री रामचन्द्र आर्य कृपया स्थान ग्रहण करें। उत्तर होने दिया जाय। उसके बाद आप बोलें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उत्तर होने के बाद ये ठहरने वाले नहीं है।

श्री सभापति : मैं उनको जाने नहीं दूंगा। आप बैठ जायं।

श्री रामकिशोर व्यास : कब्जे के बारे में सदन में बात आई थी कि कब्जा बहुत से लोगों को नहीं मिलता है, एलॉटमेंट हो जाता है। उसको क्रियान्वित करने के लिए कि कब्जा मिले, सेक्शन्स कानून म दिए हुए हैं, रूल्स में परिवर्तन किया है और यह बात बढ़ाई है कि एस० डी० ओ० पजेशन दिलाने के लिए पटवारी को लिखेगा। दूसरा इसमें प्रोवाइड किया है कि महीने भर में यदि पजेशन नही दिलाएगा तो कलेक्टर के पास जाय, वह दिलवाएगा। मान लीजिए कलेक्टर से रिलीफ नहीं मिलता है तो आग आयें।

श्री परसराम गंगाराम : एक एप्लीकेशन आई है, मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(सदन की मेज पर रखते हैं)

उनको कब्जा नहीं मिला है। जमीन उनसे छीनी गई है। एलॉट की है लेकिन कब्जा नहीं मिला है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह कहना कि भूमिहीनों को विशेष रूप से शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन नहीं दी गई, मैं समझता हूं जैसे राम किशन जी कह रहे थे और इस बात को तसलीम किया था कि जो 50 लाख एकड़ भूमि वितरित हुई है भूमिहीनों को, उसके लिए उनका इन्टरप्रेटेशन दूसरा है। उनका कहना है कि 13 लाख सही हुआ है बाकी गलत हुआ है।

श्री नत्थीसिंह : यह आपकी सूचना है।

श्री रामकिशोर व्यास : उनका कहना है कि 13 लाख एकड़ जनुइन है, मेरा यह इन्टरप्रिटेशन नहीं है। 50 लाख वाली इन्फार्मेशन हमारी है।

श्री रामचंद्र आर्य : गलत जो हुआ है उस पर क्या करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि भूमिहीनों के लिए और विशेष रूप से शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकार की बराबर नीति रही है कि उनको जमीन मिले, क्योंकि वह पिछड़ा हुआ वर्ग है और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कहते हैं, असर वाले जमीन ले लेते हैं और बेअसर वाले रह जाते हैं, इसको दृष्टि में रखते हुए सरकार

(श्री रामकिशोर व्यास)

को फैसला करना पड़ा कि एक वर्ष के लिए सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही एलॉटमेंट किया जाय और किसी को नहीं। मैं समझता हूं, आप इस बात से एग्री करेंगे, पार्टी पोलिटिक्स को अलग रखते हुए, कि साल भर में काफी जमीन एलॉटमेंट हुई है। भरतपुर के दोनों माननीय सदस्य कह रहे थे कि 20 हजार बीघा जमीन......

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा सु०) : एलॉट तो की है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट वालों को कब्जा नहीं मिला है।

श्री रामकिशोर व्यास : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किए थे, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने माना कि 20 हजार बीघा जमीन एलॉट हुई है लेकिन कब्जा नहीं मिला है, वह अलग बात है, लेकिन एलॉटमेन्ट हुआ है, यह मानना पड़ेगा। अलग अलग जिलों को नहीं लेना चाहता लेकिन इतना एलॉटमेंट हुआ शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मोटे तरीके से फिगर्स बता दूं तो बेजा न होगा। शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स के लोगों को 2,46,710 एकड़ भूमि एलॉट हुई है, जिसमें से शिड्यूल्ड कास्ट को 1,53,688 एकड़ व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को 81,669 एकड़। तो मानो ढाई लाख एकड़ साल भर में हुआ है। तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि काम हुआ है और इस मूवमेंट के अंदर जान आई है। इसमें गैर सरकारी लोगों ने हिस्सा लिया, माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, सबने सहयोग किया। सरकार की निति है कि इस जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले, प्रगति आए।

दूसरा सवाल है टाइम बढ़ाने वाला, यह बात यहां कहीं। इस पर विचार कर रहे हैं। इसमें दूसरी समस्यायें हैं। अब पोजीशन यह है कि साल भर के लिहाज से शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा एलॉटमेंट नहीं करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों को दो दो बोतलें शराब की दे दें, आपकी भी बिक्री हो जायगी और.......

श्री परसराम गंगाराम : हरिजनों को बदनाम करने के लिए बोतल का नाम ले रहे हैं, यह इनकी भूल है। जमीन जो शिड्यूल्ड कास्ट्स को एलॉट की गई है और कब्जा नहीं मिला है, कब्जा दिलवाने के लिए थानेदार जाता है, तो कुछ नहीं होता है......

इसलिये मैं यह निवदेन करूंगा कि कब्जा दिलाने के लिये कलेक्टर को या ऊंचे अधिकारी को मुकर्रर करें ताकि जमीन एलॉट हो सके।

श्री रामकिशोर व्यास : कब्जा दिलाने के लिये ही तो यह कानून बनाया है। हम कोशिश करेंगे।

श्री परसराम गंगाराम : पटवारी ने पक्ष लिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : सुन तो लीजिये। सुनना को नहीं चाहें तो क्या करूं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बाद में अपन कह देंगे।

श्री परसराम गंगाराम : बाद में चले जावेंगे।

श्री सभापति : श्री परसराम, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम गंगाराम : ट्रान्सफर न किया जाय।

श्री सभापति : यह उनको दे दीजिये आगे चलिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : कांग्रेस के हरिजन सदस्य नहीं है आप कांग्रेस वाले हरिजन सदस्य को मिलती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं हाउस की सूचना के लिये निवेदन कर रहा था कि कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का 3,25,294 व्यक्तियों को एलॉटमेन्ट हुआ है और एरिया जो एलॉटमेंट हुआ है वह है 15,02,497 एकड़। यह बात कही जाती है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एलॉटमेन्ट नहीं हुआ है तो मैंने इसलिये फीगर्स आपके सामने रखे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या ये आंकड़े सही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल सही हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे सही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतना आप से पूछ सकता हूं कि ये कैसे गलत हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या ये जो फीगर्स 15 लाख के हैं इसमें प्रोजेक्ट एरिया के जो एलॉटमेन्ट हैं वे भी इसमें शामिल हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे अलग हैं।

इसके अलावा एक सवाल यह भी आया और वह कुछ हद तक ठीक भी था। जमीन सीमित है और बहुत सी जगह है और बहुत सी जगह नहीं है भूमि हीनों की संख्या काफी है और जमीन की कमी पड़ती है। बीड और चरागाह की जमीन है उसको भी एलॉट करने की कार्यवाही की जाय इसका भी सुझाव आया। जनरल फैसला तो नहीं किया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिन गांवों का पानी खारा है इसके लिए वहां तो आदेश दे दें वरना गांव ही बरबाद हो जावेंगे। उन गांवों की परिस्थितियों को भी देखना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

माननीय मंत्रीजी।

समय बहुत हो चुका है। विधेयक पारित होना है आज। इस पर अभी विचार करना है, खण्डशः विचार करना है। प्रस्ताव आगया पारण के लिये तो फिर दुबारा विचार की बात आयगी। आप इसमें सहयोग दें। मैंने आश्वासन दे दिया है कि आपको प्रश्न पूछना हो तो उत्तर के बाद में पूछ सकते हैं। बीच में बाधा उपस्थित करने से कार्यवाही चलाने में दिक्कत उपस्थित होती है। इसलिये कृपया शान्त बैठे रह कर मंत्री महोदय को सुनें। मंत्री महोदय, कृपया आप भी अपना उत्तर जल्दी समाप्त करें।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत जल्द ही समाप्त कर रहा हूं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

चरागाह और जंगल के अलाटमेन्ट की बात आयी। सब ही को जंगल और चरागाह अलाट कर देंगे। ऐसा नहीं है। कलेक्टर मुनासिब समझे कि चरागाह काम में नहीं आ रहे हैं तो वह सोच सकता है। जंगलात के सम्बन्ध में भी कमेटी बनायी है कि वाकई जंगल नहीं है और वहां की जमीन को कल्टीवेबल समझें तो अलॉट कर सकते हैं। जंगल और चरागाह ठीक समझें परिस्थितियों को देखते हुए और उन कामों में वे नहीं आ रहे हैं तो अलाट कर सकते हैं।

एक बात यह भी आयी कि क्या गवर्नमेन्ट इस बात के लिये तैयार है कि गैर कानूनी तरीके से अलाट हुई है तो दुबारा उसको कन्सीडर करें। हमने रूल में प्रोवाइड कर दिया है कि कलेक्टर के पास मामला जाय तो सुओ मोटो भी देख सकते हैं।

इसके अलावा बहुत-सी बातें आयीं। बहुत से आदमियों को अलाट हो गयी। मंत्रिमंडल के सदस्यों के विषय में भी बात आयी। मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास किन किन के पास जमीन है यह सब सवाल आ चुके हैं। माननीय भैरोंसिंहजी ने लिस्ट भी रखी है, जवाब दिया जा चुका है। ज्यादातर जमीन ऐसी है जो खरीदी हुई है। एक बात कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके परिवार वाले भी नागरिक हैं।

श्री रामचन्द्र प्रार्य : नाबालिग बच्चों और औरतों के नाम पर अलाटमेन्ट करा ली है।

श्री रामकिशोर व्यास : उनके परिवार का भी हक होता है। यदि कोई बेजा तरीके से किया हो तो वह बात हो सकती है। ज्यादा जमीन लोगों के पास है यह बात कही गयी। यदि सीलिंग से अधिक जमीन है तो वह उनसे ली जावेगी चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या और कोई हो। वह उनसे ली जायगी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का परसेन्टेज मुकर्रर कर दीजिये। नये रूल्स में देखेंगे। शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्स को तो प्रायोरिटी दी है। नम्बर 1 पर उनको रखा है जो लड़ाई में मारे गये हैं या डिस्एबल्ड हो गये हैं। इसके बाद शिड्युल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्स का नम्बर आता है। पर्सेन्टेज की दृष्टि से उनका पहले ही हक रखा है।

दूसरी बात यह आयी कि स्टे मिल जाता है। कोर्ट से स्टे हो जाता है मामला तो मैं क्या कर सकता हूं। पजेशन मिल जाय। कलेक्टर को एप्लाई कर दें फिर भी कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं।

कुछ करप्शन की बात आयीं। तहसीलदार और दूसरे लोगों की बात आयी। बयाना के तहसीलदार के बारे में बताया। उस सम्बन्ध में तो मैं कार्यवाही करूंगा। इस प्रकार के मामलों में बदबू आने लग जाय तो स्टिफ भी रहना चाहिये और औपोज करना चाहिये। यदि स्पेसिफिक एलीगेशन किसी के खिलाफ आये और डिपार्टमेन्ट के लायक हो तो उससे और एन्टीकरप्शन के लायक हो तो उससे एन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हूं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

शील्ड करने के लिये कतई कोई बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बदनामी न हो और इन्क्वायरी डेफिनेटली करवायेंगे। जो जांच की रिपोर्ट आयगी उन पर एक्शन भी लेंगे और कोई भी वैसी बात होगी तो वह करेंगे, इस समय में यही कह सकता हूं।

एक सवाल बीच में आया था गवर्नमेन्ट के पावर्स का। इसलिये यह अमेन्डमेन्ट लाया गया कि पहले गवर्नमेन्ट को पावर्स नहीं थे यह कहा गया। पावर्स रखने के लिहाज से अमेन्डमेन्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। रूल्स में है और गवर्नमेन्ट कर सकती है। तहसीलदार के बजाय एस० डी० ओ० किया है इसलिये लाये हैं। पहले भी यही बात थी और रूल्स थे उसमें गवर्नमेन्ट को अलॉटमेन्ट करने के अख्तियारात थे। इन्टरप्रिटेशन में फर्क था। 15 बीघा से ज्यादा है तो अलॉटमेन्ट कर सकते हैं। सदन में लीगल पोइन्ट के तौर पर अराइज हुआ कि अराइज कर सकते हैं या नहीं। एज प्रोप्राइटर गवर्नमेन्ट हैज अलाटमेन्ट राइट्स। अलॉटमेन्ट करने का गवर्नमेन्ट को अधिकार है। रूल 16 है उसमें भी यह बात दी हुई है। गवर्नमेन्ट को पावर्स हैं। एक शक की बात हो गई तो वह मिट जानी चाहिये इसलिये कहीं मिसयूज हो तो पावर के साथ मिसयूज की बात हो सकती है। पंचायत समितियां और सोसाइटीज को अलॉटमेन्ट करना पड़ता है, एक्स सर्विसमेन को अलाटमेन्ट करना पड़ता है। एरियां के बाहर कौन अलाट करेंगे? एक्स सर्विसमेन कहीं का रहने वाला है और वहां वह नहीं लेना चाहता है तो उसको दूसरी जगह मिल जाय। इसलिये गवर्नमेन्ट को अलाटमेन्ट की जरूरत पड़ती है। एज प्रोप्राइटर ऑफ लैंड उसको अधिकार है। चूंकि शंका की बात पैदा हो गई थी इसलिये इसको इस रूप में रखा है। वैसे तो और बहुत सी बातें हैं लेकिन जैसा सभापति महोदय का आदेश हुआ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री शंकरसिंह : किस किस कर्मचारी ने गलत अलॉटमेन्ट किया उसके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगन्नाथ : मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों को जो जमीन दी गई है वह चरागाह से न दी जाय इससे पशुओं के चरने के लिए चरागाह खत्म हो जायेंगे......

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैंने भी कहा है।

श्री जगन्नाथ : जहां तक हो सके अनुसूचित जातियों के लोगों को अच्छी जमीन दी जाय। वन विभाग की भूमि दी जाय। चरागाह की भूमि न दी जाय। चरागाह तो बिल्कुल सुरक्षित रखे जायं।

श्री नथमल चौहला : सीकर जिले के अधिकारियों की शिकायतें मैंने आपके सामने तीन चार बार रखी थीं उसके बारे में जांच करवाई है?

श्री रामकिशोर व्यास : सदन में ये बातें कई दफा आ गई थीं अध्यक्ष महोदय के सामने ये बातें जरूर आई थी कुछ सूची भी दी गई थी। सरकारी कर्मचारियों ने कहां कहां कितनी कितनी जमीन ली है। इस

(श्री रामकिशोर व्यास)

बारे की सूचना अलग अलग जिलों से मंगाई है अध्यक्ष महोदय के पास भिजवा देंगे ।

श्री नथमल चौहला : लिखित में मैंने दिया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप लिखित में पूछेंगे तो अलग से आपको जानकारी दी जायगी ।

श्री नथमल चौहला : मैंने और सीकर जिले के विधायक ने सन् 68 में आपको लिख कर दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर) : मैंने स्वयं आपको पत्र लिखकर दिया हमारे यहां के तहसीलदार ने जिस प्रकार से भूमि का आवंटन किया है उसके बारे में लिखकर दिया था आपके डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने उस पर स्टे आदेश दे रखे हैं। हमारे यहां के तहसीलदार की कई शिकायतें आपके सामने की हैं लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह बात उचित हैं कि केन्सीलेशन के पावर्स कलेक्टर को दिये गयें हैं । वे अवैध आवंटन को केन्सिल कर सकते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन रूल्स के तहत जो अलॉटमेन्ट किया जाता है उन्हीं को कलेक्टर केन्सिल कर सकेगा या रूल्स के आने से पहले भी जो अलॉटमेन्ट हुए हैं उनको भी कलेक्टर केन्सिल कर सकता है ? इन रूल्स के आने से पहले भी कई गलत अलॉटमेन्ट हुए हैं जिनकी अपीलें नहीं हुई हैं क्या कलेक्टर को उन अलॉमेन्ट्स को भी केन्सिल करने का अधिकार होगा ?

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अलॉटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत रेगुलेराइजेशन के पावर भी जोड़े हैं । वैसे रगुलेराइजेशन के लिये अलग से सरकुलर्स भी जारी हुये हैं उसके अन्तर्गत आपने रेगुलेराइजेशन का नियमन किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नियमन क्या उसी सरकुलर्स के तहत होगा ? या जो आदमी लैंडलेस है और जिसने गवर्नमेन्ट लैण्ड पर कब्जा कर लिया है उसको रेगुलेराइज करेंगे ? मेरा सुझाव है कि चाहे किसी का पुराना कब्जा नहीं हो लेकिन वास्तव में वह लैण्डलेस है उसके पास जमीन नहीं है और उसने गवर्नमेन्ट की जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट किया है उसको रेगुलेराइज करना उचित होगा । उसको इजेक्ट करके आप उसकी जगह दूसरे को जमीन अलॉट करें इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगी ।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि अलॉटमेन्ट के लिये कितनी जमीन खाली पड़ी है जब तक सीलिंग कानून के जरिये जिनके पास अधिक जमीन है उनसे लेकर अलॉटमेन्ट नहीं करेंगे जिस तरह की मांग चारों तरफ है जमीन की उसको सीलिंग कानून के लागू किये बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सीलिंग कानून के इम्पलीमेन्टेशन के लिये सरकार ने कदम उठाया है लेकिन जब तक इसके लिये स्पेशल स्टाफ मुकर्रर नहीं करेंगे जिस तरह से सैटलमेन्ट के लिये स्टाफ है तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकेगा । वैसे तो यह सीलिंग कानून सन् 70 से असेम्बली में चल रहा है न मालूम इस तरह से चलता रहेगा तो कितनी असेम्बलियां तक चलेगा । आप इस बात की पूरी तौर से घोषणा करें कि इस तारीख तक हम इसका इम्पलीमेन्टेशन करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक सीलिंग कानून का सवाल है उसके बारे में मैं एक स्टेटमेन्ट देने वाला हूं ।

सन् 68 के दिसम्बर तक जो जो इन्क्रोचमेन्ट हुए हैं उनको रेगुलेराइज करने की बात है आपने जो सुझाव दिया है वह 68 के बाद के बारे में है उसके लिए अभी कोई तय नहीं किया गया है ।

श्री दौलतराम सारण : काश्त ही जिसका पेशा हो ऐसे जो लैण्ड-लेस हैं उन्हीं के लिये रेगुलेराइज करने की बात है या सब के लिये है ?

श्री रामकिशोर व्यास : 68 के बाद के जो केसेज होंगे उसके बारे में फैसला कर दिया जाय । इसके अलावा कलेक्टर वाली जो बात कही है उसको एग्जामिन करके उसमें अमेण्डमेन्ट कर देते हैं प्रिन्सीपली मैं एग्री करता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जमीनों का अलोटमेन्ट जो एडवाईजरी कमेटी द्वारा होता है उसकी बैठकें और विधान सभा की बैठकें उन्हीं तारीखों में रखी जाती हैं अतः उन दिनों में हम लोग उपस्थित नहीं हो सकते इसलिये ऐसा तालमेल बिठाया जाय जिन दिनों असेम्बली की बैठकें न हों इसके बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है सेशन जिन दिनों में हो उन दिनों अलोटमेन्ट कमेटी की मिटिंग नहीं हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : विधायकों को अपने क्षेत्र में दो तीन तहसीलों में अलग अलग मिटिंगें होती हैं उनमें जाना पड़ता है इसके लिये राज्य सरकार किस तरह से इन्तजाम करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहरोड़ तहसील में जो जमीन हरिजनों को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिये रखी गई थी वन विभाग की तरफ से वह जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को हैण्ड ओवर नहीं की गई और वह जमीन हरिजनों को अलोट नहीं की गई है । इसके लिये जो कमेटी की मिटिंग हुई उसके अन्दर हम ध्यान में भी लाये थे । इस भूमि को दूसरे लोग हथियाना चाहते हैं हरिजनों को डिस्ट्रिब्यूट होने वाली नहीं है । इस तरह के अनेक उदाहरण मेरे पास हैं लेकिन गवर्नमेन्ट कोई बात सुनती ही नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट से वह जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट के पास आगई है तो वह अलोट की जायगी । इस तरह से फीगर्स मेरे पास नहीं हैं कि फलां फलां जगह की जमीन हमारे पास आगई है । मैंने जैसा कि निवेदन किया फोरेस्ट से जमीन हमारे पास आगई होगी तो वह जरूर अलोट की जायगी । मैं निवेदन कर दूं वह जमीन आ गई है और द्वारा इन्स्ट्रकशन इशु कर देंगे ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे आप समय बता दें ।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी शताब्दी वर्ष में भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर ने बड़ी निष्ठापूर्वक वहां के आदिवासियों

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

और हरिजनों को जमीन का आवंटन किया है जबकि इसी सिलसिले में श्री शंकरलाल जी ने यहां पर कहा है कि पिछले जो केसेज हैं उनको रिओपन आप करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृपा कर के पहले के केसेज को फिर से खोलने के लिये कलेक्टर को खारिज करने का अधिकार प्रदान दे दें। दूसरा निवेदन यह है कि जो भी फोरेस्ट से राजस्व में जमीन आ चुकी है उनका आज अलाटमेंट रूका हुआ है कृपा कर के ऊपर माल बिजोलिया का जो झगड़ा है उसके लिये आज्ञा दे दें और उसको भी अलाट कर दें। तीसरा निवेदन करना यह है कि आप किसी के पास 5 बीघा जमीन कुए की है तो उसको आप 15 बीघा जमीन मानते हैं। इस तरह से नहरी जमीन अलाट हुई है। क्या वहां पर भी एक बीघा जमीन के बजाय 3 बीघा वाली जमीन मानत हैं। यह भी आप कृपा करके खुलासा कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास: पहली जो बात है उसके लिये तो पहले ही अर्ज कर दिया है। दूसरे के लिये भी हम एग्री करते हैं और जल्दी कर देंगे। तीसरे नम्बर पर जो बात आपने कही है चाही जमीन के बारे में उसके लिये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता: नहरी जमीन के लिये आप क्या मानते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास: पहले से ही यह है कि 5 बीघा चाही और 15 बीघा बारानी तय किया हुआ है। इस वक्त क्या कह सकता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य: सभापति महोदय,

श्री सभापति: श्री आर्य आप पहले पूछ चुके हैं। आप एक बार में ही पूछ लीजिये और संक्षेप में ही पूछिये।

श्री रामचन्द्र आर्य: मैं यह पूछना चाहता हूं कि तहसील नोहर में गांव बन्देली के कई हरिजनों को यह गुरुदीपसिंह डिप्टी मिनिस्टर और उसकी पार्टी उजाड़ने पर तुली हुई हैं। उनके पास में पुरानी खेतिहर जमीन है और उन पर गलत मुकदमे इन्होंने चला रखे हैं। क्या तो नोहर में, क्या हनुमानगढ़ टाऊन में और क्या करनपुर में कहीं नाजायज रूप से हथियाने के तो हैं और कहीं पर और किसी प्रकार के मुकदमे चला रखे हैं और लगातार इन हरिजनों को परेशान कर रहे हैं। इन हरिजनों ने एक दरख्वास्त दी है कि किस प्रकार से राज्य मंत्रि-मण्डल का एक सदस्य और एक एक्स एम०एल०ए० जबरसिंह ये दोनों मिल कर इन हरिजनों को बर्बाद कर रहे हैं। आप इसकी इन्क्वायरी सही रुप से निष्पक्ष रुप से कराइये। मैं इन हरिजनों की दरख्वास्त सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता: सभापति महोदय मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो जमीन राजस्व में ट्रान्सफर हो गई है उनका एलाटमेंट कब शुरू किया जायेगा?

श्री रामकिशोर व्यास: ऑर्डर हो जायेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता: धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र आर्य: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या है?

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, यह प्रश्न मैंने भी उठाया है। 15 परिवारों का 18 वर्ष से कब्जा है।

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त इस के बारें में कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री रामाचन्द्र आर्य : इस तरह से राज्य सरकार का एक उप--मंत्री हरिजनों के साथ अत्याचार कर रहा है।

श्री सभापति : यह दरख्वास्त इधर दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : एप्लीकेशन पर कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री सभापति : रख लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलॉटमेंट रुल्स के बारे में एक जानकारी करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस भूमि आंदोलन में हिस्सा लिया था उनको आपने अलॉटमेंट के लिये इलीजिबिल नहीं माना था और बाद में लैंड रिफॉर्म्स कमेटी में सी० एम० ने यह घोषणा की थी कि वह क्लॉज वापिस ले ली जायेगी। तो क्या आपने इसको अमेण्ड कर दिया है। यह जानना चाहता हूं?

श्री रामकिशोर व्यास : यह प्रोसिडिंग्स में है। इस कमेटी की प्रोसिडिंग्स सी०एम० के पास एप्रूवल के लिये गई है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय श्री रामकिशन, सतीशचन्द्र अग्रवाल और दुर्गालाल बाढदार ने रखा है उसको स्वीकार कर लिया जाय जो पक्ष में हो वे हां कहे जो विपक्ष में हो वे ना कहें।

श्री सत्यसिंह : सभापति महोदय, नो किसी ने नहीं कहा है। इसलिये हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये। जो पक्ष में हो हां कहें। जो विपक्ष में हो ना कहें।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

राजस्व मंत्री।

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) वधेयक 1970 पर विचार

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति : यस। श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा नाम भी है।

श्री सभापति : आपका नाम संशोधन-कर्त्ताओं की सूची में नही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नयी लिस्ट में है।

श्री सभापति : इसे जनमत जानन हेतु परिचालित किया जाये सर्व श्री देवीद

(श्री सभापति।)

गाड़िया, मूलचंद डागा, रामानंद अग्रवाल... नाम तो है किन्तु प्राथमिकता में नहीं है।

श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी में यह जो राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को......

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह विधेयक आज पारित नहीं हो सकता है। कितने ही माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और कई सदस्य संशोधन के समर्थन में बोलना चाहते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था कराई जाये कि 5 बजे के बाद भी इसकी कार्यवाही हो या फिर दूसरे दिन इसको लिया जावे...

श्री रामकिशोर व्यास : जितनी भी देर हो हम बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप ज्यादा दिन भी सेशन चला सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : क्या कोई लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि इससे ज्यादा दिन नहीं चलायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें काफी टाइम दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : रात के बारह बजे तक।

श्री मनोहरसिंह मेहता : असेम्बली के समय से ज्यादा नहीं बैठेंगे।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, इसको कल पर रखा जाये।

श्री भैरोंसिंह : 5 बजे के बाद बैठना सम्भव नहीं है। एक दिन का समय और निश्चित किया जाय क्योंकि मामला बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण है और इसमें काफी बोलना है माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी भी इससे एग्री करेंगे। आज के अलावा किसी और दिन, या दूसरे दिन इसको केरी ऑन किया जाये। और फिर इसको पास जरूर कर देंगे।

श्री किशनलाल वर्मा : इसके लिये एक दिन और बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिये इसको प्रवर समिति को रेफर कर दिया जाय और 5-5 सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर दी जाये। अच्छा तो यही होगा मेरा निवेदन है।

श्री नत्थीसिंह : यह कोई जरूरी नहीं है। दूसरे माननीय सदस्य ततीय वाचन पर भी बोल सकते हैं और जब खण्डशः विचार होगा जब भी बोल सकते हैं। भूमि सुधारों का आप ढोल पीटते रहते हैं। यही मौका है जब इस सत्र में इस अवसर पर उनके इस ढोल की पोल खोली जा सकती है, इसलिये आप अगर यह चाहें कि दो लाइनों पर और कौमा फुलस्टॉप पर बोलें, यह नहीं हो सकता। कोई भी विधेयक आवे नीतियों पर बहस होनी चाहिये। कामा फुलस्टॉप ही पास

(श्री नत्थीसिंह)

करके चले जावें यह इस असेम्बली का स्कोप नहीं है। इसलिये नीतियों पर बहस करने के लिये खुलकर इस बारे में बोलने के लिये पुरा समय दिया जाना चाहिये। यह नीति सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सभापति : श्री गाडियाजी आप प्रारम्भ रखिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुछ निवेदन करना चाहता हूं...

में यह फैसला कर सकता हूं, अब, जैसी चर्चा है...

श्री सभापति : चर्चा तो यहां बहुत होती है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी इच्छा क्या है ? क्या कहना चाहते हं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न यह है सभापति महोदय, कि सुबह उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी स्थगन प्रस्तावों पर कि तीन बजे उनके बारे में सरकार जानकारी देगी। उस बारे में क्या हुआ ?

श्री सभापति : अब तो चार बज गये हैं।

यह व्यवस्या का सवाल तीन बजे खड़ा करते।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस वक्त कहना भूल गया, इसके लिये तो मैं क्षमा याचना करता हूं।

श्री सभापति : इसके आधार पर मैं कोई आपकी आपत्ति निरस्त नहीं कर रहा हूं। यह विश्वास रखिये।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। बाद में भी व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न खडा किया जा सकता है।

श्री सभापति : ठीक है, मैंने भी यही कहा है। सूचना एकत्रित की जा रही है। जब एकत्रित हो जावेगी, सदन को सूचित कर दिया जावेगा।

श्री रामकिशन : रामचन्द्रजी ने क्षमा याचना की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं तो हमेशा ही करता आया हूं। मैं मारने की धमकी नहीं देता हूं आलोचना करता हूं अवश्य और वह भी इसलिये कि यह निकम्मी सरकार निकम्मे काम करती है वह मुझ से बर्दाश्त नहीं होते। जनता के साथ गद्दारी देखी नहीं जाती। खून खौलता है।

श्री सभापति : यस। श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।" राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को आर्डिनेन्स जारी करने के बाद इस सदन में रखा है। इस सम्बन्ध में भूमि आवंटन के लिये जो भी आवंटन कमेटी बनी हुई है उसका चेयरमेन पहले तहसीलदार होता था और अब बड़े नाटकीय ढंग से उसके स्थान पर एस० डी० एम० को बनाने की बात कही जा रही है। इससे प्रकारान्तर से भूमि आवंटन के सारे अधिकार सरकार ने अपनी मुट्ठी में ले लिये हैं।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सरकार अगर यही करना चाहती थी तो यों कर सकती थी कि भाग "ख" के अन्दर शब्द "तहसीलदार" को विलोपित करा कर उसकी जगह शब्द "एस० डी०एम०" रख देती। अगर इतना कर देती यह सरकार तो इस सदन के माननीय सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई सन्देह नहीं होता।

लेकिन जिस तरह से यह संशोधन लाया जा रहा है, उससे लगता है कि राज्य सरकार के मन्त्रियों के दिलों में बदनीयती है।

इसको लागू करने के कारणों में यह कहा गया कि इस भूमि आवंटन में भारी घोटाले होते थे और तहसीलदार पर गम्भीर आरोप लगाये जाते थे और इससे इस काम में बाधाएं आती थीं उन बाधाओं को दूर करने के लिये तहसीलदार की जगह पर एस० डी० एम० को नियुक्त किया जा रहा है।

अगर वास्तव में यही बात होती और भूमिहीन की जो परिभाषा 54 में की गई थी उसके अनुसार आवंटन करने की ही सरकार की नीयत होती तो हम इसका स्वागत करते, पर सरकार की नीयत ऐसी नहीं है। आज भूमिहीनों के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने, कांग्रेसी नेताओं ने, मन्त्रियों ने, पूंजीपतियों ने बहुत बड़ा षड्यन्त्र आपस में रचकर राजस्थान के लाखों भूमिहीनों को दी जाने वाली भूमि को अपने कब्जे में कर लिया है उस सम्बन्ध में यदि राजस्थान सरकार आर्डिनेंस जारी करती और इन लोगों के अधिकार से इस भूमि को निकाल कर वास्तविक भूमिहीन किसानों को यह भूमि आवंटित करने की घोषणा करती तो हम सरकार का स्वागत करते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

आज तो हजारों लाखों की तादाद में ऐसे गरीब भूमिहीन किसान गरीब जन-जाति और अनुसूचित जाति के खेतिहर लोग बड़े बड़े इस प्रकार के षड्यन्त्र से बने जमींदारों और बड़े बड़े काश्तकारों के हाली बनकर अपनी जिन्दगी गुजर बसर कर रहे हैं। उनको आज तक भूमि दिये जाने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आपने इस सम्बन्ध में कोई आर्डिनेन्स निकालना उचित नहीं समझा? सीलिंग के बारे में भी आपकी स्पष्ट नीति नहीं है।

आज तक थोड़ी बहुत जो भूमि अनुसूचित जाति के लोगों में एवं जन जाति के लोगों में आवंटित की है उस पर भी बड़े बड़े पूंजीपतियों ने भूपतियों ने और राज्याधिकारियों और कांग्रेसी नेताओं ने षड्यन्त्र करके कब्जा कर लिया है और उन लोगों द्वारा पट्टे दिखाये जाने पर भी ए० डी० एम० के कोर्ट में जाकर वहां से स्टे लेकर और पुलिस को रिश्वतें दे कर उन पर से कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं।

राजस्व मन्त्री ने इस संकल्प पर जो बात बताई उसमें उन्होंने वहां के कलेक्टर के पास अपील करने के अधिकार की बात कही है। इस बारे में ए० डी० एम० की कोर्ट में क्या होता है इसके कुछ उदाहरण देकर राजस्व मन्त्री का ध्यान इसके पीछे छिपे षड्यन्त्र की ओर दिलाना चाहता हूं।

तहसील किशनगढ़, शाहाबाद और बारां के अन्दर एक दो उदाहरण नहीं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सैंकड़ों एसे उदाहरण हैं : आदिवासी सहरियों को जिस भूमि पर सरकार ने आवंटित करके कब्जा दिया, कब्जा ही नहीं दिया, पट्टा भी दिया, उस पर पंजाब और गंगानगर के रहने वाले कुछ सरदारों ने पैसे के बल पर जबरदस्ती कब्जा किया, विरोध करने पर बन्दूक दिखाकर चुप करा दिया और ए० डी० एम० की कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया आज भी इस तरह के मामले ए० डी० एम० को कोर्ट में सैंकड़ों की तादाद में तीन तीन सालों से पड़े हुए हैं। वास्तविक रूप में जिन आदिवासी सहरियों को वह भूमि मिली थी, पट्टे भी मिले थे, उन पर उनका कब्जा आज नहीं रह गया है और इस तरह से वास्तविक रूप में भूमिहीन सहरियों को भूमि नहीं मिल पाई।

फिर ए० डी० एम० की कोर्ट जुडिशियल कोर्ट भी नहीं, प्रशासनिक कोर्ट है। इसके अन्दर ये अपीलें नहीं सुनी जावें और इस पर जिन लोगों को पट्टा दिखाने के बाद भी केस रद्द करने की व्यवस्था नहीं की। चार चार साल से केस चल रहे हैं। इतना ही नहीं, किशनगंज में सीताबड़ी नामक स्थान है वहां एक कोआपरेटिव सोसायटी है सहरियों की। आवंटन कमेटी ने उसे अन्न उत्पादन हेतु जमीन आवंटित की 250 बीघा। आज उस पर तिकड़म से डरा धमका कर, पुलिस और अधिकारियों से मिलकर उनको रिश्वत देकर सरदार स्वर्णसिंह, रघुवीरसिंह ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। कोर्ट में जाते हैं तो वहां सुनवाई नहीं होती। ए० डी० एम० ने स्टे ग्रान्ट करके उनका कब्जा बहाल कर रखा है।

इसी तरह से एक खण्डसारी सहकारी संस्था है उसके केस का भी इन ए० डी० एम० की कोर्ट में सालों फैसला नहीं होता। इस तरह से आज इस इलाके में इन अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जो कुछ भी भूमि आवंटित हुई है उस पर इन ए० डी० एम० की कोर्ट में बरसों से केस चल रहे हैं, फैसला नहीं होता और पूंजीपति सरदार लोग गंगानगर और पंजाब के रहनेवाले लोग अपनी तिकड़मों, रिश्वत और भ्रष्टाचार के जोर पर इन पर बराबर कब्जा बनाये बैठे हैं। इनके पास पहले 25 हजार एकड़ भूमि है, पर इनकी तृष्णा नहीं मिटी। शाहबाद मध्यभारत की सीमा पर है। आदिवासियों के नाम पर उनकी आड़ लेकर कुछ इसी तरह के लोगों ने फरजी कार्यवाही करके काफी भूमि आवंटित करा ली। वहां के रहनेवाले सहरिया चिल्लाते रहे, पर उनको नहीं दी। फरजी पट्टे इन कोर्टों से बनवा लिये गये। पट्टों पर जोर देते हैं तो ये बन्दूक लेकर मारने को दौड़ते हैं और वे बिचारे पट्ट होते हुए भी अपनी ही जमीनों पर कब्जा नहीं कर पाते। ये कोर्ट निकम्मे होकर बैठे हुए हैं। वे काश्त करना चाहते है पट्टे दिखाकर पुलिस की मदद लेना चाहते हैं पर वे जमीन्दार जागीरदार पुंजीपति लोग पुलिस वालों को रिश्वतें खिलाकर कार्यवाही नहीं करने देते। आप चाहे उनको भूमि देना चाहते हों, पर वास्तव में उनको मिलती नहीं। यह कार्यवाही जब तक ए० डी० एम० की कोर्ट में अपील होगी, स्टे दिया जाता रहेगा तब तक उन गरीब भूमिहीन किसानों को, उन गरीब सहरियों को, गरीब चमारों को जमीन काश्त करने को नहीं मिल सकती है। मैं पूछना चाहता

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हूं आज जो कृषि सहकारी सोसायटी है जो फर्जी बनी हुई है आपने उसके लिये क्यों नहीं ऑर्डिनेन्स जारी किया। जो बड़े बड़े आदमियों ने भूमि पर कब्जा करने के लिये हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको ऑर्डिनेन्स लाकर समाप्त कर सकते थे। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार और राजस्थान की सरकार प्रगतिशीलता के आधार पर जिन राजाओं को प्रिवीपर्स के अधिकार दिये थे, आपने उन अधिकारों को छीन लिया। क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि भूमिहीन किसानों को जमीन जो आपने ग्रो मोर फूड के नाम पर जिन राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम पर, जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम पर दी है उनसे वापिस लें।

किशनगढ़ तहसील में राजस्थान का सब से बड़ा घोटाला एक बड़े पूंजीपति परसराम को 4,500 बीघा जमीन देकर की है। इसी प्रकार छबड़ा में केसरीसिंह राणावत को ढाई हजार बीघा भूमि आवंटित की है। इसी प्रकार साढ़े पांच हजार बीघा भूमि सुखाड़िया के रिश्तेदारों में आवंटित की है। आपने अन्य मंत्रियों को ग्रो मोर फूड के नाम पर जमीनें दी हैं। उन्होंने वास्तव में इन जमीनों पर खेती नहीं की और दूसरों को बेच दी— आप उनको आर्डिनेन्स जारी करके उनको क्यों नहीं रोकते। प्रिवीपर्स की तरह ऑर्डिनेन्स जारी करके उन जमीनों को आपने कब्जे में लेकर वास्तव में जो भूमिहीन हैं जिनको आप देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। न सरकार उस जमीन को वापिस लेना चाहती है और न उनके अलॉटमेन्ट को कैन्सिल कर रही है। आज जो आंकड़े राजस्व मंत्रीजी ने दिये हैं कि राजस्थान के अन्दर तीन लाख 25 हजार 294 बीघा भूमि वितरित की है और जो जमीन है वह 15 लाख दो हजार 497 है। यदि इन रेशों को देखें तो एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक चार एकड़ जमीन मुश्किल से आ पाती है और चार एकड़ वह जमीन भी कैसी जो बंजड़ है जो खेती के योग्य नहीं है। सब रद्दी किस्म की जमीन आवंटित हुई है वह सब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति में हुई है। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि आपके नियमों में है कि किसी भी राजकीय अधिकारी को या राजकीय कर्मचारी को अगर भूमि अलॉट करवानी है तो राज्य सरकार से स्वीकृति लें लेकिन किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी ने और राज्य सरकार के कर्मचारी ने स्वीकृति नहीं ली। बारां के तहसीलदार, श्री मोती लाल भारद्वाज और तत्कालीन तहसीलदार, श्री बद्री नारायण शर्मा और उस समय के कलेक्टर, श्री बी०पी० सूद इन सब लोगों ने मिलकर और एक षड़यन्त्र रचकर कोटा जिले में सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया अपने नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर आज जो मंत्री और उप-मंत्री बैठे हैं। यहां के एक उप-मंत्री जो दल बदल कर गये हैं उन्होंने तहसील में भूमि आवंटित करवा ली। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहता हूं इस इलाके

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में भयंकर घोटाले हैं जिसके अन्दर आज भी हजारों अपीलें ए० डी० एम० की कोर्ट में पड़ी हैं बेचारे गरीबों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को नहीं मिली है और जो स्टे के अन्दर दिये नहीं जा सकते हैं, आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। आप समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ए० डी० एम० महोदय को निर्देश नहीं दे सकते हैं कि जो स्टे दे रख हैं उनका दो तीन महीने में निर्णय कर दिया जाना जाहिये।

इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी को यह पूछना चाहता हूं कि आज जब अलॉटमेंट का एक नियम बना हुआ है कि जो गांव की भूमि आवंटित की जायगी वह उसी गांव के भूमिहीन किसान को जो खेती करना जानता है उसी को भूमि आवंटित की जायगी और यदि उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति न हो तो उस गांव के निकटवर्ती गांव में और जो वास्तव में भूमिहीन है उसको अलॉट की जायगी क्या आपने इसकी जांच करवाई–आपने इसकी जांच नहीं करवाई। इसी तरह तहसील किशनगढ, शाहवाद, बांरा, छीपा-बड़ौद आदि तहसीलों में अधिकतर जो बम्बई के रहने वाले सेठ हैं या पंजाब के रहने वाले सेठ हैं या गंगानगर के रहने वाले हैं और जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं चाहे वे जयपुर में बैठे हों, चाहे जोधपुर में बैठे हों और चाहे उदयपुर में बैठे हों अपने पद का दुरुपयोग करके तहसीलदार को आदेश देकर और कलक्टर से कह कर उस इलाके में भूमि आवंटित करवाली हैं। क्या आपने इसकी जांच करवाई ? आज तक आपने इसकी कोई जांच नहीं करवाई और हम जब आपको कहते हैं कि यह गलत आवंटित हुई है तो आप कहते हैं अपील करिये। अपील का रास्ता खुला है। वह गरीब आदमी अपील में कसे जा है जिसके पास कोई साधन नहीं है। और उसके ऊपर भी कलेक्टर आदेश जारी करेंगे तो मैंने स्वयं ने कलेक्टर बी० पी० सूद को पत्र लिखा फिर दूसरे कलक्टर आये उनको भी मैंने पत्र लिखा और बराबर पत्र-व्यवहार किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर तीसरे कलेक्टर श्री राज गोपालन आये उनको भी मैंने पत्र दिया उन्होंने कुछ कार्यवाही की लेकिन उस कार्यवाही को एस० डी० एम० ने दबा दिया। एस० डी० एम० जिसके अन्दर में पांच तहसीलें हैं उसका सारा काम एस० डी० एम० करेंगे, सारा प्रशासनिक कार्य एस० डी० एम० ही करेंगे। अब यदि उस इलाके में कोई घटना घटी तो उसके अन्दर दौड़ना भागना पड़ेगा और इस तरह अलॉटमेंट की कार्यवाही स्थगित हो जाती है मैंने यह बात पहले भी सदन में रखी थी कि अपनी मरजी के अनुसार तारीख निर्धारित कर देते हैं। चाहे एम० एल० ए० हों, चाहे प्रधान हों चाहे ग्राम पंचायत का सरपंच हो वह कभी उसकी सुविधानुसार तारीख निश्चित नहीं करते हैं। अपनी जो मरजी आई वही तारीख निश्चित कर देते हैं चाहे उस तारीख को प्रधान आये या नहीं आये, विधायक हाजिर हो या नहीं हो उसकी तहसीलदार को चिन्ता नहीं है इसलिए जो तारीख निश्चित की जाय उसको जन-प्रतिनिधि से पूछ कर किया जाना चाहिये। अपनी मरजी से एस० डी० एम० जारी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

करे यह ठीक नहीं है । इससे स्वस्थ अलौटमेंट नहीं हो सकता है । इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्रीजी ने अपना एक आदेश जारी कर रखा है कि जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, बांरा आदि बड़े बड़े नगरों की जैसे जयपुर की 12 मील का एरिया, जोधपुर का 12 मील का एरिया और उससे छोटे नगरों का 6 मील का एरिया और उससे भी जो छोटा नगर है उसमें तीन मील का एरिया में कोई भी भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है, कोई जमीन का कनवरशन नहीं हो सकता है। आज कितने लोगों ने 12 मील, 6 मील और तीन मील के एरिये में भूमि आवंटित करा रखी है । कितने लोगों ने अनुचित ढंग से जमीनों पर ट्रेसपास किया है। कितने ही लोगों ने ट्रेसपास करके अपने नाम से खाते बना लिये और आज उनका बेचान कर रहे हैं ।

आज 5-7 साल में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर जो बड़े बड़े शहर हैं कोटा, बांरा जिसकी सीमा निर्धारित की है । क्या आप यह उचित समझते हैं ? क्या राजस्थान की सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि इस प्रकार के जो आदेश जारी किये हैं उसके बाद जिन लोगों न अनुचित ढंग से चाहे अलौटमेंट के द्वारा और चाहे ट्रेसपासर के द्वारा चाहे अन्य तरीके के द्वारा सरकारी प्रभाव का दुरुपयोग करके जमीनें 12, 6 और तीन मील के एरिया में भूमि आवंटित करवाई है ट्रेस पासर द्वारा फर्जी कार्यवाही करके भूमि आवंटित करवाई गई हैं उसको केन्सिल करवा कर के उस पालिका के क्षेत्र को सुपुर्द किया जायगा । क्या आप इस प्रकार का ऑर्डीनेन्स नहीं ला सकते थे जिससे कि नगर की सीमाओं में जो जमीनों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आज गरीब लोगों को जमीन नहीं मिल सकती है और आज उन जमीनों की कीमत 5, 10 और 20 रुपये प्रति गज की हो गयी है उसका एकमात्र कारण यह है कि बड़े-बड़े मंत्रियों ने राजाओं न और राजकीय अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके शहर के आसपास की जमीन एग्रीकल्चर परपज के नाम पर आवंटित करवा ली और उनको बेचना शुरू कर दिया । जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है यहां के बारे में आप जांच करवायें तो प्रति दिन और हर महीने एग्रीकल्चरल लैण्ड बिकती जा रही है और उसमें बड़े-बड़े भवन खड़े होते दिखाई दे रहे हैं लेकिन राज्य सरकार इस संबंध में अध्यादेश जारी करने की हिम्मत नहीं रखती और ऐसा अध्यादेश जारी करना चाहती है जिससे कि सरकार के पास अधिक से अधिक अधिकार आ जायें और सदन के ऊपर इनको विश्वास नहीं । विधान सभा बुलाई जाने वाली थी फिर भी राज्य सरकार उचित नहीं समझती थी कि इसका इन्तजार किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जितनी भी धार्मिक मन्दिरों की जमीन हैं क्या आपने उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्यवाही की ? जो मन्दिरों की पूजा करने वाला पुजारी था उसने पटवारी और कानूनगो और तहसीलदार से मिलकर मन्दिर की जमीन को अपने खाते में इन्दराज करवाली और अधिकार ले लिये और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उस जमीन को उन्होंने बेच दिया। इसी प्रकार से मन्दिर की जो कृषि की भूमि थी वह दूसरे लोगों के द्वारा तहसीलदार से फर्जी कार्यवाही कराके अपने द्वारा बेच देने के कारण आज मन्दिर के पास कोई सम्पत्ति नहीं रही। मन्दिरों की कोई पूजा भी करेगा इसमें भी सन्देह है। क्या आपने कोई कठोर कदम उठाया कि मन्दिर की जमीन मन्दिर के कब्जे में रहे और पुजारी के नाम से नहीं रहे। क्या आपने कभी इसके लिए मन्दिर की जमीन को वापिस दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की? क्या आपने कानून बनाया कि जिससे कि जमीन इन मन्दिरों की सुरक्षित रहे-लेकिन आपने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज सभी लोग राजनैतिक आधार पर सरक्षा पा रहे हैं। प्रतापगढ़ के अन्दर मन्दिर है उस मन्दिर का वास्तविक उत्तराधिकारी है उसकी देवस्थान से अपील होने के बाद भी न जमीन का कब्जा होने दिया और राजनैतिक आधार पर इस सदन के अन्दर बैठने वाले माननीय मंत्री जी ने देवस्थान के उप-मंत्री को अपील करवा कर आज तक उस केस को रोक रखा है और इस प्रकार न तो वह मन्दिर का वास्तविक उत्तराधिकारी मन्दिर की पूजा ही कर सकता है और न काश्त ही कर सकता है। जिनकी एप्रोच राजनैतिक नेताओं और मंत्रियों तक है राजस्व मंत्री के पास अपील की जाती है और उप-मंत्री जी साथ-साथ स्टे देते हैं और गरीब आदमियों की ओर देखते नहीं हैं। जो जयपुर आकर सुनवाई करा सके या वकील कर सके। उस इलाके में आज भूमिहीन किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई आदमियों को कब्जा नहीं दिया जिसके फलस्वरूप झगड़े होते हैं और पुलिस में जाते हैं और पुलिस में सुनवाई नहीं होती। मैं आपको सभापति महोदय, एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार होते हैं। आप कहते हैं कि आप राजस्व अधिकारी के पास अपील करायें और उसकी सुनवाई होगी।

सीकर जिले का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डालूराम नाम का व्यक्ति है जो दांता रामगढ़ का रहने वाला है। उसने जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद वह उस पर 12 साल तक काबिज था लेकिन उस गांव के कुछ बड़े व्यक्तियों ने जो कि जागीरदार लोग थे, 29 व्यक्तियों ने उस भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। उसकी अपीलेट अधिकारी के पास अपील की और राजस्व अपीलेट अधिकारी, श्री विशम्बरसिंह ने स्टे आर्डर दिया और वह स्टे ऑर्डर लेकर एस० डी० एम० के पास गया, एस० डी० एम० ने उस स्टे ऑर्डर को लेकर तहसीलदार को आज्ञा दी कि इसकी तामील कराई जाये। तहसीलदार ने पटवारी को आदेश दिये और पटवारी ने 29 व्यक्तियों को कहा कि इस प्रकार से इस भूमि पर स्टे ऑर्डर मिला है और इस पर वह खेती न करें। लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हम तो खेती करेंगे और हम स्टे ऑर्डर की परवाह नहीं करते। इस बात की रिपोर्ट पटवारी ने तहसीलदार को की और तहसीलदार ने एस० डी० एम० को कर दी और जो डालूराम है उसने एस० पी० को कहा और एस० पी० ने डी० एस० पी० को लिखा।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

डी० एस० पी० ने उसको डांट कर भगा दिया। आज वह गरीब व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति का है और जिसके दस परिवार के सदस्य हैं और जिसके पास 62 बीघा जमीन का पट्टा है, रजिस्ट्री है, सब कागजात मेरे पास हैं—मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर इस बात पर ध्यान नहीं देता, एस० डी० एम० ध्यान नहीं देता, एस० पी० ध्यान नहीं देता और पुलिस का थानेदार उसको डांटकर बाहर निकाल दे तो इस तरह से उसको किस प्रकार से जमीन मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट ही और लूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गरीब आदमियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इस प्रकार से अलॉटमेन्ट कमेटी का चेयरमैन एस० डी० एम० को बनाकर आप चाहते हैं कि अलाटमेन्ट के अन्दर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, धांधली चल रही है वह रुक जायेगी मेरी ऐसी मान्यता है कि इसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है। जब तहसीलदार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो एस० डी० एम० तो और भी ज्यादा लिप्त होगा। इसलिए व्यवस्था इस ढंग से की जानी चाहिए कि अलॉटमेन्ट कमेटी के अन्दर ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जब तक उस इलाके का प्रधान, उस इलाके का विधायक और सरपंच उपस्थित नहीं हो तब तक अलॉटमेन्ट नहीं होना चाहिए। तहसीलदार अलॉटमेन्ट कर देता है और सरपंच, प्रधान और विधायक के हस्ताक्षर नहीं होते हैं लेकिन पट्टा जारी कर दिया जाता है—ऐसी धांधली जब तक रहेगी तब तक चाहे आप एस० डी० एम० को अधिकार दें या किसी को भी दें समस्या का हल होने वाला नहीं है। एस० डी० एम० जिसके पास 5 तहसीलों का प्रशासनिक अधिकार होता है और राज्य सरकार उसको समय समय पर कई प्रकार के आदेश भी दे देती है जैसे फेमिन का काम है जिसमें घास इकट्ठा करना, जैसे ला एण्ड आॅर्डर को मेन्टेन करने के लिए उसको सब जगह जाना पड़ता है—तो वह समय पर जाकर अलॉटमेन्ट नहीं करा सकेगा।

मैं अंत में कहूंगा कि नाथद्वारा जो कि एक बहुत बड़ा मन्दिर है किशनगंज तहसील में चण्डालिया ग्राम में वहां पर हजारों बीघा जमीन के ऊपर कब्जा किस ने किया और किस प्रकार अन्न उत्पादन के नाम पर सरकार ने अलॉटमेन्ट किया और वह भी किसी गरीब आदमी को नहीं किया अलॉटमेन्ट, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि मोती राम चौधरी को 150 बीघा जमीन अलॉट की, इसी प्रकार से मोती रामजी चौधरी को नाथद्वारा की जमीन जो कि किशनगंज तहसील के चण्डालिया ग्राम में थी और इसी मोतीराम चौधरी के अलावा श्री कुम्भारामजी आर्य के दामाद को अलॉट की, इसी तरह से भीखाराम चौधरी जो कि मोतीराम चौधरी के भाई हैं उनको की, श्री रामपालसिंह नागौर का रहने वाला है, महावीर प्रसाद जैन जो कि जयपुर का रहने वाला महाजन है- इनको 1,500 बीघा जमीन जो कि नाथद्वारा मन्दिर की जमीन थी उसको राजस्थान की सरकार ने किस प्रकार से अन्न उत्पादन के नाम पर आवंटित कर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दी और आज भी यह पांचों व्यक्ति जमीन पर काश्त नहीं कर रहे हैं और इस जमीन के ऊपर जो बड़े बड़े सरदार हैं स्वर्ण सिंह, रघुवीर सिंह का उस पर कब्जा है। आज इस प्रकार से बड़े-बड़े आदमी जो कि नागौर के रहने वाले हैं, शाहबाद तहसील में उनको भूमि दे दी जाये, इसी प्रकार से अलॉटमेन्ट होते रहे तो मेरी मान्यता है कि कोटा जिले के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को 40 हजार बीघा भूमि आवंटित हुई लेकिन अधिकांश लोगों को कब्जा नहीं दिया गया, उनको पट्टे नहीं दिये गये।

अंत में मैं सही कहना चाहूंगा कि मैंने यह जो प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये क्योंकि उप-जिलाधीश को आप रूल्स के अन्दर जो अधिकार दे रहे हैं उससे अलॉटमेन्ट के अन्दर पवित्रता बनी रहे, जो भूमिहीन हैं उनको जमीन मिल जाये और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं उनको जमीन मिल जाये यह असम्भव है। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह, श्री हरजीराम बुरड़क !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा : मूलचन्द डागा।

श्री सभापति : मेरी मर्जी है चाहे जिस को पुकारूं।

श्री रामचन्द्र आर्य

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सभी का यह तकिया-कलाम हो गया है कि भूमि-सुधार होना चाहिए और सभी पार्टियां····

श्री सभापति : कृपया जरा स्थान ग्रहण करिये।

यह सूचना सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन में दी थी कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मेरे पास भी कुछ पत्र इस आशय के आये हैं और मेम्बर चाहते हैं कि इस पर डिबट का और समय दिया जाय····

श्री मनोहरसिंह मेहता और कई माननीय सदस्य : बिल्कुल साहब।

श्री सभापति : और सरकार आज ही क्या इसको पास कराना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास: मैं यह निवेदन करूंगा कि दिन भर तो हो गया है इस पर बहस होते हुए इसलिए यह आज ही पास हो जाय।

श्री सभापति: बड़ी दुविधा पूर्ण स्थिति है। यह महत्वपूर्ण विधेयक है यह बात सही है, लेकिन ऐसा है कि कुछ थोड़ासा गवर्नमेन्ट एकोमोडेट करके समय निकाल ले। यह इम्पार्टेन्ट बिल है और काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, और विरोधी दल····

श्री मनोहरसिंह मेहता : बड़ी कृपा होगी आपकी यदि दे देंगे समय तो ।

श्री समापति : ''''''की तरफ से इस बात की डिमाण्ड आती है तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह विपक्ष की इस मांग को स्वीकार कर लेगी और इस बात का आग्रह नहीं करेगी कि इस विधेयक को आज ही पारित किया जाय ।

मैं समझता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्य, एक छोटा सा विधेयक और है—इस विधेयक पर में डिबेट को डेफर कर देता हूं—उसमें केवल वाइस प्रेसीडेन्ट खादी बोर्ड को प्रेसीडेन्ट के पावर्स प्रेसाइड करने के दिये हैं, उसको इस समय में निपटा देते हैं । विरोधी दल की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर डिबेट केरी ओवर कल करते हैं। इसलिए इसको आप मान लें ।

(विराम)

तो श्री मूलचन्द डागा जब कल इस बिल पर वाद-विवाद प्रारम्भ होगा तो अपना भाषण प्रारम्भ रखेंगे । इसलिए मैंने उनका राइट रख दिया है । आइ डोन्ट एक्सपेक्ट एनी थैंक्स फ्राम यू । (राजस्व मंत्री से) इस पर जो वाद-विवाद है उसको कल ही रखेंगे या आगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : आज नहीं रखते हैं तो कल ही लेंगे ।

श्री सभापति : कल सुबह प्रारम्भ म राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 लिया जायगा तो सबसे पहले भाषण श्री मूलचन्द डागा का प्रारम्भ होगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, तो इस पर संशोधन वगैरा दे सकते हैं आज ?

श्री सभापति : यह नियमों की बात है । मैं इस पर व्यवस्था नहीं दे सकता हूं । आप संशोधन दे दें अगर नियमों में आयेंगे तो ले लिये जायेंगे । वैसे अगर माननीय सदस्य क्लाज वाइज एमेंडमेंट्स देना चाहें तो दे सकते हैं । आसन बड़ी उदारता पूर्वक उनको स्वीकार कर लेता है । कल बहस हो ही रही है आप बोल लें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दे सकते हैं या नहीं ?

श्री सभापति : जब आपकी भावनाओं का आदर करके डिबेट केरी ओवर कर दी है तो आप दे दीजिये । आप पहले से ही फायदा क्यों लेते हैं ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970

श्री सभापति : राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 । मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं और रामकिशनजी का विशेष रूप से सहयोग चाहता हूं ताकि इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाय । कोई विशेष बात आप कहना चाहें तो बात दूसरी है । इसमें कोई विशेष बात नहीं है तो संकल्प प्रस्तुत नहीं करें । वैसे विधेयक विचारार्थ सामने आयेगा ही ।

श्री रामकिशन : जैसा आप उचित समझें करें ।

Page No. 129

श्री सभापति : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा जाय ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4·4 बजे दिनांक 11 नवम्बर, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सिधमुख नहर

82. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिधमुख नहर की प्राथमिक सर्वे कब की गई थी? उस सर्वे के अनुसार कितना रकबा सिंचाई योग्य था?

(2) इस नहर के लिये भूतपूर्व पंजाब सरकार से कितना पानी स्वीकृत हो चुका था और कब?

(3) इस नहर की अनुमानित लागत क्या है? क्या यह सही है कि गत वर्षों में इस नहर का क्षेत्र अकालग्रस्त रहा है?

(4) अब तक इस नहर का काम न करवाने के क्या कारण हैं।

(5) क्या राज्य सरकार को पता है कि उस नहर क्षेत्र के प्रायः गांवों का पानी खारा है और भूमि उपजाऊ है तथा पीने के पानी की एवं अकाल के स्थायी हल के लिये इस योजना का बहुत महत्व है?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चूरू जिले की किसान संघर्ष समिति को इस नहर के संबंध में कार्यवाही करने का लिखित आश्वासन दिया है? उस आश्वासन के बाद इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) इस कार्य का प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 1956-57 में किया गया था। इस सर्वे के अनुसार इस योजना से 1.50 लाख एकड़ रकबा सिंचाई योग्य था।

(2) सन् 1966 में 700 क्यूसेक्स पानी सिधमुख नहर में लेना हुआ था।

(क) अभी तक पूरा तखमीना नहीं गया है।

(ख) जी हां।

(4) 1966 में पंजाब राज्य का पंजाब तथा हरियाणा में विभाजन हो गया तथा पंजाब व हरियाणा सरकार इसे कार्यान्वित करने में उत्सुक नहीं है।

(5) जी हां।

(6) ऐसा कोई आश्वासन देना जाहिर नहीं होता। पर राज्य सरकार इसके लिए भारत सरकार से लिखा पढ़ी कर रही है।

सेकेण्डरी स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तन

83. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वर्ष 70 में कितने स्कूलों को सेकेण्डरी स्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूलों में परिवर्तित किया गया है व कहां कहां? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि झालरापाटन (जिला झालावाड़) में छात्रों की

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

काफी तादाद व भवन की व्यवस्था होने के बावजूद भी सेकेण्डरी स्कूल को हायर सेकेण्डरी नहीं बनाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि टोडाभीम व महुआ, जिला सवाईमाधोपुर के सेकेण्डरी स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नत किया गया जब कि पास ही पावटा में पहले से ही हायर सेकेण्डरी स्कूल मौजूद था ? इन तीनों का फासला कितना कितना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 70 में 65 विद्यालयों को हायर सेकेण्डरी में क्रमोन्नत किया गया । सूची संलग्न है ।

(2) जिला झालावाड़ में संस्थाओं की इस प्रकार की मांगों पर गुणावगुण के आधार पर वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए केवल एक संस्था को ही क्रमोन्नत किया जा सका ।

(3) जी हां । हायर सेकेण्डरी स्कूल पावटा से टोडाभीम की दूरी 13 किलो मीटर तथा महुवा की दूरी 10 किलो मीटर है । हायर सेकण्डरी स्कूल टोडाभीम से हायर सेकेण्डरी स्कूल महुवा की दूरी 23 किलो मीटर है ।

List of Govt. Secondary School Up-Graded to Higher Secondary Schools During 1970-71.

1.	Govt.	Higher	Secondary	School,	Sarwar (Ajmer)
2.	,,	,,	,,	,,	Tijara (Alwar)
3.	,,	,,	,,	,,	Laxmangarh (Alwar)
4.	,,	,,	,,	,,	Bayana (Bharatpur)
5.	,,	,,	,,	,,	Nadbai (Bharatpur)
6.	,,	,,	,,	,,	Bhusawar (Bharatpur)
7.	,,	,,	,,	,,	Kaman (Bharatpur)
8.	,,	,,	,,	,,	Nagar (Bharatpur)
9.	,,	,,	,,	,,	Bandikui (Jaipur)
10.	,,	,,	,,	,,	Kishangarh Renwal (Jaipur)
11.	,,	,,	,,	,,	Chomu (Jaipur)
12.	Govt.	Higher	Secondary	School,	Shahpura (Jaipur)
13.	,,	,,	,,	,,	Bissau (Jhunjhunu)
14.	,,	,,	,,	,,	Udaipurwati (Jhunjhunu)
15.	,,	,,	,,	,,	Shri Madhopur (Sikar)
16.	,,	,,	,,	,,	Danta (Sikar)
17.	,,	,,	,,	,,	Danta Ramgarh (Sikar)
18.	,,	,,	,,	,,	Hindaun (S. Madhopur)
19.	,,	,,	,,	,,	Mahuwa (S. Madhopur)

(शिक्षा मन्त्री)

20. Govt. Higher Secondary School. Todaraisingh (Tonk)
21. ,, ,, ,, ,, Toda Bhim (S. Madhopur)
22. ,, ,, ,, ,, Uniara (Tonk)
23. ,, ,, ,, ,, Niwai (Tonk)
24. ,, Girls ,, ,, Tonk (Tonk)
25. Govt. Higher Secondary School, Deshnok (Bikaner)
26. ,, ,, ,, ,, Sri Dungargarh (Churu)
27. ,, ,, ,, ,, Taragarh (Churu)
28. ,, ,, ,, ,, Nohar (Ganganagar)
29. ,, ,, ,, ,, Bhadra (Ganganagar)
30. ,, ,, ,, ,, Balotra (Barmer)
31. ,, ,, ,, ,, Siwana (Barmer)
32. ,, ,, ,, ,, Piparcity (Jodhpur)
33. ,, ,, ,, ,, Bilara (Jodhpur)
34. ,, ,, ,, ,, Baleshwar (Jodhpur)
35. ,, ,, ,, ,, Kuchaman City (Nagaur)
36. ,, ,, ,, ,, Parbatsar City (Nagaur)
37. ,, ,, ,, ,, Makrana (Nagaur)
38. ,, ,, ,, ,, Jaswantgarh (Nagaur)
39. ,, ,, ,, ,, Merta City (Nagaur)
40. ,, ,, ,, ,, Nawa (Nagaur)
41. ,, ,, ,, ,, Bali (Pali)
42. ,, ,, ,, ,, Sadri (Pali)
43. ,, ,, ,, ,, Mount Abu (Sirohi)
44. ,, ,, ,, ,, Sangod (Kota)
45. ,, ,, ,, ,, Lakheri (Bundi)
46. ,, ,, ,, ,, Bhawanimandi (Jhalawar)
47. ,, ,, ,, ,, Kushalgarh (Banswara)
48. ,, ,, ,, ,, Garhi (Banswara)
49. ,, ,, ,, ,, Jhahajpur (Bhilwara)
50. ,, ,, ,, ,, Bandra (Bhilwara)
51. ,, ,, ,, ,, Raipur (Bhilwara)
52. ,, ,, ,, ,, Mandalgarh (Bhilwara)
53. ,, ,, ,, ,, Sagwara (Dungarpur)
54. ,, ,, ,, ,, Simalwara (Dungarpur)
55. ,, ,, ,, ,, Kapasin (Chittorgarh)

(शिक्षा मन्त्री)

56.	,,	,,	,,	,,	Badi Sadri (Chittorgarh)
57.	,,	,,	,,	,,	Begun (Chittorgarh)
58.	,,	,,	,,	,,	Bhinder (Udaipur)
59.	,,	,,	,,	,,	Salumber (Udaipur)
60.	,,	,,	,,	,,	Deogarh (Udaipur)
61.	,,	,,	,,	,,	Rikhabdeo (Udaipur)
62.	,,	,,	,,	,,	Rajnagar (Rajsamand-Udaipur)
63.	,,	,,	,,	,,	Bhim (Udaipur)
64.	,,	,,	,,	,,	Fatehnagar (Udaipur)
65.	,,	,,	,,	,,	Kankroli (Udaipur)

मकराना में रेलवे लाइन पर पुल

84. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना नगर में रेल की लाईन नगर के बीचों बीच गुजरती है ?

(2) क्या यह सही है कि एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए केवल मात्र रेलवे स्टेशन पर से ही रास्ता गुजरता है ?

(3) क्या यह सही है कि मजदूरों को रेलवे लाईन पार करने के लिए भारी असुविधा होती है और रेलवे अधिकारी बहुत सी दफा उन मजदूरों को बिना प्लेट फार्म के जाने वालों को पकड़ भी लेते हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार जल्द से जल्द यहां पुल बनवाने की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । इस प्रकार की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) यहां पुल बनाने के सम्बन्ध में यातायात, रेलों का आवागमन, पुल की लागत आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार जानकारी प्राप्त कर रही है ।

सरपंच नगर पंचायत समिति, देवली के विरुद्ध मामला

85. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रतन लाल, सरपंच, नगर पंचायत समिति, देवली, जिला टोंक, पर आई० सी० सी० की धारा 342, 147, 395 और 149 के अन्तर्गत

(श्री दिग्विजयसिंह)

मुकदमा टोंक मुन्सिफ कोर्ट में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अभी तक इस विषय की जानकारी नहीं की गई है और न ही उक्त अभियोगी को चार्जशीट किया गया है, ताकि उक्त सरपंच के विरुद्ध धारा 17 (4) (क) के अधीन कार्यवाही की जा सके ?

(3) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष 1967 में यह आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में जिलाधीश टोंक से जानकारी की गई है और इसके आने पर पंचायत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या अभी तक यह जानकारी जिलाधीश टोंक से प्राप्त नहीं हो सकी है ?

उत्तर

(1) जी हां । प्राइवेट इस्तगासा 17-12-66 को पेश किया गया । इसके पश्चात् पुलिस द्वारा भी मुकद्दमा दर्ज करवाया गया ।

(2) जी नहीं । इस मामले म जानकारी करली गई है । न्यायालय में कमीटल कार्यवाही में आवश्यक स्वीकृति के अभाव में श्री रतनलाल को रिहा कर दिया है । अतएव आरोप-पत्र देने व निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जानकारी कर ली गई और जिलाधीश में सूचना दी थी कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट टोंक के यहां धारा 208 सी आर० पी० सी० म कमीटल कार्यवाही चल रही है और अभियुक्त के विरुद्ध फर्द चार्ज मुरतिब नहीं की गई । मामले की नियमित ट्रायल शुरू न होने से श्री रतनलाल के निलम्बन के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सका ।

(4) जानकारी प्राप्त की जा चुकी है।

लसाड़िया नाला

86. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) लसाड़िया नाला के पानी के डिस्चार्ज की क्षमता क्या है ?

(2) राजस्थान सरकार ने लसाड़िया नाले का कितना पानी लेना स्वीकार किया है, कुल कितना पानी लिया जा सकता था ?

(3) लसाड़िया नाले का राजस्थान सरकार ने पानी लेने से इन्कार किन किन कारणों से किया ?

उत्तर

(1) यह अभी निर्धारित नहीं हुई है।

(2) (अ) 1000 क्यूसेक्स ।

(ब) 1000 क्यूसेक्स ही लिया जा सकता था ।

(3) घग्घर से राजस्थान के क्षेत्र में अधिक पानी आने के कारण हर साल नाली क्षेत्र में असुविधा व हानि होती है, इसलिए लिसारा का और अधिक पानी नहीं लिया जा सकता था ।

जहाजपुर जाने वाली बसें

87. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि महुआ गांव मांडलगढ़ क्षेत्र के व्यापारिक केन्द्रों में से एक है ?

(2) यदि यह सही है तो जहाजपुर से मांडलगढ होकर भीलवाड़ा जाने आने वाली बसें वाया महुआ होकर क्यों नहीं आती जाती हैं ?

(3) क्या जल्दी ऐसी व्यवस्था हो जायेगी कि जहाजपुर आने जाने वाली बसें मानपुरा से महुआ होती हुई धामनिया होकर जहाजपुर आयें जायें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भीलवाड़ा से जहाजपुर वाया बिगोद के मार्ग पर चलने वाली बसों के परमिटों में महुआ ग्राम अंकित नहीं होने से बसें नहीं जाती हैं। अब इस ग्राम को इन परमिटों में अंकित करने की कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर के विचाराधीन है और शीघ्र ही कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

(3) जी हां, यह कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा की जावेगी।

ग्रामों में दी गई बिजली

88. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) 2 नवम्बर, 1970 तक राज्य के कुल कितने ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है ? जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे ग्रामों को भी बिजली दी गई है जहां पर कि किसी भी कृषि उपभोक्ता से बिजली नहीं ली है ? ऐसे ग्रामों की संख्या जिलेवार बतलाई जावे ?

(3) जिन ग्रामों में बिजली का एक भी कनेक्शन नही हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा बिजली बोर्ड को इससे कुल कितना नुक्सान हुआ है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार करीब 2721 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कुछ गांव ऐसे है। सूचना एकत्र की जा रही है।

(3) विद्युतीकरण कुछ मूल आधारों पर किया जाता है और विद्युतिकरण करने के बाद यदि वहां के लोग कनेक्शन नहीं लें तो इसमें किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ग्राम वार खर्चे का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता। अतः नुक्सान आंकना कठिन है।

Statement showing the District-wise Number of Localities Electrified at the end of October, 1970.

S.No.	Name of the District	Number of villages electrified
1.	Ajmer	123
2.	Alwar	175
3.	Banswara	57
4.	Barmer	30
5.	Bharatpur	113
6.	Bhilwara	112
7.	Bikaner	61
8.	Bundi	45
9.	Chittorgarh	126
10.	Churu	104
11.	Dungarpur	42
12.	Jaipur	395
13.	Jaisalmer	3
14.	Jhunjhunu	142
15.	Jalore	55
16.	Jhalawar	132
17.	Jodhpur	91
18.	Kota	115
19.	Nagaur	111
20.	Pali	118
21.	Sawaimadhopur	94
22.	Sikar	97
23.	Sirohi	45
24.	Sri Ganganagar	110
25.	Tonk	74
26.	Udaipur	151
	Total ..	2721

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/S. 9/F. 4/G.62/D. 1712 *Jaipur, 25th Sept., 70.*

ORDER

The necessity for increasing the tempo rural electrification programme having arisen due to the pressing demand for power for productive activities the position as regards the procedure and rules for sanctioning rural electrification works has been reviewed and as a result thereof the following powers to accord administrative and financial sanction are delegated to the officers of the Board subject to the funds being made available for the purpose. The scheme includes energising of wells and electrification of rural localities, particularly of enroute villages:

Superintending Engineer :	Rs. 1 lakh for each Rural Electrification Scheme.
Executive Engineer :	Rs. 30,000/- for each Rural Electrification Scheme.

Provided that :

1. The technical feasibility and financial viability of the scheme is thoroughly examined in the manner prescribed in Chief Engineer's circular letter No. 7(64) Gen-ii/PA/CR/9/B.47-414, dated 28-4-64.

2. The scheme is prepared taking into consideration consumers of more than one locality but the locality in which the HT extension, if any, is proposed in the scheme should bear the recommendation of the District Agricultural Production Committee. Only such localities will be treated as sanctioned localities for purpose of priority register.

3. A map to scale of 4"=1 mile showing the proposed 11 KV line, location of proposed transformer LT line and location of wells is attached to the estimate and report.

4. The scheme report should have regulation charts, one for HT line which should take into account the regulation from the nearest 33/11 KV sub-station to the particular location of the proposed transformer and the second for LT line which will take into consideration the regulation from the proposed distribution transformer to the last well in the lengthiest and most heavily loaded line. In other words the regulation chart should depict the minimum voltage obtaining under the maximum loading condition. The voltage available at the 33/11 KV

sub-station may be assumed as 11 KV (which voltage it should be possible to maintain by suitable selection of off load taps on transformers).

5. The scheme is financially justified to fetch a gross return of 10% in the first year and 15% at the end of the 3rd year. This revenue forecast should be carefully examined and recorded with particulars of consumers taking connections during the first year of sanction of the scheme. To ensure the revenue return the service connection and other charges as per existing rules should be recovered before taking up the work for execution.

6. That the electrification programme of such schemes will be prepared by tapping/extending the existing 11 KV lines only.

(R. MOOKERJEE)
Secretary.

अलवर में सिंचाई कार्य के लिये दिये गये ठेके

89. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग, अलवर ने सिंचाई कार्य जो एक लाख रुपये के होते हैं उनका 10-10 हजार के टुकड़ों में ठेका क्यों दिया गया है? एक साथ ही टेन्डर द्वारा ठेका क्यों नहीं दिया जाता ?

(2) क्या बाढ से टूटे बांधों का कार्य जिन ठेकेदारों को दिया गया था उन्होंने उसे पूरा कर दिया है ? यदि नहीं किया गया है तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या इन अधूरे कार्यों को दूसरे ठेकेदारों को ठेके पर दिया गया है ? यदि हां, तो किस रेट पर दिया गया ? क्या दोनों ठेकों के अन्तर को दोषी ठेकेदारों से वसूल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गुड़गांव नहर को छोड़कर एक लाख के काम के दस हजार के कोई ठेके नहीं दिये गये।

(2) एक ठेकेदार के अलावा सबने काम पूरा कर दिया है।

(3) हंस सरोवर बांध के सिर्फ एक काम के लिये ठेका दूसरे ठेकेदार को दिया गया। पहले ठेकेदार का टेन्डर 6.90% ऊपर था और दूसरे का 60% ऊपर था। पहले ठेकेदार से टेन्डर का अन्तर वसूल करने के लिये कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और इस बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है।

परीक्षकों एवं टेबुलेटर्स की नियुक्ति

90. **श्री दुर्गालाल बाड़दार** (हवा महल, जयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) एस० टी० सी० परीक्षा के लिए

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

परीक्षकों व टेबूलेटर्स की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ? क्या कोई पैनल बना हुआ है ?

(2) एक बार परीक्षक या टेबुलेटर नियुक्त करने के बाद कितने वर्ष तक लगातार परीक्षक या टेबुलेटर रखा जाता है ? निश्चित अवधि के बीच में किन कारणों से इस लाभ से वंचित किया जाता है ?

(3) सत्र 1965-66की एस० टी० सी० परीक्षा के लिए कौन-कौन परीक्षक या टेबुलेटर नये नियुक्त किए गए थे और उन में से कितनों को किन कारणों से 1966-67 की परीक्षा म परीक्षक या टेबुलेटर नियुक्त नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) एस० टी० सी० सहित समस्त परीक्षाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर विषयवार पैनल तैयार किया जाता है एवं विषय के पाठन अनुभव के आधार पर परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है ।

पैनल तैयार करने के मानदंड समय समय पर विभाग द्वारा लिये गये वे निर्णय होते हैं जिन्हें विभाग स्वीकृति देता है ।

(2) साधारणतया ऐसे परीक्षकों को तीन वर्ष तक रखा जा सकता है, यदि उनका काम सन्तोश्जनक हो ।

छात्रों की संख्या के घटने बढ़ने के आधार पर परीक्षकों एवं टेबुलेटरों की संख्या को घटाना बढाना पड़ता है । सारणीयक का काम परीक्षा को देखते हुए अत्यन्त विश्वसनीय व्यक्तियों को दिया जाता है ।

(3) राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर में प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की संगोष्ठी में परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में नये मानदंड निर्धारित किए गये जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों	30 प्रतिशत
शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के अनुदेशक	40 प्रतिशत
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपनिदेशक/विद्यालय निरीक्षक/आचार्य/शोध अधिकारी एवं तत्समान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के व्याख्याता	25%
वरिष्ठ अध्यापक (उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से) जिन्हें एस०टी०सी० कक्षाऐं पढ़ाने का 3 वर्ष का अनुभव हो	5%

इसी कारण नये पैनल तैयार किये जाकर उसी आधार पर नये परीक्षक नियुक्त किये गये व जो इन मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आ सके उन्हें परीक्षक से वंचित किया । क्योंकि परीक्षायें प्रति वर्ष चलती हैं अतः परीक्षा की पवित्रता की दृष्टि से परीक्षकों के नाम प्रकट करना जनहित में उचित नहीं है ।

सरणीयन का काम जिन विद्यालयों को सौंपा गया था उनका नाम नीचे अंकित है:-

अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, गोनेर के	अनुदेशक एवं प्रधानाध्यापक

(शिक्षा मंत्री)

अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, कि नगढ़	,,
अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, टोंक	,,
अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, आबू पर्वत	,,

अकाल सहायता कार्यों के लिये

विदेशों से सहायता

91. **श्री फूलचन्द बाफणा (सुमरपुर)**: क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1965 से इस समय तक राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर किस-किस वित्तीय वर्ष म कितने कितने रुपये खर्च हुए ? इस खर्च में भारत सरकार की रकम कितनी कितनी थी ? तथा राजस्थान सरकार की रकम कितनी-कितनी थी ?

(2) सन् 1965 से इस समय तक राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितने पये खर्च हुए एवम् प्रत्येक जिले में कुल कितने कितने रुपये खर्च हुए ?

(3) सन् 1965 से इस समय तक राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर किस-किस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से कितना-कितना रुपये प्राप्त हुआ और प्राप्त रकम में से कितना-कितना रुपया खर्च हुआ व कितना कितना रुपया भारत सरकार को वापस लौटाना पड़ा ?

(4) सन् 1965 से इस समय तक राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर कौन-कौन सी विदेशी सरकार से सहायतार्थ कितनी-कितनी रकमें अथवा क्या-क्या, कितनी-कितनी वस्तुएं कितने-कितने मूल्य की प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) सन् 1965 से इस समय तक राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर जो वित्तीय वर्षवार व्यय हुआ, वह इस प्रकार है:–

वित्तीय वर्ष	व्यय रकम (लाखों में)
1965–66	132·65
1966–67	1,212·53
1967–68	782·28
1968–69	1,308·33
1969–70	6,283·37
1970–71	1,523·97

यह सारा खर्चा राज्य सरकार ने किया है, और इस हर केन्द्रीय सरकार से समय समय पर सहायता प्राप्त हुई है। अतः भारत सरकार की रकम कितनी थी, और राजस्थान सरकार की कितनी थी, यह अलग-अलग नहीं की जा सकती है।

(2) सन् 1965 से इस समय तक राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर हुए व्यय की जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) सन् 1965 से इस समय तक राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर वित्तीय वर्षवार भारत सरकार से

(अकाल राहत मंत्री)

सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि का विवरण इस प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त सहायता (लाखों में)
1965–66	100.00
1966–67	1,150.00
1967–68	801.68
1968–69	1,651.36
1969–70	5,796.98
1970–71 (अगस्त 70)	1,200.00

यह सारी राशि व्यय के आधार पर ही है। अतः भारत सरकार को वापिस लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) चूंकि राज्य सरकार को सहायता कार्यों के लिये उपहार स्वरूप सभी सहायता भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई थी अत: कौन-कौन सी विदेशी सरकार से कितनी-कितनी रकम तथा कितने-कितने मूल्यों की वस्तुऐं प्राप्त हुई, नहीं कहा जा सकता।

अकाल राहत कार्यों पर सन् 1965-66 से 1970 तक के किये गये जिलेवार व्यय का विवरण पत्रक

(लाखों में)

क्र०सं० जिलों का नाम	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
1. अजमेर	9.45	.82	19.95	26.63	181.74	74.91
2. अलवर	—	—	0.05	3.11	1.34	2.94
3. बांसवाड़ा	15.66	130.52	123.84	19.64	217.82	29.06
4. बाड़मेर	10.43	50.14	111.17	100.03	1052.91	328.91
5. भीलवाड़ा	5.95	63.27	50.07	37.01	251.58	105.47
6. बीकानेर	6.82	56.20	15.18	131.45	519.25	99.11
7. भरतपुर	0.03	0.23	—	3.37	10.57	0.97
8. बून्दी	0.20	2.87	6.25	17.19	44.35	1.73
9. चित्तौड़गढ़	1.09	11.83	11.44	29.18	93.59	2.85
10. चूरू	11.28	91.57	1.06	40.95	344.51	43.02
11. डूंगरपुर	12.64	194.04	131.69	28.31	213.19	29.36
12. गंगानगर	1.65	14.48	0.22	6.97	50.84	9.47
13. जयपुर	4.24	30.04	8.78	66.70	141.81	5.91
14. जैसलमेर	17.73	43.41	10.04	185.82	336.13	53.26
15. जालौर	0.53	2.35	8.76	67.83	299.47	85.21
16. झालावाड़	1.42	6.51	7.65	6.01	27.48	2.49
17. झुन्झुनू	8.04	44.81	1.09	25.38	77.66	5.72
18. जोधपुर	0.46	46.90	29.67	224.52	905.81	300.02

(अकाल राहत मंत्री)

19. कोटा	0.03	2.73	0.13	16.37	8.22	6.68
20. नागौर	1.95	46.05	20.70	25.09	235.35	35.33
21. पाली	0.99	11.50	13.44	42.29	227.24	62.64
22. सवाई माधोपुर	0.25	3.50	0.38	4.40	2.56	0.78
23. सीकर	0.78	4.24	1.98	25.82	76.45	1.45
24. सिरोही	—	11.10	11.65	9.82	75.00	22.38
25. टोंक	2.07	56.94	28.00	16.46	62.81	5.29
26. उदयपुर	3.78	165.60	163.99	57.56	533.21	160.59
27. सी०सी०एफ०	8.37	0.80	4.05	8.79	19.39	1.88
28. आर०सी०पी०	—	—	—	—	70.07	44.06
29. रेलवेज	—	3.83	0.85	14.39	7.01	—
30. खाद्य विभाग	—	—	—	0.82	—	—
31. सी०ई०पी०डब्ल्यू०डी०	—	0.12	—	—	—	—
32. विकास विभाग	—	—	—	2.00	—	—
33. सी०ई०ईरींगेशन	—	27.34	—	—	—	—
34. सी०ई०हैल्थ	—	46.58	—	—	—	—
35. डी०ई०एम०एच०एस	—	0.06	—	—	—	—
36. भू-तलजल मण्डल	—	—	—	48.96	90.19	3.10
37. गौ सेवासंघ	—	1.15	—	4.46	—	—
38. कृषि फार्म, सूरतगढ़	—	—	0.20	—	—	—
39. खाद्य एवं कृषिमंत्रालय	0.79	—	—	—	—	—
कुल योग ..	132.65	1212.53	782.28	1308.33	6283.37	1523.97

सिंचाई कार्यों के लिये अवाप्त की गई भूमि

92. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) जिला बून्दी में सिंचाई कार्यों में अवाप्त की गई भूमि कुल कितनी है?

(2) इस अवाप्त भूमि की मार्च, 1970 तक मुआवजे की कितनी राशि भुगतान करनी बाकी थी? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) क्या मकानों का और कुओं का मुआवजा दिया जाना भी बाकी है? यदि हां, तो किस-किस गांव का कितना कितना मुआवजा?

(4) उक्त मकान व कुए किस-किस कार्य के लिये कब कब अवाप्त किये गये थे?

(सिचाई मंत्री)

उत्तर

(1) जिला बूंदी में कुल आवाप्त की गई भूमि की 9,308.40 एकड़ है।

(2) (अ) चम्बल वाई नहर में 260 एकड़ का मुआवजा, चुकाना बाकी है जिसके एवार्ड होने पर भुगतान कर दी जायेगी। गुढा बांध के मुआवजा की रकम 27,137.56 का चैक भुगतान हेतु तहसीलदार, हिण्डोली को भेजा जा चुका है और इसमें से 12,879.21 का भुगतान भी हो चुका है। बकाया भुगतान करने के लिए तहसीलदार को लिखा जा चुका है। बंसोली बांध के मुआवजे की दफा 6 में नोटी फिकेशन निकल चुका है एवार्ड दिये जाने पर भुगतान किया जा सकेगा। अन्य बांधों में अवाप्त की गई भूमि का भुगतान किया जा चुका है।

(3) जी हां, ग्राम गाडरिया के 11 कुए व 55 मकानों के मुआवजों की राशि ग्राम बंसोली के 2 कुए के मुआवजा दिया जाना बाकी है।

(4) एवार्ड जारी न होने के कारण अभी उक्त मकान एवं कुऐं अवाप्त नहीं हुए है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले में मैंटल क्वेरीज पर व्यय

93. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में सन् 69-70 में कितनी मैंटल क्वेरीज को खोदे जाने का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत शुरू हुआ ?

(2) रामसर सेतराऊ एवं लसुवा मैंटल क्वेरीज पर कब से कार्य शुरू होकर कब तक कार्य चला कितना कार्य सम्पन्न हुआ और वास्तव में कितने कार्य मौके पर हैं ?

(3) उक्त मैंटल क्वेरीज पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(4) उक्त क्वेरीज के बारे में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कब कब चैंकिग की गई ? कृपया उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में सन् 1969-70 म निम्नलिखित मैंटल क्वेरीज की खोदे जाने का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत लिया गया:-

रामसर, सियाणी, चोहटन, लारातरा, सेतराउ, लामरियार, हिल्स (लिकुजा) धोरीमना, मांगटा, बसाई, राणीगांव, बाछहाउ, मारुड़ी, बिलासर व सरणू।

इसी में बाड़मेर जिले में सडक कार्यों के अन्तर्गत निम्न क्वेरीज का कार्य हुआ:-

रावत भाकरी, होलका, शिव भाकरी, मियाड, मेवानगर, थोब, लम्बी भाकरी, कुसीब, मोकलसर, सिवाणा, समदड़ी, बायतू, लायली नाड़ी, नोसर, खेत की भाकरी, कसूला, उत्तरलाई गिडा खेतरा, लालजी की डूंगरी।

(2) रामसर, सेतराउ, लिसुबा,

(अकाल सहायता मंत्री)

क्वेरीज पर निम्न प्रकार कार्य शुरू होकर चला, वह सम्पन्न हुआ:–

क्रमांक	नाम कार्य	आरम्भ तिथि	समाप्त तिथि	कार्य की मात्रा
1.	रामसर	जून, 69	26-12-69	17,96,146 क्युबि० फीट
2.	सेतराऊ	20-3-69	22-7-39	34,827 क्युबि० फीट (सोलिंग)
3.	लिसुआ	6-9-69	31-12-69	1630,102 क्यूबि० फीट

लगभग सारा कार्य मौके पर है ।

(3) उक्त मैंटल क्वेरीज पर निम्न प्रकार राशि व्यय हुई:—

(1)	रामसर	6,79,515.67 पै०
(2)	सेतराऊ	2,35,513.12 पै०
(3)	लिसूआ	8,72,242.22 पै०

(4) जिला प्रशासन अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार चैकिंग किया गया:—

रामसर मैंटल क्वेरीज:–22-7-69, 29-7-69, 11-9-69 व 21-11-69 ।

सेतराऊ मैंटल क्वेरीज:–29-5-69 को विकास अधिकारी बाड़मेर ।

(5) उक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न कार्यवाही की गई:–

दिनांक 22-7-69 को चैकिंग के फलस्वरूप गैंग नं० 5,7,10,13,22,24,25, 26 व 28 के मस्टर रोल्स प्रस्तुत नहीं करने से गैंग्स का भुगतान न करने हेतु लिखा गया । तथा ओ० एस० डी० फेमिन व अधिशासी अभियन्ता (फेमिन-2) वापिस पेकिंग करने को कहा गया । ओ० एस० डी० (फेमिन-2) ने दिनांक 29-7-69 को दुबारा चैकिंग किया ।

चैकिंग दिनांक 11-9-69 को होने के फलस्वरूप जो मजदूर अनुपस्थित मिले, उनके लिये राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया । दिनांक 21-11-69 को पेकिंग के फलस्वरूप गेंग नं० 23,2मे,28,37,62 में 20 प्रतिशत से अधिक मजदूरों के अनुपस्थित होन के कारण गेंग को हटा दिया गया । 40 ऊंट पखालों की बोगस हाजरी होने के कारण उन्हें भी हटा दिया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी जांच की, जिसके फलस्वरूप दोषी ओवरसियरों को निलम्बित कर दिया गया व मेट, मिस्त्रियों को हटा दिया गया। अन्त में दिनांक 26-12-69 को रामसर केम्प को ही बन्द कर दिया गया ।

मद्य निषेध और शराब से आय

91. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) राजस्थान गुजरात सीमावर्ती डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिले में पूर्ण मद्यनिषेध किस तिथि से किया गया है ? मद्यनिषेध किये जाने की तिथि से मार्च, 1969 तक इन तीनों जिलों में

(श्री मूलचंद डागा)

वार्षिक आबकारी क्षति की तालिका सदन की मज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उदयपुर जिले की झाडोल, कोटड़ा और खेरवाडा तहसीलों में पूर्ण मद्यनिषेध कब से लागू हुआ और इन जिलों और तहसीलों में पृथक आबकारी राजस्व की क्षति क्या है ?

(3) 1959-60 के वित्त वर्ष से 1969-70 के वित्त वर्ष तक प्रति वर्ष मद्य (शराब) की बिक्री से राज्य को कितनी आय हुई है ? जिले वार वार्षिक आय की तालिका सदन की मज पर रखने का कष्ट करें व प्रति वर्ष राज्य में शराब की लिटरों में बिक्री का 1956 से 1969 तक जिलेवार वार्षिक व्यौरा देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान गुजरात सामावर्ती डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिले में मद्य-निषेध 1-4-68 से किया गया है। मद्य-निषेध किये जान की तिथि से मार्च 69 के अन्त तक इन तीनों जिलों में मद्य-निषेध के कारण 52.09 रुपये लाख रुपये की आबकारी आय में क्षति हुई है ।

(2) उदयपुर जिले की झाडोल, कोटड़ा और खेरवाडा तहसीलों में मद्य-निषेध 1-4-68 से लागू हुआ है मद्य-निषेध किये जाने की तिथि से मार्च, 69 तक झाडोल, कोटड़ा और खेरवाडा तहसीलों में क्रमशः 11.3 लाख, 23 हजार व 55 हजार रुपये की आबकारी आय में क्षति हुई है ।

(3) वित्तीय वर्ष 1959-60 से वर्ष 1969-70 तक मदिरा बिक्री से हुई आय का वर्ष वार वितरण संलग्न परिष्टि 'अ' पर दिया गया है । इन वर्षों में मदिरा बिक्री से हुई जिलेवार आय का वितरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है ।

वर्ष 1961-62 से 1969-70 तक जिलेवार मदिरा की बिक्री का वितरण (प्रूफलीटर में) परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-11-70)

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्यों पर किया गया व्यय

18. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में सन् 69 व 70 में अकाल राहत कार्यों पर कितना कितना खर्चा कहां कहां किस किस योजना पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, तलाब आदि का कार्य पूरा नहीं हो सका है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं ?

(3) क्या इन अधूरे कार्यों को राज्य सरकार पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ये कार्य कब शुरू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(4) क्या इस प्रकार के अधूरे कार्यों पर राज्य सरकार के धन का अपव्यय नहीं हुआ ? क्या पानी से सभी सड़कों की मिट्टी आदि बह गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। जब भी योजनागत प्रावधान में से प्रावधान उपलब्ध होगा, इन अधूरे कार्य को राज्य सरकार पूरा करायेगी।

(4) जी नहीं। पानी से कहीं कहीं मिट्टी का कटाव अवश्य हुआ है, जो आमतौर पर वर्षा ऋतु में होता रहता है। इससे अधिक कोई क्षति नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

स्थगित प्रश्न

(3-11-70)

बाड़मेर जिले में बाहर से मंगवाया गया अनाज

21. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 68-69 एवं 69-70 से कितना अनाज राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में बाहर से कब कब (निश्चित तारीखें बताते हुए) मंगवाया गया, उसमें से कितना वितरित हुआ, कितना खराब हुआ, कितना घटा और अभी कितना स्टाक में है, का विस्तृत विवरण जुदा जुदा अनाज (गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा) का दें।

(2) (क) क्या यह सही है कि उक्त जिले जो अनाज बाहर से मंगवाया गया उनकी खाली बोरियां 85 नये पैसे प्रति बोरी (अच्छी) एवं तीस रुपये प्रति क्विन्टल फटी बोरी बेची गयी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि जबकि उक्त बोरियों का बाजार भाव प्रति बोरी दो रुपये का था ?

(3) उक्त अनाज के हिसाब का कब कब चैकिंग एवं ऑडिटिंग किया गया? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पूर्ण वितरण सहित सूची संलग्न है।

(2) (क) जी नहीं।

(खजी) नहीं।

(3) महालेखाकार राजस्थान की आडिट पार्टी द्वारा सन् 68-69 एवं 69-70 का चैकिंग एवं ऑडिटिंग क्रमशः दि० 6-5-69 से 14-5-69 तथा 26-5-70 से 3-6-70 किया गया। प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न सं० 75 की सूची)

1069-70 म अकाल सहायता के अन्तर्गत लिए कार्यों की जिलवार सूची (सूची 'अ')

क्र०सं० जिले का नाम	कुल हाथ में लिए गये कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गये कार्यों की संख्या	धन राशि जो खर्च की गई
1. जयपुर	20	13	11.37
2. सीकर	2	—	0.21
3. झुन्झनू	2	—	0.39
4. उदयपुर	111	57	129.18(155.60)
5. चित्तौड़गढ़	197	79	4.14
6. बांसवाड़ा	117	44	87.68
7. डूंगरपुर	214	29	79.33
8. भीलवाड़ा	250	182	117.87
9. सिरोही	18	6	12.19
10. पाली	37	6	35.08
11. जालोर	18	—	7.03
12. बाड़मेर	1	—	0.18
13. जैसलमेर	92	67	32.83
14. जोधपुर	32	25	19.44
15. अजमेर	239	228	51.63
16. टोंक	66	55	17.65
17. नागौर	15	4	7.12
18. बून्दी	24	15	4.73
19. झालावाड़	8	4	1.34
कुल योग	1463	810	654.72

वर्ष 1970-71 में अकाल सहायता के अन्तर्गत लिए कार्यों की जिलेवार सूची (सूची 'ब')

क्र०सं०	जिले का नाम	कुल हाथमें लिए गये कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गये कार्यों की संख्या	खर्चा लाखों में (अगस्त 70 तक)
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	12	8	3.32
2.	झुन्झुनू	3	—	1.76
3.	टोंक	31	14	6.65
4.	अजमेर	104	--	60.32
5.	बांसवाड़ा	89	4	146.54
6.	डूंगरपुर	150	65	99.54
7.	बाड़मेर	22	—	11.98
8.	जालौर	80	33	168.89
9.	उदयपुर	142	50	235.37
10.	भीलवाड़ा			
	(क) सिंचाई कार्य	212	189	157.90
	(ख) पंचायत समिति कार्य	267	267	89.94
11.	सिरोही	17	3	34.47
12.	जैसलमेर	40	31	10.23
13.	पाली	113	83	139.35
14.	जोधपुर	41	25	33.16
15.	नागौर	28	—	26.49
16.	बून्दी	12	—	1.11
	योग	1363	712	1235.56

Page No. 149

परिशिष्ट . 3

(अ० प्र० सं० 76 की सूची)

(अ) सूची उन ग्रामों की जिनकी भूमि ओमसागर बांध के डूब में आवेगी

क्र० सं०	नाम ग्राम	रकबा जो डूब में आवेगा	
		बीघा	बिस्वा
1.	इकलासा	1	4
2.	पनवासा	25	4
3.	अराडा	10	16
4.	मेंहदी	66	9
5.	देवरिया	155	14
6.	दयामावा	217	1

(ब) सूची उन ग्रामों की जिनके मकान व भूमि डूब में आवेगी

क्र० सं०	नाम ग्राम	भूमि जो डूब मे आवेगी		मकानों की संख्या
		बीघा	बिस्वा	
1.	असनागर	164	2	459
2.	सगोदिया खुर्द	926	15	19
3.	सगोडिया कलां			13
4.	धीगर खेड़ी खुर्द	204	1	28
5.	धीगर खेड़ी कलां			7
6.	केछनी	377	18	43
7.	इसरपुरा	181	5	5
8.	कंस खेड़ी	248	9	18
		2,580	05	
	कुल भूमि जो डूब में आवेगी सूची अ ओर ब अनुसार	2,580	05	

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 89 की सूची)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (86) के तारांकित प्रश्न संख्या 8/ वित्त मं० के उत्तर के भाग 1 में वर्णित तालिका

जिलेवार प्रति व्यक्ति योजना व्यय

क्र०सं०	जिला	प्रति व्यक्ति व्यय (रुपयों में)
1	2	3
1.	अजमेर	191.92
2.	अलवर	106.97
3.	बांसवाड़ा	139.10
4.	बाड़मेर	62.11
5.	भरतपुर	140.18
6.	भीलवाड़ा	136.65
7.	बीकानेर	646.66
8.	बून्दी	398.20
9.	चित्तौड़गढ़	155.29
10.	चूरू	104.71
11.	डूंगरपुर	124.81
12.	गंगानगर	560.65
13.	जयपुर	251.67
14.	जैसलमेर	2116.58
15.	जालोर	75.22
16.	झालावाड़	145.38
17.	झुन्झुनू	110.08
18.	जोधपुर	210.32
19.	कोटा	477.77
20.	नागौर	95.07
21.	पाली	119.24

1	2	3
22.	सवाई माधोपुर	103.11
23.	सीकर	103.72
24.	सिरोही	149.04
25.	टोंक	121.69
26.	उदयपुर	192.73
	मुख्यालय व अन्य योजनाएं	—
	योग ..	210.49

राज्यस्तर पर प्रतिव्यक्ति व्यय में मुख्यालय व अन्य योजनाओं का व्यय सम्मिलित नहीं है क्योंकि इनको जिलों में बांटना संभव नहीं है। जिलेवार व राज्यस्तर पर प्रति व्यक्ति व्यय 1961 की जनगणना पर आधारित है।

———

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं 92 की सूची)

उत्तर—राजस्थान में सन् 1968-69 में प्रौढ़ शिक्षा के जिलेवार प्राप्त आंकड़े निम्न प्रकार आवलोकनार्थ प्रस्तुत है.—

क्र०सं०	जिला	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	साक्षार प्रौढ़ों की संख्या
1.	अजमेर	56	443
2.	अलवर	116	1320
3.	बाड़मेर	8	76
4.	बांसवाड़ा	122	2339
5.	भरतपुर	119	1260
6.	भीलवाड़ा	233	3314
7.	बून्दी	68	1055
8.	चित्तौड़गढ़	125	2215
9.	चूरू	133	2249
10.	डूंगरपुर	57	1808
11.	गंगानगर	314	5902
12.	जयपुर	12	400
13.	जालोर	157	1429
14.	झालावाड़	227	4560
15.	झन्झुनू	86	1413
16.	कोटा	106	1464
17.	नागौर	225	3861
18.	पाली	116	975
19.	सवाई माधोपुर	13	193
20.	सिरोही	67	742
21.	टोंक	91	1110
22.	उदयपुर	316	5033

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, 10 नवम्बर, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	12	श्री वृद्धिचन्द जंत्र	श्री वृद्धिचन्द जैन
4	अन्तिम से 4	अशार्थियों की अन्तिम सची	आ ार्थियों की अन्तिम सूची
5	18	ढूसरी	दूसरी
8	10	कितन	कितने
18	अन्तिम से 7	जंच	जांच
22	16	लिक	लिख
25	5	डिस्टव	डिस्टर्ब
25	अन्तिम से 10	सक	सक
39	शीर्षक	(श्री भरों सिहं)	(श्री भैंरों सिंह)
41	9	नालियां गई	नालियां बनाई गई
41	अन्तिम से 2	यही	सही
44	2	चौहारे	चौराहे
49	4	सकता निसमें	सकता हूं जिसमें
49	अन्तिम से 13	गंलों	बंगलों
53	3	अश्रव्व	अश्रव्य)
67	2	म	में
69	8	श्री वृद्धि चन्द्र जन	श्री वृद्धि चन्द्र जैन
75	अन्तिम से 9	उसम	उसमें
75	„ 5	रीदा	खरीदा
82	„ 6	रज्य	राज्य
87	„ 11	कनिष्ठ	कनिष्ठ
97	„ 10	म	में
97	„ 5	जिसम	जिसमें
97	„ 2	उनम	उनमें

1	2	3	4
98	अन्तिम से 7	तिर्थ	तिथि
98	,, 4	रामच॰	रामचन्द्र
98	,, 3	न	ने
101	,, 5	एबोशन	एबॉशन
101	,, 3	कांग्रेसी	कांग्रेस
102	,, 1	कांग्रेए	कांग्रेस
103	,, 14	कसे	कैसे
103	,, 11	म	में
103	,, 3	भाष	भाषण
104	,, 13	लागू	पूरा
104	,, 10	स	इस
106	,, 7	इस पर वद-विवाद सारा	इस वाद-विवाद की सारी
110	15	बैठ	बैठे
114	10	डिस्कश्न	डिस्कशन
116	अन्तिम से 5	आन	आने
118	2	पर	सर
118	11	गवर्नमट	गवर्नमेन्ट
118	अन्तिम से 2	यों	क्यों
119	,, 9	विथहड़ा	विथड़ा
120	5	आपिस	वापिस
121	14	ऑडर	आर्डर
122	11	श्री रामाकिशन (वर)	श्री रामकिशन (वैर)
125	17	पास उसे आधार	पास आधार
126	4	ह	है
126	अन्तिम मे 4	आंकड़	आंकड़े
127	2	काश्तकारों	काश्तकार
129	19	भ	मैं
130	9	जाययी	जायगी
130	17	मिलनी	मिलना
130	20	आपको	आपका
131	अन्तिम से 6	चारा ही पैदा होगा और	चारा पैदा होगा और

1	2		3	4
133	शीर्षक		(श्री रामाकिशन)	(श्री रामकिशन)
133	अन्तिम से	10	दूरदशिता	दूरदर्शिता
135		14	वेमस्यता	वेमन्स्यता
138	अन्तिम से	2	कीकानेर	बीकानेर
141	शीर्षक		(श्री रामकिशन जैन)	(श्री रामकिशन)
141	अन्तिम से	13	मजबूरो	मजबूरी
141	,,	10	को	का
144		12	घन्टे	घण्टे
146		9	श्री मलचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
147	अन्तिम से	12	विशष	विशेष
147	,,	5	परसेंन्टज	पर्सेन्टेज
156	,,	1	लपहोल्स	लूपहोल्स
162	,,	11	तेले	तेल
162	,,	6	लिजीये	लीजिये
164		2	शु	शुरू
168		8	बताय	बतायें
174		9	अप	आप
179		7	थ	थे
183		3	म	मे
186		10	को को	को
192	अन्तिम से	10	भावनाय	भावनाये
192	,,	6	दगे	देंगे
194		2	तसीलदार	तहसीलदार
195	अन्तिम से	15	श्रुनिखे	श्रुतिखे
196	,,	10	मंत्रयों	मंत्रीयों
197		3	शडयूल्ड	शिडयूल्ड
198		13	बइमानी	बेइमानी
199		14	अन्तिगत	अन्तर्गत
200	अन्तिम से	3	हिन्दस्तान	हिन्दुस्तान
201	शीर्षक		(श्री दुर्गालाल बाढंगार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
201		13	इम्लीमेन्टस	इम्पलीमेन्ट्स
202		1	बइ	बड़

1	2		3	4
204		1	जीड हां	जी हां
205		12	इसक	इसके
208		13	पुति	पूर्ति
210	अन्तिम से	7	सुपविरजन	सुपरविजन
211		9	इसमें	इसमें
212		5	फर्मायगें	फर्मायेंगे
212		6	म	में
213		13	ओर	और
213		16	म	में
214		1	ये	मे
214		4	पर्सन्ट	पर्सेन्ट
214	अन्तिम से	2	कसे	कैसे
215		1	म	में
215		16	सनावाई	सुनवाई
215	अन्तिम से	9	पजशन	पजेशन
215	,,	8	हमन	हमने
216	,,	6	बकार	बेकार
216	,,	1	कास्ट	कास्ट्स
216	,,	1	भोगेंग	भोगेंगे
218		4	रखते हैं	रखा
219		19	लोकैन	लेकिन
226	अन्तिम से	7	उसके	उनके
227	,,	2	अलामेन्ट्स	अलॉटमेन्ट्स
230	,,	10	दबारा	दुबारा
231		8	करसं	करने
231	अन्तिम से	6	श्री मनोहरिसह मेहता	श्री मनोहरसिंह मेहता
232		8	पाटी	पार्टी
232		13	प	तरीके
232		14	तो हैं	हैं तो
233		7	श्री रामाचन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
234		3	—	(ध्वनि मतदान के पश्चात्
234		17	वधेयक	विधेयक

1	2		3	4
234	अन्तिम से	12	मादोदय	महोदय
234	,,		श्री देवीद	श्री देवीदत्त
235	शीर्ष		(श्री सभनाति)	श्री सभापति
235		6	में त्री जी में	मंत्री जी ने
235	अन्तिम से	4	श्री रामचन्द्र आय	(श्री रामचन्द्र आर्य)
235	,,	4	बाराह	बारह
238	,,	16	में	मे
241		11	कीर्ट	कोर्ट
245	अन्तिम से		भमि	भूमि
246		6	कसे	कैसे
251		14	सचक	सूचक
257		1	श्री सभााति	श्री सभापति
257		8	राजस्थाग	राजस्थान
257		3	विधयक	विधेयक
257		2	लिय	लिये
267		2	मुक्दमा	मुकदमा
269	अन्तिम से	2	कायवाही	कार्यवाही
272		13	cach	each
276		8	प्रधानाध्यापकों	प्रधानाध्यापक
278	अन्तिम से	12	हर	पर
288	,,	2	काये	कार्य
291		4	हात	हाथ